खण्ड-308, अंक-6
मंगलवार, 11 आषाढ़, शक संवत् 1896
(2 जुलाई, 1974 ई0)

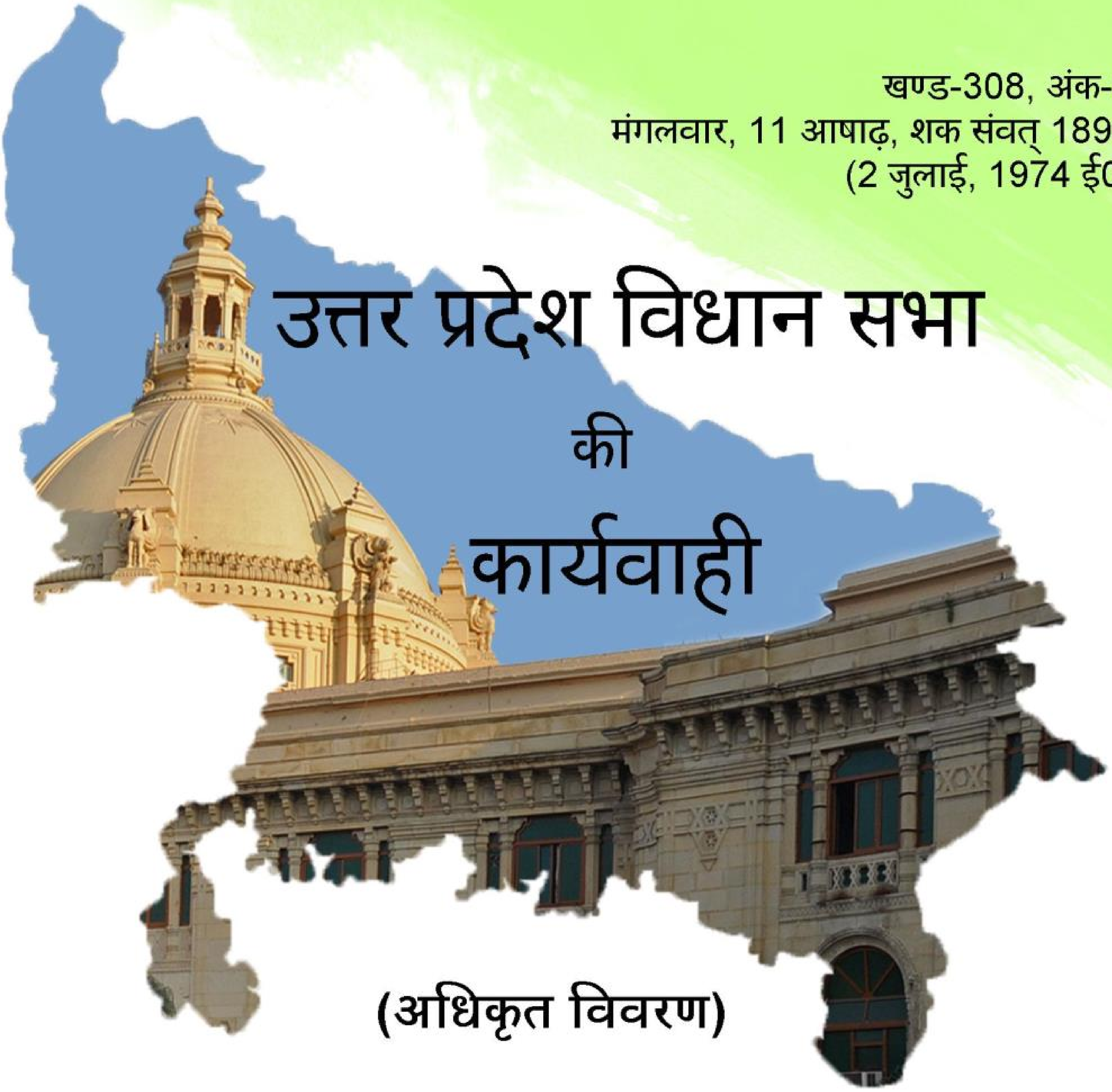

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 308 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1974

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, 2 जुलाई, 1974

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य---388

अंगनेलाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री (उर्फ जिमी मियां) (एडवोकेट)
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधश कुमार, श्री
आगा जैदी, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री (जिला जौनपुर)
ओम प्रकाश सिंह, श्री (जिला मिर्जापुर)
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का0 मु0 मुहीउद्दीन, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशीनाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगादेव विशारद, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा स्वरूप, श्री

गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आय, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री दवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वर पुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री (जिला अल्मोड़ा)
गोविन्द सिंह, श्री (जिला टिहरी-गढ़वाल)
गौरीशंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्रशेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, डाक्टर
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छदा लाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंगबहादुर, श्री (मेहनगर, जिला आजनगढ़
जंग बहादुर, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नारायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जटाधर बाजपेयी, श्री
जनादन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जुगल किशोर यादव, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथराम कोहली, श्री
तेज नारायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पांडेय, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दर्लसिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीनानाथ सेवक, श्री
दीपनारायन बन महन्थ, श्री
दीपनारायण पांडेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देव बहादुर सिंह, श्री
दवी सिंह, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (जिला फरुखाबाद)
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजुराम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथूराम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निभय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निशा अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री (जिला देवरिया)
पुरुषोत्तम, श्री (जिला मिर्जापुर)

पुरुषोत्तम लाल, श्री (उर्फ राजाजी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल वर्मा, श्री (जिला एटा)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रिय दर्शी जेटली, श्री
प्रेमदत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नारायण सिंह, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फरजन्द अली, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलबीर सिंह यादव, श्री
बलवान सिंह, श्री
बलदेव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाबूलाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण 'निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखालाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूप सिंह केन, श्री
भोलादत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नीलाल, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्शीलाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुलतान सिंह यादव, चौधरी
मुलायम सिंह यादव,श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूलचन्द राजपूत, श्री
मेधनाथ सिंह, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री

रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राजकिशोर तिवारी, श्री
राज पती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्रशाह, श्री
राजन्द्र सिंह, श्री
राजन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण, श्री
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बख्श सिंह, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी लाल सेन, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामदेव यादव, श्री
रामनाथ बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राम बाबू, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति विन्दु श्री, एडवोकेट,
रामरती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
रामलखन, श्री (जिला बस्ती)
रामलाल राही, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्र
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम सेवक यादव, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामश्वरनाथ चौबे, श्री
राव मुस्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उपनाम मणी जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शम , श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद, श्री
विश्राम, श्री
वीरबहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान वर्क, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री (जिला आगरा)
शिव प्रसाद, श्री (जिला आजमगढ़)
शिवलाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहार सिंह, श्री
श्री श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामादेवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीश चन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य वीर सिंह, श्री
सन्त सिंह युसूफ, श्री
सन्तोषकुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टमटा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीद उस्मानी, श्री (उर्फ नवाब)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुनंता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल, श्री (जिला रामपुर)
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीश चन्द्र खांडेलवाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 2 जुलाई, 1974

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

नियोजन विभाग बलिया में गबन

*1—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या हाल ही में बलिया जिले के नियोजन विभाग में लगभग 3 लाख रुपये के गबन का मामला प्रकाश में आया है? यदि हां, तो गबन कितने रुपय का है, दोषी कौन-कौन हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

बलिया जनपद में 13 विकास खंडों में कृषि सम्बन्धी सामान के क्रय हेतु आवंटित 22,700 रु0 के विरुद्ध अनियमित रूप से रु0 3,14,5 7.25 का आहरण किये जाने का मामला प्रकाश में आया है। इसकी जांच चल रही है। दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध जांच उपरान्त कड़ी कार्यवाही की जायगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यह जो 3 लाख 14 हजार 527 रुपये 25 पसे का आहरण का मामला प्रकाश में आया है यह किस-किस वर्ष का है और उस वर्ष म इस मद म कितना रुपया आवंटित किया गया था ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, यह किसी मद विशेष का धन नहीं है। आडिट पार्टी ने गतियर विकास खंड का आडिट किया। विशेष आडिट के समय यह तथ्य प्रकाश में आया है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैंने यह पूछा है कि यह किस-किस वर्ष से सम्बन्धित है, आपने कह दिया कि आडिट के समय प्रकाश में आया। यह किस-किस वर्ष का है और उस वर्ष में उस मद के लिये कितना रुपया आवंटित किया गया था ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, यह जो धन आहरण किया गया है इसे कुछ विकास खंडों द्वारा सामान खरीदने पर व्यय किया गया है। इसे बताया गया है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मझे बड़ा कष्ट है। यह रोज होता है। किस-किस वर्ष में 3,14,527 रुपये 25 पैसे खर्च किया गया और जिस-जिस वर्ष में खर्च किया गया उस मद में कितना रुपया आवंटित था ? इस सवाल को गोल कर देते हैं।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

3,14,727 रु0 25 पैसे कोषागार से निकाला गया। यह किस मद में था इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। जो 22 हजार 700 रु0 था वह कृषि सम्बन्धी सामान को क्रय करने के लिये। जो 22 हजार 7 सौ रुपये था उसके बजाय नाजायज तरीके से 3 लाख 14 हजार 527 रुपये 25 पैसे निकाले गये।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चरल नान-रेकरिंग मद का 22 हजार रुपया था उसके खिलाफ 3 लाख 14 हजार 1972–73 में ओवरड्राफ्ट किया गया, मंत्री जी को पता है कि 1971–72 में एक लाख ओवरड्राफ्ट हुआ। बलिया के कृषि और प्लानिंग विभागों में मिल कर दो-तीन साल से इस तरह का झंझट चल रहा है, इस तरह का षडयन्त्र जिलाधीश से मिल कर किया जा रहा है। 1971–72 म एक लाख रुपया और 1972–73 म तीन लाख रु0 ओवरड्राफ्ट किया गया। क्या मंत्री जी कोई व्यापक जांच नियोजन और कृषि विभाग के खिलाफ बठायगे जिससे इस धांधली को रोका जा सके ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

यह जो 22 हजार 7 सौ रुपये कृषि अनावर्तक मद में था उसके सिलसिले में 3 लाख 14 हजार कुछ सौ रुपये, यह खजाने से निकाला गया है। इसकी जांच हो रही है। जांच

में हमने उप विकास आयुक्त (प्रशासन) और सहायक विकास अधिकारी (लेखा) को जांच के लिये भेजा था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट शासन को दे दिया है। वह शासन के विचाराधीन है।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

अभी आपने कहा कि 3 लाख रुपया नाजायज तरीके से निकाला गया। किस अधिकारी ने यह रुपया निकाला और क्या उस अधिकारी को तुरन्त सस्पेंड करेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, प्रत्येक खंड विकास अधिकारी को कोषागार से रुपया निकालने का अधिकार है। इसका एलाटमेंट जिला नियोजन अधिकारी करता है। यह 13 विकास खंडों का मामला है। उसमें से 5 का रिवर्जन हो गया है।

श्री त्रिवेणी सहाय--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किस अधिकारी ने यह तीन लाख रुपया निकाला है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, विकास खंडों को जो रुपया वितरित किया जाना था वह 22,700 रुपया था। लेकिन एकाउन्ट क्लर्क और बजट लिपिक ने उस फार्म पर जिससे रुपया निकाला जाता है, उसमें रकम बढ़ा कर लिख दी। जिला नियोजन अधिकारी ने थोड़ी रकम पर ही हस्ताक्षर किये थे। यह 13 विकास खण्डों का मामला है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो एग्रीकल्चर का सामान खरीदा गया है वह किस फर्म से खरीदा गया है और देवरिया जिले में भी ऐसा हुआ है और केवल एक बी० डी० ओ० को सस्पेंड किया गया है बाकी को नहीं ? यदि ऐसा है तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य का प्रश्न मैंने समझा नहीं है। आपने समझा हो तो जवाब दे दें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, यह सामान किस फर्म से खरीदा गया और क्या इस तरह की शिकायत देवरिया जिले से भी आई है ?

श्री अध्यक्ष--

यह दूसरा सवाल है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, यह बता दें कि यह सामान किस फर्म से खरीदा गया है ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, इसकी जांच उप आयुक्त को सुपुर्द की गई थी। उन्होंने जांच में कौन-कौन सी गड़बड़ियां पाईं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, जो सूचना आई है उसमें जो यह 13 विकास खण्ड हैं उनमें इस तरह की गड़बड़ियां हुई हैं, उसका ब्योरा मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं। वह इस प्रकार है कि—

		रु0
(1)	श्री काशी प्रसाद मिश्र, खं0 वि0 अधि0, बेलहरी	3,149.00
(2)	श्री हेमनारायण मिश्र, खं0 वि0 अधि0, बेरिया	30,669.92
(3)	श्री लक्खीनारायण बलक खं0 वि0 अधि0, हनुमानगंज	20,000.80
(4)	श्री विरेन्द्रनारायण मणि त्रिपाठी, खं0 वि0 अ0, रतनपुरा	26,401.51
(5)	श्री मुक्तिनाथ शुक्ल, खं0 वि0अधि0, नगरा	40,203.38
(6)	श्री कमलेश्वर सिंह, खं0 वि0अधि0, नवानगर	15,200.00
(7)	श्री कुबेरनाथ सिंह, ख0 वि0अधि0, गडवार	25 713.00
(8)	श्री अच्युतानन्द, खं0 वि0 अधि0, मनियर	11,600.00
(9)	श्री कपिलदेव त्रिपाठी, खं0 वि0अधि0, सीयर	24 483.75
(10)	श्री योगेंद्रकुमार सिंह, ख0 वि0अधि0, सोहांव	17,916.80
(11)	श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह, खं0 वि0अधि0, बैरगारबारी	19,915.55
(12)	श्री सूर्यमणि सिंह, खं0 वि0अधि0, पन्दह	19,323.20
(13)	श्री परमानन्द राय, खं0 वि0अधि0, रेवती	31,823.14
	कुल योग	3,14,400.05

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, पहली बात तो इन्होंने भूल यह की है कि जांच दे दी उसी विभाग के अधिकारी को। मेरा विश्वास नहीं है कि जांच उसी विभाग के अधिकारी को दी जाय, जिस विभाग की यह गलती है। इसमें बाकी रुपया किस मद का था जो खर्च हुआ। प्रथम बार प्रकाश में यह गलती कब आई। आप ऐसे अधिकारी को अथाह धन देते हैं। 3 लाख 14 हजार 577 रु0 निकल गया।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, मैंने यह निवेदन किया कि कृषि अनार्वतक मद में 22 हजार 700 रु0 था उसी मद के सिलसिले में 3 लाख 14 हजार रु0 निकल गया है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, यह रुपया किस मद के लिए रखा गया था। दूसरा, प्रथमबार यह गल्ती प्रकाश में कब आई, मेरा यह प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

यह कब प्रकाश में गल्ती आई और किस मद का यह रुपया था।

श्री माधव प्रसाद—

किस मद से यह रुपया निकाला गया और गल्ती कब प्रकाश में आई, मान्यवर। यह 3 लाख 14 हजार 577 रु0 किस मद से निकाला गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी। मेरे पास तो मद कृषि अनावर्तक 22 हजार 700 वाला है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, प्रथमबार प्रकाश में यह गल्ती कब आई यह तो बताइए।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, मैं यह बता चुका हूं कि मनियर विकास खंड में जब आडिट हुआ तब यह प्रकाश में आया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, उत्तर प्रथमबार कब प्रकाश में आया। करोड़ों लाखों खर्च हो जायं इनको पता नहीं चलता।

श्री अध्यक्ष—

यह तो बता दिये कि जब आडिट हो रहा था।

श्री राम सेवक यादव—

मान्यवर, आडिट कब हो रहा था ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मैंने यह साफ-साफ निवेदन कर दिया कि जब मनियर विकास खंड में विशेष आडिट हुआ तब यह प्रकाश में आया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, कब आडिट हुआ, द्वापर में, त्रेता में आखिर कब आडिट हुआ ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री बनवारी राम यादव (जिला बलिया)—

यह जो कुछ गड़बड़ है जिला नियोजन कार्यालय से हुआ है और उसमें लिपिक भी इंवाल्व है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसमें लिपिक का बयान जांच करने वाले अधिकारी ने लिया है जो इसमें फर्जी काम करने वाला है। इस फर्जी काम करने में जिला नियोजन अधिकारी और उसके सहायक का सहयोग है।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, जो कार्यालय का लिपिक था, उनसे पूछ-ताछ ही नहीं हुई बल्कि उनके पास जो रिकार्ड्स थे और विकास खंडों में जो रिकार्ड्स थे, उन सब को कब्जे में लेकर डबल-लाक में कोषागार में रख दिया गया है। पूछ-ताछ की गई है और उसी के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (लेखा) आदि को भेजा गया और उन्होंने पूछताछ के बाद एक रिपोर्ट शासन को दी है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

जब वहां पर 22 हजार रुपए की ग्रांट थी तो कैसे 3 लाख रुपया उस अधिकारी ने निकाल लिया ?

श्री अध्यक्ष—

इसकी सूचना उनके पास नहीं है। उन्होंने 22,000 रुपए के बारे में तो बता दिया है। इसके बारे में कहते हैं कि उनके पास सूचना नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

माननीय मन्त्री जी ने तमाम विकास खंड अधिकारियों के नाम पढ़े। इस नान-एग्रीकल्चर ग्रांट को डी0पी0ओ0 ने जो डिस्बर्सिंग अधिकारी थे, 22,000 रुपए के स्थान पर 3 लाख बांट दिया। क्या माननीय मन्त्री जी ने इस उच्च अधिकारी के विरुद्ध, जिसने बिना अपनी जिम्मेदारी निभाए यह कार्य किया, कोई कार्यवाही की है? यहां पर 1971-72 में भी एक लाख और 1972-73 में 3 लाख 15 हजार इसी प्रकार से बांटा गया। क्या माननीय मन्त्री जी को इसकी सूचना है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

1971-72 की तो मेरे पास कोई सूचना नहीं है। जहां तक दूसरी बात का सम्बन्ध है जिला अधिकारी नियोजन को रिवर्ट करके खंड विकास अधिकारी जिला जालौन में स्थानान्तरण कर दिया। वे वहां पर बी0 डी0 ओ0 का काम कर रहे हैं, अगली कार्यवाही बाद में होगी।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

माननीय मन्त्री जी ने एक लिपिक का नाम लिया था और एक एकाउंटेंट का नाम लिया था और कहा कि जितने रुपए लिखे थे बिल के ऊपर उन्होंने अंक बढ़ा दिया था। क्या इन व्यक्तियों को भी सस्पेंड किया गया है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां दोनों सस्पेंडेड हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन डी0 पी0 ओ0 को रिवर्ट किया गया, क्या उन्हें इन्हीं अनियमितताओं के कारण रिवर्ट किया गया या और कोई कारण भी थे।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

डी0 पी0 ओ0 इस सारे काम के जिम्मेदार होते हैं। उनकी देख-रेख में सारे काम होते हैं। उनकी जिम्मेदारी में इतनी बड़ी धनराशि कोषागार से निकाली गई है, इसलिए उनको रिवर्ट किया गया और वहां से उनका स्थानान्तरण किया गया है। यह कार्यवाही इसीलिए की गई है। अगली कार्यवाही जांच रिपोर्ट के आधार पर, जो शासन के विचाराधीन है, होगी।

श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि 5 बी0 डी0 ओ0 को सस्पेंड कर दिया, वे ए0 डी0 ओ0 से प्रमोट हुए थे लेकिन 8 बी0 डी0 ओ0 जिनके विरुद्ध शिकायत है, वे आज भी काम कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री जी के ऊपर कोई विशेष प्रभाव पड़ रहा है? उनके खिलाफ आज तक क्यों नहीं कायवाही की गयी है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि मुझ पर कोई दबाव नहीं पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि हमने एक साथ सबका निलम्बन कर दिया था लेकिन अनेक....

(व्यवधान तथा हंसी)

लेकिन अनेक व्यक्तियों ने और बड़े जिम्मेदार लोगों ने कहा कि एक साथ सबका निलम्बन करने से कहीं ऐसा न हो कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाय...

तो मैंने हर ब्लाक में जांच कराई, हर व्यक्ति के बारे में जांच कराई और जांच कराने के बाद 5 को रिवर्ट किया गया। उसमें से एक ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी और वहां से स्टे-आर्डर ले लिया। 8 जो बाकी बचे हैं उनका स्थानान्तरण का आदेश जारी हो रहा है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि आपके प्रशासन में जिन व्यक्तियों ने दखल डाला और इस फैसले पर आपको मजबूर किया उनके नाम बतायें, क्योंकि गरीबों के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ हो रहा है। उनका पता भी नहीं चलता अगर आडिट न हो। जितनी आपसे इंफार्मेशन मांगी गयी सबके विषय में कह दिया कि सूचना चाहिए, सब महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में यही कह दिया। तो मान्यवर, ये नाम बतावें सब के।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

माधव बाबू वकील आदमी हैं और उनको कानून की सारी जानकारी है। मैं तो एक ले-मैन हूं। अगर सबको एक साथ निलम्बित कर दिया जाता....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यह स्पष्ट बतायें कि अपराधी कौन हैं। चपरासी और एक लिपिक को बरखास्त कर दिया, बड़ों को आप "घुन" समझते हैं क्या? मेरा सवाल यह है कि किसने आप पर नाजायज दबाव डाला, ताकि आइन्दा ऐसी गल्ती न हो। हम इसको प्रेस करेंगे। लायें हमारे सामने ताकि हमें पता चले।

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी तथा उनके दल के सब लोग खड़े हो गये)

(व्यवधान)

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, यह जो सबको एक साथ निलम्बित करने के आर्डर्स थे तो विभागीय अधिकारियों ने जो इन सारी चीजों को, प्रशासन को, सब चीजों को देखते हैं उन्होंने यह सुझाव दिया कि अलग-अलग अधिकारियों के खिलाफ केस तैयार करना पड़ेगा तब निलम्बन होगा। मैंने तो एक साधारण तौर से ऐसे आदेश कर दिये हैं।

(जनसंघ दल के लोग खड़े रहे और शोर करने लगे।)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

वह कौन सरकारी और गैर-सरकारी आदमी थे...

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मैं गैर-सरकारी की बात नहीं कह रहा हूं...

(घोर व्यवधान)

श्रम मंत्री (श्री राज मंगल पांडेय)—

(व्यवधान के मध्य) प्रश्न यह है कि अगर एक ही साथ सबको हम निलम्बित करते हैं तो कोई हाई कोर्ट में चैलेंज करेगा। इसलिए जब तक रेस्पांसिबिलिटी फिक्स अप न हो...

(व्यवधान) (जनसंघ दल के सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े रहे।)

(आवाजें—'मन्त्री महोदय पर दबाव डाला गया है। नाम बतायें कि किसने दबाव डाला है।)

श्री अध्यक्ष—

सुनाई तो पड़ नहीं रहा है। आप लोग एक-एक करके बोलिये।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, मैंने जो कुछ निर्णय लिया अपने विभाग के अधिकारियों के परामर्श से...

(घोर व्यवधान)

मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जो भी दोषी पाया जायगा उसको छोड़ा नहीं जायगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जितने जवाब पूछे गए उनका पूरा जवाब या तो इनके पास है नहीं या उन्होंने अधिकारियों द्वारा दिए गए जवाब को केवल पढ़ दिया। दूसरी बात यह कि इन्होंने इतनी महत्वपूर्ण बात कह दी कि इनके गलत फैसले के जिम्मेदार कुछ गैर-सरकारी आदमी हैं। तो वह कौन से आदमी हैं जिन्होंने गलत दबाव डाला। इसका हमें जवाब दे दें नहीं तो हम लोग नहीं बैठेंगे।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

आप अपने मतलब की बात मुझसे चाहते हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

हम जनहित की बात कहते हैं। मान्यवर, आज यह आखिरी दिन है। अब आज से दूसरा काम शुरू होगा। इस असेम्बली में नित्य प्रति हम देखते हैं कि जवाब माकूल नहीं मिलता और कहते हैं कि सूचना चाहिए जवाब है तब भी। अगर पूरा जवाब सरकार के पास नहीं है तो दूसरा टाइम ले लें नहीं तो जो आशा की जाती है कि सप्लीमेंटरी जवाब लेकर आयेंगे। यह कह कर न टाला जाय कि सूचना हमको चाहिए। मान्यवर, हमको महान क्षोभ है गवर्नमेंट के इस रवैये पर। हम इस क्षोभ में 5 मिनट के लिए सदन का त्याग करते हैं।

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी अपने दल सहित सदन का त्याग कर चले गए।)

श्री बलदेव सिंह आर्य—

एक निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने यह नहीं कहा कि गैर-सरकारी व्यक्तियों के कहने से ऐसा किया। मैंने यह कहा कि कुछ जिम्मेदार व्यक्ति जो शासन में काम करने वाले अधिकारी भी हो सकते हैं। मैंने गैर-सरकारी व्यक्ति का कहीं उल्लेख नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष—

अब आगे चलते हैं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जब 3 लाख रुपए का गबन था और उसकी जिम्मेदारी ठहरायी गयी तो उस व्यक्ति को मुअत्तल करके कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

मान्यवर, मैंने बताया कि जैसे ही वह रिपोर्ट हमारे पास आयेगी उसके तुरन्त बाद यह दूसरी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायगी कि किस-किस को निलम्बित करना है और आवश्यकता पड़ने पर कोर्ट को मामला दिया जायगा और पुलिस को दिया जायगा और वह उसकी जांच करेगी ।

देवरी बुजुर्ग, जिला फतेहपुर पशु चिकित्सालय की स्थापना की मांग

*2---श्री प्रेम दत्त (जिला फतेहपुर) श्री प्रताप नारायण (जिला हमीरपुर)---

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 8 सितम्बर, 1973 को एक पत्र द्वारा देवरी बुजुर्ग, जिला फतेहपुर में पशु चिकित्सालय के स्थापना हेतु क्षेत्रीय प्रधानों ने मांग की है ? यदि हां, तो सरकार उसमें क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राज मंगल पांडेय---

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री प्रेमदत्त---

मान्यवर, मेरे इस सम्बन्ध में दो प्रश्न हैं । पहला तो यह है कि प्रार्थना-पत्र 8 सितम्बर, 1973 को दिया गया । यह प्रार्थना-पत्र रजिस्ट्री द्वारा जिसकी संख्या 437 है, को 8 प्रधानों ने भेजा और उनको इस बात की सूचना भी मिल चुकी है कि वह वहां पहुंच गया है । तो क्या अपने विभाग में इसे दिखवा कर उत्तर देने का कष्ट करेंगे ? दूसरा प्रश्न यह है कि वहां पर पशु चिकित्सालय के लिए जमीन दी गयी है तो क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि वहां चिकित्सालय खोला जाय ।

राजमंगल पांडेय---

जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है इस किस्म का प्रार्थना-पत्र विभाग में नहीं प्राप्त हुआ है । रजिस्ट्री की वह बात करते हैं तो उसको फिर दिखवा लूंगा । जहां तक दूसरा प्रश्न है इस जगह पर एक पशु सेवा केन्द्र है । यहां से पशु सेवा केन्द्र तथा पशु चिकित्सालय केन्द्रों की दूरी इस प्रकार है । एक जहानाबाद 14 किलो0 मीटर, दूसरा अमोली 14 किलोमीटर, तीसरा बकेवर 10 किलोमीटर, चौथा खजुआ 7 किलोमीटर और पांचवा दफसौरा 18 किलोमीटर ।

[2 जुलाई, 1974 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न ।]

विकास खंडों में ग्रामीण जन-शक्ति योजना

*1---चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)---

क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश के किन-किन जिलों के कौन-कौन विकास खंडों में ग्रामीण जन-शक्ति योजना इस समय चल रही है और क्या इस योजना को कानपुर जिले के सबसे पिछड़े एवं गरीब इलाके के विकास खंड डेरापुर, झींझक और रसूलाबाद में भी चलाया जायेगा ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

ग्रामीण जन-शक्ति योजना शासन की नीति के अनुसार 31 मार्च, 1974 से समाप्त कर दी गई है। अतः कानपुर जिले के किसी भी विकास खंड में इस योजना को अब चलाए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके पूर्व भी यह योजना कानपुर जिले में चालू नहीं थी।

चौधरी राम पाल सिंह यादव—

मान्यवर, सदन में अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते ही नहीं है। इस अनभिज्ञता के कारण अनुपूरक प्रश्न मैं नहीं करना चाहता।

(व्यवधान)

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आर0 एम0 पी0 स्कीम से जो सड़कें निकाल दी गयी हैं अब इन सड़कों को किस विभागों को सुपुर्द कर दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष—

यह दूसरा सवाल है।

कानपुर नगर महापालिका के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

*2—चौधरी राम पाल सिंह यादव—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतलायेंगे कि नगर महापालिका, कानपुर के कर्मचारियों ने जो अक्तूबर–नवम्बर, 1973 में सामूहिक रूप से हड़ताल की वह कितने दिनों तक चली और उसके कारण लम्बे समय तक नगर में व्यापक गन्दगी फैली रही और ईद तथा दीपावली ऐसे पवित्र एवं स्वच्छ त्योहारों के समय नगर नर्क बना पड़ा रहा ? इसका उत्तरदायित्व किस पर है ? हड़ताली कर्मचारियों की मांगे क्या-क्या थीं और अन्त में कौन-कौन मांगे स्वीकार की गई या क्या आश्वासन दिया गया ?

श्री राज मंगल पांडेय—

कानपुर नगर महापालिका के अधिकांश कर्मचारियों द्वारा की गयी हड़ताल 22 अक्तूबर, से 12 नवम्बर, 1973 तक अर्थात् 22 दिन तक चली। स्थानीय सार्वजनिक संस्थाओं, सिविल डिफेन्स के स्वयं सेवकों तथा महापालिका के वफादार कर्मचारियों के सहयोग से नगर की सफाई एवं प्रकाश की व्यवस्था यथा सम्भव की गयी। हड़ताल का उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से हड़ताली कर्मचारियों एवं उनके नेताओं पर था। हड़ताली कर्मचारियों की मांगों तथा उन पर की गयी कार्यवाही का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 654 पर)

चौधरी राम पाल सिंह यादव—

जिस प्रकार लखनऊ के कर्मचारियों को 10 रुपये माहवार का कारपोरेशन भत्ता दिया जाता है वही कानपुर के कर्मचारियों को भी दिया जाय क्या यह मांग उन कर्मचारियों की थी ? यदि हां, तो उनको यह भत्ता क्यों नहीं दिया जाता है जब कि लखनऊ कारपोरेशन के कर्मचारियों को दिया जाता है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

यह बात सही है कि कानपुर महापालिका के कर्मचारियो की यह मांग थी कि उनको 10 रुपया माहवार कारपोरशन भत्ता जो लखनऊ में दिया जाता है वह उनको भी दिया जाय।

लेकिन मैं यह अर्ज कर दूं कि भ्रमवश लखनऊ महापालिका ने इसको कारपोरेशन भत्ता का नाम कर दिया, जब वास्तव में यह वही रुपया है जो अन्य कबाल टाउन्स की महापालिकाओं को दिया जाता है ।

चौधरी राम पाल सिंह यादव--

क्या उनकी एक मांग यह भी थी कि वेतन आयोग की सिफारिशों को तुरन्त लागू किया जाय और उसके अनुसार कर्मचारियों को तुरन्त भुगतान किया जाय ?

श्री राज मंगल पांडेय--

यह मांग भी थी, वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार भी कर लिया गया है । इसमें अभी कुछ करना शेष रह गया है क्योंकि कुछ बातें एनामली कमेटी के सामने पड़ी हुयी है । जब यह तय हो चुका है तो पैसा तो उनको मिल ही जायेगा, मुमकिन है थोड़ी देर लग जाय ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी ।

जो इन कर्मचारियों की मांगे थीं, उनमें से किन-किन मांगों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है और किन मांगों को त्रिपक्षीय कमेटी के सामने सौंपा है ? त्रिपक्षीय कमेटी ने क्या कोई रिपोर्ट शासन को दी है, यदि हां तो वह रिपोर्ट क्या है ?

श्री राज मंगल पांडेय--

वह रिपोर्ट अभी मिली नही है, मिलने पर विचार किया जायेगा ।

*3--श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा--

[छठे मंगलवार के लिये स्थगित]

लखनऊ नगर में नये उपनिवेश निर्माण की स्वीकृति और रवीन्द्र गार्डेन्स नामक योजना हेतु भूमि को अर्जन से मुक्ति

*4--श्री शिवपाल सिंह (जिला उन्नाव), श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी) तथा श्री सीताराम निषाद (जिला फैजाबाद)--

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि उन्होंने हाल ही में घोषणा की थी कि लखनऊ नगर को केन्द्र मानते हुये 56 किलो मीटर की परिधि में किसी निजी उपनिवेश निर्माण को नये उप निवेश निर्माण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी ? यदि हां, तो इसका मुख्य कारण क्या है ?

श्री राज मंगल पांडेय--

शासन ने इस प्रकार के कोई आदेश जारी नहीं किये है । नये उपनिवेश के निर्माण की स्वीकृति उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी द्वारा दी जाती है ।

*5--श्री शिवपाल सिंह, श्री बेनी प्रसाद वर्मा तथा श्री सीताराम निषाद--

क्या यह भी सही है कि मुख्य मंत्री ने अपने निजी विवेक का प्रयोग करते हुये लखनऊ नगर महापालिका के अलीगंज नगर प्रसार योजना में एक निजी उपनिवेश निर्माण में लगभग 435 बीघा भूमि के क्षेत्र में रवीन्द्र गार्डेन्स नामक योजना के लिये भूमि को अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने का आदेश हाल ही में दिया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज मंगल पांडेय--

भूतपूर्व स्वायत्त शासन मंत्री ने दिनांक 4-6-73 को मोहन को0 की भूमि छोड़ने के आदेश दिये थे और दिनांक 21-3-74 को 31 बीघा 13 बिस्वा 13 विस्वांसी भूमि अर्जन से मुक्त करने हेतु विज्ञप्ति जारी कर दी गई है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

क्या अलीगंज प्रसार योजना के अन्तर्गत लखनऊ महापालिका ने कोई प्रस्ताव पास किया था कि रवीन्द्र गार्डेन्स के लिये कोई जमीन न दी जाय, किन्तु सरकार ने उसके लिये जमीन मोहन को0 को दे दी, यदि हां, तो क्यों दी ?

श्री राज मंगल पांडेय--

इस तरह की तो कोई जानकारी मुझे नहीं है।

श्री ऊदल--

रवीन्द्र गार्डेन्स के लिये छोड़ी गयी जमीन को बहुत से लोगों ने ले लिया है, क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, अगर इस सम्बन्ध में कोई शिकायत होगी तो जांच जरूर करायेंगे।

टाउन एरिया अध्यक्षों द्वारा टाउन एरिया कानून में संशोधन की मांग

*6--श्री राम सेवक यादव, श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 4,5 जून 1972 को प्रदेश की समस्त टाउन एरिया के अध्यक्षों की लखनऊ में बैठक हुई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त बैठक में मंत्री महोदय को कोई मेमोरेन्डम दिया गया था और मेमोरेन्डम में टाउन एरिया कानून में संशोधन की मांग की गई थी ?

श्री राज मंगल पांडेय--

जी हां।

श्री राम सेवक यादव--

अध्यक्ष महोदय, जो टाउन एरिया के अध्यक्षों ने मेमोरेन्डम दिया, उस मेमोरेन्डम की खास खास बातें क्या थीं ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर यह खास-खास जो बातें है, उनकी करीब-करीब 17 मांगें थीं। अगर आप हुक्म दें तो मैं पढ़ दूं।

1--यह ऐक्ट पुराना होने के कारण आज की परिस्थितियों में टाउन एरिया कमेटी की प्रशासनिक सुविधाओं में बाधक व जिला मैजिस्ट्रेटों को ब्रिटिश कालीन अधिकारों को आज के स्वतंत्र भारत में, भी ज्यों के त्यों रखे रहना, जन प्रतिनिधियों को, जनता को, स्वतंत्रता पूर्वक सुविधाओं से वंचित करना है। अतः चेयरमैन पर जिला मैजिस्ट्रेटों का अंकुश हटाया जाय।

श्री अध्यक्ष--

एक को पढ़ दिया बस इतना ही ठीक है।

श्री राम सेवक यादव--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जो यह टाउन एरिया कानून में संशोधन की मांग की गयी थी, शासन ने उस पर क्या निर्णय लिया है ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, यह विचार किया जा रहा है कि पूरी टाउन एरिया, जितनी भी है उनको रिपील करदें या खत्म कर दें और उनको म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट के अन्दर लाया जाय ।

श्री राम सेवक यादव--

अध्यक्ष महोदय, इस पर अंतिम निर्णय कब तक हो जायेगा ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, इसमें आर्थिक व्यवस्था और इसी प्रकार अन्य कई बातें आती है। इन पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री राम सेवक यादव--

मान्यवर, जहां तक मेरी जानकारी है कि टाउन एरिया के कानूनों के अनुसार सदस्य और अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है और सदस्यों को यह अख्तियार होता है कि अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव ला सकें । जिसके कारण कई जगहों पर अनावश्यक ढंग से अध्यक्ष को हटा दिया जाता है और जब दुबारा चुनाव होता है तो फिर वही आ जात हैं और इस तरह से सार्वजनिक काम ठप पड़ जाते हैं तो क्या इस संशोधन पर इस पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

जब यह रखा जायेगा तो हम इस पर विचार करेंगे ।

बांसी-डुमरियागंज रोड बस्ती के निर्माण में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शिकायत-पत्र

*7--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिला के विकास खंड मिठवल क्षेत्र में बांसी-डुमरियागंज रोड जो क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत निर्माणाधीन है, उस सडक के निर्माण में व्याप्त लाखो रुपया के भ्रष्टाचार सम्बन्धी कोई शिकायती पत्र उन्हें 4-5-74 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो शिकायतें क्या है तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

यह सही है कि माननीय सदस्य महोदय का बस्ती जिले के विकास खंड मिठवल क्षेत्र में बांसी-डुमरियागंज सड़क के निर्माण में कथित भ्रष्टाचार से सम्बन्धित एक शिकायती पत्र मुझे प्राप्त हुआ है। इस शिकायती पत्र में संक्षेप में निम्नलिखित आरोप लगाये गये है:--

(1) जिला बस्ती के मिठवल ब्लाक के बी० डी० ओ० तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों ने कुछ बाहर के लोगों को मिलाकर प्रश्नगत सड़क निर्माण में काफी धन का दुरुपयोग किया है तथा इसमें जिला नियोजन अधिकारी का भी हाथ बताया जाता है ।

(2) सड़क पर तीसरे दर्जे की मामूली गिट्टी पड़ी है और जितनी सामग्री या मिट्टी पड़नी चाहिए थी नहीं पड़ी।

(3) पुलिया ठीक नहीं बनी है ।

(4) जिस मद पर जितना रुपया खर्च होना चाहिये उतना रुपया खर्च नहीं किया गया है ।था बहुत गलत पेमन्ट किये गये हैं ।

(5) गिरी हुयी गिट्टी पर तारकोल नहीं पड़ सकता और सब दोषी अधिकारी मामले को दबाये जाने के लिय अथक प्रयास कर रहे हैं ।

माननीय सदस्य महोदय के उपर्युक्त शिकायती पत्र में उल्लिखित बातों की जांच मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश के माध्यम से करायी जा रही है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर मैं जानता हूं कि जांच की जा रही है, अतः ज्यादा सवाल नहीं पूंछूंगा । मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि कितने रुपये से इस क्रश प्रोग्राम को शुरू किया गया था ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मान्यवर इस क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत कुल 12 किलोमीटर सड़क बननी थी और 10 लाख, 62 हजार 660 रुपये का प्राविधान था ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, शिकायत में कहा गया है कि भ्रष्टाचार में बी० डी० ओ० डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसर का हाथ था और बहुत से अफसरों का हाथ कहा जाता है । तो यह प्राइमाफेसी केस बनता है क्योंकि एक इक्जक्यूटिव इंजीनियर ने जो रिपोर्ट दाखिल की है अगर उस रिपोर्ट में है तो उसके आधार पर इन व्यक्तियों का ट्रांसफर क्यों नहीं किया गया जिससे कि इंक्वारी निष्पक्ष तरीके से हो सके । इनके ट्रांसफर में लीपापोती की जा रही है ।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर लीपा-पोती का सवाल नहीं है । हमने अधिशासी अभियंता को जांच के लिये नियुक्ति किया था किन्तु इसी बीच दूसरे आदेश कर दिय गये जिससे उन्होंने जो रिपोर्ट भेजी है उसमें लिखा है कि कब आगे जांच की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि इस केस को सतर्कता आयोग को जांच के लिए दे दिया गया है । अब सतर्कता आयोग ही इस के संबंध में अपनी रिपोर्ट शासन को भेजेगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर जब अधिकारी वहां मौजूद हैं तो उनको पहले वहां से हटाया जाय जिससे कि जांच निष्पक्ष हो सके । उनके मौजूद होने से वे कागजों को दबा लगे ।

श्री अध्यक्ष--

जब मामला सतर्कता आयोग को दे दिया गया है तो वे इसकी जांच करेंगे ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं उन अधिकारियों को वहां से हटाने के लिये कह रहा हूं जो कि 4 5 साल से वहां हैं ।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जो चीजें होंगी वह सतर्कता आयोग के सामने आ जायेंगी ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि जिन अधिकारियों के खिलाफ हमने आरोप लगाया है उसके न्यायोचित में उनका ट्रांसफर करेंगे ताकि निष्पक्ष रूप से जांच हो सके और आवश्यक कागजों को गोलमाल न कर सकें ।

श्री बलदेव सिंह आर्य---

जो आवश्यक कार्यवाही होगी जिसमें यदि अधिकारियों का ट्रांसफर करना आवश्यक होगा तो उनको ट्रांसफर भी कर दिया जायेगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर अधिकारियों का ट्रांसफर होगा या नहीं इसका जवाब मंत्री जी से दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष---

जवाब दे दिया गया है ।

*8---श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर 6 ठे मंगवलवार के लिये प्रश्न संख्या 21 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*9---श्री शिवानन्द नौटियाल---

[6 ठे मंगलवार के लिये स्थगित]

*10---श्री शिव प्रसाद---

[7 वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के सहकारिता विभाग द्वारा नियंत्रित दुग्धशालाओं का बन्द होना

*11---श्री शिव प्रसाद गुप्त (जिला आगरा)---

क्या शासन बताने का कष्ट करेगा कि सहकारिता विभाग द्वारा नियन्त्रित इस प्रदेश की कौन-कौन सी दुग्धशालायें बन्द हैं और क्यों ? इनम सरकार की लागत क्या है और यदि यूनियन का धन लगा है तो वह कितना है और सरकार द्वारा इन बन्द दुग्धशाला को पुनः चलने के लिये क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं और यह कब से अपना कार्य प्रारम्भ कर देंगे ?

श्री राज मंगल पांडेय---

सहकारिता विभाग द्वारा नियंत्रित गोरखपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि- गोरखपुर, बरेली दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, बरली मथुरा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ मथुरा की दुग्धशालायें तथा राजकीय दुग्धशाला आगरा बन्द है ।

अन्य विवरण संलग्न है ।

(देखिय नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 655 पर ।)

श्री शिव प्रसाद गुप्त---

क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि उन्होंने आगरा की डेरी इसलिये बन्द कर दी गई कि उसने पूरी क्षमता से कार्य नहीं किया । तो मंत्री जी ने कितनी क्षमता आंकी थी, कितना दूध एकत्र करने की उसकी क्षमता थी ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, क्षमता तो इसी से विदित है कि उसमें सरकार का 13,41,100 रु0 खर्च हुआ और जो उससे रिटर्न आ रहा था वह इतना कम था तथा उसकी इफीशियेन्सीज इतनी गिर गई थी कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उसको बन्द करने के दो कारण थे एक तो उसकी इफीशियेन्स गिर चुकी थी और दूसरे वर्किंग कैपिटल उतनी होना, जिसके लिये सरकार तैयार नहीं हो सकी।

श्री शिव प्रसाद गुप्त—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। माननीय मंत्री जी ने फर्माया कि क्षमता इतनी कम हो चुकी थी जिससे डेयरी को चालू नहीं रख सकते थे। आगरा में यह सरकार की डेयरी थी और यूनियन की डेयरी है। यूनियन की डेयरी में कभी नुकसान नहीं है लेकिन सरकार की डेयरी में नुकसान निरन्तर होता रहा। जो राजकीय डेयरी का मैनेजर था वह यूनियन का सेक्रेटरी था। यूनियन को जो अब तक फायदा हुआ वह इस प्रकार है:

				रु0
1967–68	..	..	..	17,000
1968–69	..	..	..	8,000
1969–70	..	..	..	26,658
1970–71	..	..	..	33,000

दूध की हमारे यहां कमी है। 5-4 प्राइवेट डेयरीज जब चल रही है तो सरकारी डेयरी को क्यों बन्द कर दिया गया उसका क्या औचित्य है।

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि अब तक 12 लाख 37 हजार 875 रुपये की हानि हो चुकी है। यह एक ऐसी डेयरी थी जिसमें यूनियन का एक भी पैसा नहीं लगा था।

श्री शिव प्रसाद गुप्त—

राजकीय डेयरी में यूनियन का कोई शेयर नहीं है तो उससे हानि का क्या सम्बन्ध है।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो लगभग 13 लाख रुपये का नुकसान के जो आंकड़े उन्होंने दिये हैं वह कितने वर्षों के हैं और क्या उसको निरन्तर हानि हो रही थी जिसकी वजह से उनको मजबूर होकर बन्द करना पड़ा?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, सन् 1963 में इस डेयरी ने कार्य करना शुरू किया और 71-72 को जो आंकड़े हैं मेरे पास उसके अनुसार अब तक 12,37,875 रुपये की हानि हो चुकी है। इस डेयरी को हमने जनवरी 74 से बन्द किया है। मान्यवर, जैसा मैं कह चुका हूं इसको इसलिये बन्द कर देना पड़ा क्योंकि इसकी क्षमता नहीं है और सरकार अब वर्किंग कैपीटल लगाने को तैयार नहीं है। मेरे पास वर्ष प्रति वर्ष के आंकड़े नहीं हैं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

गोरखपुर में जो डेयरी लगाई गई थी वह भी बर्बाद हो चुकी है तो उसमें कितना घाटा चुका है और कितना धन वहां पर है?

श्री राज मंगल पांडेय--

गोरखपुर में अब तक 92,003 रुपये का घाटा हो चुका है। यह 1973-74 तक अनुमानित है।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि बरेली की डेयरी जो 3 वर्ष पहले ही बन्द हो चुकी है लेकिन अभी पिछले वर्ष में उसमें लाखों रूपये की मरम्मत फिर से कराई गई है तो क्या उस डेयरी को फिर से चालू करने का विचार है ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि उसमें फिर से पैसा लगाया गया है। म माननीय सदस्य की बातों को नोट किये लेता हूं और इस सम्बन्ध में जानकारी करना चाहूंगा। हमारी मान्यवर, जो दिक्कत है वह यह है कि लगातार घाटा लगता है तो सरकार की जो पोजीशन है उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट यह कहता है कि वर्किंग कैपीटल नहीं दिया जा सकता। अगर जरूरत है तो इन्स्टीट्यूशनल फाइनेंस से पैसा लेकर लगावें।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि गोरखपुर में जो दुग्धशाला थी वहां जिन कारणों से घाटा हुआ तो क्या उन कारणों की जांच होगी और जो लोग उसके लिय जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। दूसरा प्रश्न यह है कि जो सामान बाकी है उसका दखभाल नहीं हो रही है और नुकसान होने वाला है ?

श्री राज मंगल पांडेय--

इन सब दुग्धशालाओं की बंदी का कारण यह था कि इनकी कार्यक्षमता गिर गयी थी, तकनीकी अधिकारियों की कमी थी और कुप्रबन्ध था। इस बात की कोशिश है कि और अधिक घाटा न हो। इनसे कहा जा रहा है कि अगर इंस्टीट्यूशनल फाइनेन्स से पैसा लेकर ये चला सकती हैं तो चलायें।

श्री शिव प्रसाद गुप्त--

आगरे की डेरी ने 40 हजार रुपया वापस किया और लागत के लिये कोई रुपया नहीं मांगा। अभी मंत्री जी ने कहा कि सरकार के विचाराधीन ह लेकिन उन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि सरकार और रुपया लगाने के लिये तैयार नहीं है। जब सरकार रुपया लगाना नहीं चाहती तो फिर सरकार के विचाराधीन क्या है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)--

बरेली की दुग्ध डेरी तीन वर्ष से बन्द है और वहां का स्टाफ बराबर काम कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि उस डरी पर कितना रुपया बाकी है और कब तक उसका भुगतान हो जायगा ?

श्री अध्यक्ष--

जसा कि गोरखपुर और आगरे के बारे में बताया वैसा ही उसके बारे में है।

अलीगढ़ की नगरपालिका के सेनीटरी इन्स्पेक्टर्स का स्थानान्तरण

*12—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला अलीगढ़ की नगरपालिका में ऐसे कौन-कौन 'फूड एन्ड सेनीटरी इन्सपेक्टर्स' हैं, जिन्हें एक ही नगरपालिका में कार्य करते लगभग 6 वर्ष अथवा उससे अधिक समय व्यतीत हो चुका है और इतनी दीर्घ अवधि के उपरान्त भी उनको स्थानान्तरित न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

जिला अलीगढ़ की नगरपालिका अलीगढ़ में दो सफाई निरीक्षक श्री राघवेन्द्र कुमार सक्सेना व श्री मुन्नी लाल गोयल तथा नगरपालिका बरेली में श्री पी0 के0 सक्सेना लगभग 6 वर्षों से कार्यरत हैं । उक्त सफाई निरीक्षकों के कार्यकाल में कोई ऐसी बात नहीं हुई है जिससे कि उनका उक्त नगरपालिका से स्थानान्तरण कर दिया जाता ।

श्री कल्याण सिंह—

मंत्री जी के उत्तर से संबंधित । अतरौली मेरे क्षेत्र में पड़ता है इस लिये अपनी जानकारी और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि वहां सेनीटरी इंस्पेक्टर पिछले छः वर्षों से और 50 हजार रुपया उसने कमाया है । उसका मासिक बंधा हुआ है । जनता को अच्छी चीजें खाने को नहीं मिलती । इतनी लम्बी अवधि के बाद क्या उनका स्थानान्तरण, करने का सवाल सरकार के विचाराधीन है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

सवाल के जवाब में बतलाया जा चुका है कि इनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है । अब यह तय किया है कि ऐसे अधिकारी जो आठ वष के ऊपर हों उनका ट्रांसफर किया जाय । इन्हें अभी छै साल हुए हैं ।

श्री कल्याण सिंह—

मैं अपनी जानकारी से कह रहा हूं कि पी0 के0 सक्सेना सेनीटरी इंसपेक्टर ने 50 हजार रुपया कमाया है । आप उनकी कोठी में जायं तो वह सजावट मिलेगी जो कि मंत्री जी कोठी में नहीं होगी । इनके निजी स्वार्थ बन गये है और दलबन्दी में फंसे हुए हैं ।

श्री राजमंगल पांडेय—

केवल इसी बिना पर कि कोठी बन गयी कोई पर्याप्त कारण ट्रांसफर करने का नहीं । अगर आप लिखित दगे तो जांच करा लेंगे ।

(एक सदस्य के श्री अध्यक्ष तथा मंत्री जी के बीच खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

यह निवेदन है कि जब कोई वक्ता, चाहे वह कोई मंत्री हो या कोई सदस्य हो. . .बोल रहा हो, तो उसके और अध्यक्ष के बीच से नहीं जाना चाहिये ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं । माननीय राजमंगल पांडेय जी ने अभी उत्तर, दिया, उससे मैं पूर्णतयः असंतुष्ट हूं । यह एक जन प्रतिनिधि की लिखित रिपोर्ट है । मैं जानता हूं कि उक्त सेनेटरी इंस्सपेक्टर ने पचासो हजार रुपये बनाने और यह से लेबुल पोस्ट है और और मेडिकल डिपार्टमेंट में इसके लिये बड़ी दौड़धूप होती है । मैने इसके बारे में अपन जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन की स्पीच में भी जिक्र किया था । जब कोई उधर का जन प्रतिनिधि कहता है

तो उसकी बात मानकर ट्रांसफर कर देते है लेकिन चूंकि यह जन प्रतिनिधि चूंकि विरोधी पक्ष का है, इसलिये आपने 8 वर्ष का नियम लगा दिया, तो मान्यवर, यह चीज कहां तक न्यायसंगत है। पचासों हजार इस सेनेटरी इंस्पेक्टर ने कमाये है। साधारण से एडल्ट्रेशन के लिये 20 वर्ष की सजा रखी गयी है। लेकिन आपने इस जन प्रतिनिधि की बात इसलिये नहीं मानी, क्योंकि वह जनसंघ से आ रहा है, और इसलिये उसकी रिपोर्ट गलत होगी। अगर इस तरह से हम लोगों के साथ यहां व्यवहार किया जायेगा तो, मान्यवर, जनता में हम लोगों की क्या तस्वीर होगी। उधर का एक मामूली सा जन प्रतिनिधि अगर कह देता है, तो ट्रांसफर हो जाता है लेकिन हम न्यायसंगत बात भी कहेंगे तब भी वह नहीं मानी जायेगी। यह तो विरोधी पक्ष का गला घोटना है। यह, मान्यवर, महान खेद की बात है, और मैं इनसिस्ट करता हूं, कि एक जन-प्रतिनिधि सदन में मौजूद है, लेकिन उसकी बात टाल दी जाती है और कह दिया जाता है कि 8 वर्ष बाद करेंगे।

श्री अध्यक्ष--

आप तो उस पर अत्यधिक जोर दे रहे है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, ये इस तरह प्रशासन नहीं चला सकते हैं। इस तरह तो हम लोगों का यहां बैठना ही बेकार है।

अतारांकित प्रश्न

1-3--श्री जंगबहादुर--

[माननीय सदस्य ने वापस लिया।]

कोंच ब्लाक जालौन को पुनः खोलने पर विचार

4--डाक्टर मलखान सिंह (जिला जालौन)--

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला जालौन में कोंच ब्लाक पुनः खोलने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक खुल जायगा?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी नहीं।

मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

माननीय राम जनम राय ने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है। माननीय राम जनम राय का कहना है कि बिधान सभा के द्वितीय सत्र, 1974 के तीसरे मंगलवार के लिये निर्धारित मेरे तारांकित प्रश्न संख्या 5 के लिखित एवं मौखिक उत्तर देते हुये माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में बताया कि सम्बन्धित मामलों की जांच पुलिस नहीं कर रही है। यह बिल्कुल असत्य एवं असलियत को छिपाना है। मैं इस सम्बन्ध में निश्चित जानकारी रखता हूं, जो निम्न प्रकार है:--

"दिनांक 23 अप्रैल, 1974, को वरिष्ठ कृषि निरीक्षक (सहकारिता) जिला सहायक निबन्धक, कार्यालय, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, गाजीपुर, ने अपने पत्रांक 519(3), दिनांक 23 अप्रैल, 1974 को थाना अध्यक्ष नोनहरा, जनपद गाजीपुर, को लिखित सूचना भेज कर

[श्री अध्यक्ष]

बैंक द्वारा सहकारी समिति कादीपुर के सदस्यों में वितरित 79420.92 रुपये के अपहरण करने का आरोप लगाकर सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा कायम कर आवश्यक कार्यवाही करने का निवेदन किया । इस सूचना को आधार मानकर थाना नोनहरा में मुकदमा कायम हो गया, जिसकी जांच पुलिस सेल, सहकारिता, वाराणसी द्वारा हो रही है तथा सम्बन्धित व्यक्तियों की एन्टीसिपेटरी बेल का प्रार्थना-पत्र जिला जज, गाजीपुर ने माह मई, 1974 में अस्वीकृत कर कर दिया और अब उच्च न्यायालय द्वारा उनकी जमानत हो गई है"।

अब इसमें यह कह रहे हैं कि पुलिस सेल (सहकारिता) और मुख्य मंत्री ने कहा है पुलिस नहीं कर रही है । आपका इस पर स्पष्टीकरण मांगा जायेगा ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

मान्यवर...

श्री अध्यक्ष---

आप मुझसे बात करलें । मैं इजाजत नहीं देता । सवाल इस सदन से सम्बन्धित नहीं है...

श्री त्रिवेणी सहाय---

पत्र आपको लिखकर दे दिया है...

श्री अध्यक्ष---

किसी भी पत्र में कोई उल्लेख जब करते हैं, जिसमें माननीय अध्यक्ष की जानकारी निहित समझते हैं, तो उससे बात करलें, और तब कोई चीज सदन में उठायें । आप मुझसे बात करलें ।

औचित्य यही है और आप तो नियम भी जानते हैं कि कोई सवाल जिसमें आप समझते हैं अध्यक्ष उससे सम्बन्धित है तोउसे पूछ लें आप । इसलिये इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। इसे मैं भेज रहा हूं स्पष्टीकरण के लिये, तब इसके बाद इस पर निर्णय होगा ।

बिक्री-कर कर्मचारियों की सेवा समाप्त किये जाने के संबंध में वक्तव्य

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

बिक्री-कर कार्यालयों में लिपिकों की भर्ती हेतु नियुक्ति विभाग द्वारा जारी किये गये राज्यादेश में निहित आदेशों के अन्तर्गत बिक्री-कर आयुक्त द्वारा वर्ष 1968 के बाद कोई परीक्षा नहीं ली गई । 1972 में बिक्री-कर के बढ़ते हुये काम को देखते हुये तथा करापवंचन रोकने के उद्देश्य से शासन ने बिक्रीकर अधिकारियों एवं सहायक बिक्री-कर अधिकारियों के अतिरिक्त पदों का सृजन किया और उसके साथ ही लिपिक वर्ग के कर्मचारियों के पद भी स्वीकृत किये गये । साथ ही शासन ने यह भी आदेश पारित किया कि लिपिकों के पद पर भर्ती हेतु नियुक्ति विभाग द्वारा जारी किये गये राज्यादेश के अनुसार परीक्षा का आयोजन किया जाये । तदनुसार सितम्बर, 1972 में समाचार-पत्रों में विज्ञापन निकाले गये तथा समस्त सहायक आयुक्तों को आदेश भेजे गये कि वे विभाग में कार्यरत उन लिपिकों को भी परीक्षा में बैठने दें जो 1-10-1969 के बाद विभाग में तदर्थ रूप से नियुक्त किये गये थे । यह परीक्षा नवम्बर, 1972 में आयोजित की गई एवं सहायक आयुक्तों के मुख्यालय पर अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने के आदेश दिये गये । इस प्रकार आगरा, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद तथा लखनऊ में परीक्षा का प्रबन्ध किया गया । इस परीक्षा में विभागीय व बाह्य मिला कर 3,262 अभ्यर्थी बैठे ।

2—उपर्युक्त परीक्षा के परीक्षाफल घोषित होने के पूर्व ही विभाग में कार्यरत कुछ लिपिकों ने माननीय उच्च न्यायालय में इस आशय की याचिका दायर की कि 1-10-1968 से पूर्व कार्यरत ऐसे कर्मचारियों को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये नहीं कहा गया जो 1-10-1969 से पूर्व विभाग में काम कर रहे हैं पर किसी प्रकार की परीक्षा पास नहीं है । इस प्रकार विभाग में कार्यरत कर्मचारियों में भेद-भाव पैदा किया गया है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये शासन के न्याय विभाग से परामर्श लेने के उपरान्त इस श्रेणी के कर्मचारियों को भी परीक्षा में बैठने के लिये आदेश दिये गये और उनके लिये एक अनुपूरक परीक्षा अगस्त, 1973 में आयोजित की गई । इसमें 63 विभागीय अभ्यर्थी बैठे ।

3—उपर्युक्त दोनों परीक्षाओं का स्तर समान रूप से रखा गया जिससे चुनाव करने में किसी प्रकार का भेदभाव न हो ।

4—परीक्षा के आधार पर जो अभ्यर्थी योग्य पाये गये उनकी सूची 14 जून, 1974 को प्रकाशित कर दी गई ।

5—1972 में परीक्षा लेने के पूर्व बिक्रीकर विभाग में लिपिक वर्गीय सम्वर्ग (रु0100-180 वर्तमान रु0 200-320) के वेतन-क्रम में शासन द्वारा स्वीकृत पदों की संख्या 1607 थी जिसमें अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व 18 प्रतिशत के हिसाब से 289 होना चाहिये था पर उस समय विभाग में केवल 87 अनुसूचित जाति के कर्मचारी कार्यरत थे । अतएव शासनादेश दिनांक 18-7-72 के अनुसार अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को 25 प्रतिशत स्थान सुरक्षित करना आवश्यक था । इसी प्रकार की सूचना विज्ञापन द्वारा प्रकाशित की गई थी । जिस समय नवम्बर, 1972 में परीक्षा का आयोजन किया गया उस समय विभाग में 490 पद उपलब्ध थे जिन पर परीक्षा के आधार पर भर्ती आवश्यक थी ।

6—1972-73 की परीक्षा में कुल 3325 अभ्यर्थी सम्मिलित हुये और 702 अभ्यर्थियों ने न्यूनतम निर्धारित 50 प्रतिशत से अधिक अंक पाये । 490 उपलब्ध पद से शासनादेश एवं विज्ञापन के अनुसार 122 पद अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये सुरक्षित थे लेकिन परीक्षा में केवल 14 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी सफल हुये । अतएव 109 स्थान अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये सुरक्षित रख लिये गये और 10 स्थान अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के लिये सुरक्षित करके 372 सफल अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की गई ।

प्रश्न 1—माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया है कि विभिन्न राजकीय आदेशों के अनुसार कोई भी नियुक्ति सेवायोजन कार्यालय से सूची मंगाकर ही की जानी चाहिये, लेकिन बिक्रीकर आयुक्त ने ऐसा नहीं किया यह सही है कि सेवा योजना कार्यालयों से नाम नहीं मांगे गये परन्तु अभ्यर्थियो से प्रार्थना पत्र मांगने के लिये जो विज्ञापन निकाला गया था उसमें यह सूचना प्रसारित की गई थी कि जो अभ्यर्थी अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें उनके नाम सेवायोजन में दर्ज होना आवश्यक है । इस प्रकार स्पष्ट है कि विभागीय अभ्यर्थियों के अलावा सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत व्यक्तियों को ही परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया गया । न्याय विभाग का मत है कि सेवायोजन कार्यालय से नाम न मांगने के कारण परीक्षायें अवैध नहीं हैं । यह प्रश्न नवम्बर, 1972 में परीक्षाओं से पूर्व मुंसिफ वाराणसी के यहां प्रस्तुत इन्जेक्शन प्रार्थना पत्र में भी उठाया गया था, परन्तु मुंसिफ ने स्थगन आदेश नहीं दिया और प्रार्थना पत्र पर जोर नहीं दिया गया । मुन्सिफ ने मुकदमा खारिज कर दिया ।

प्रश्न 2—माननीय सदस्य ने यह भी प्रश्न उठाया है कि "परीक्षायें दो भिन्न महीनों में दो स्टैन्डर्ड से ली गई लेकिन परीक्षाफल एक साथ घोषित किया गया ।"

यह सही है कि परीक्षायें दो बार आयोजित करनी पड़ीं पर ऐसा करना माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिका में उठाये गये प्रश्नों के देखते हुये आवश्यक था । पर यह सही

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

नहीं है कि दोनों परीक्षाओं का स्तर अगल-अलग था । दोनों परीक्षाओं का स्तर समान रखा गया था और एक ही स्तर से कापियां जांची गई थी । इस प्रकार की व्यवस्था से किसी अभ्यर्थी को न तो कोई अनुचित लाभ प्राप्त हुआ और न ही अनुचित हानि उठानी पड़ी है । चूंकि अगस्त 73 की परीक्षा 1972 की परीक्षा की अनुपूरक थी अतएव परीक्षाफल एक साथ घोषित करने में कोई अनियमितता नहीं हुई । वस्तुतः यह विधिक राय व माननीय उच्च न्यायालय में बिक्री-कर आयुक्त की ओर से दाखिल किये गये काउन्टर एफिडेविट में दिये गये आश्वासन के अनुरूप था ।

प्रश्न 3—माननीय सदस्य ने तीसरा प्रश्न यह उठाया कि "परीक्षार्थियों को 10 बजे प्रातः बुलाकर 3 बजे रात्रि तक टाइप की परीक्षा ली गई जिससे प्रातः 10 बजे टाईप करने वाले की अपेक्षा रात्रि के तीन बजे टाइप करने वालों की निपुणता पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा" । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि इस नवम्बर, 1972 की परीक्षा 3262 परीक्षार्थी सम्मिलित हुये और यह परीक्षायें क्षेत्र के सहायक आयुक्तों के मुख्यालय पर आयोजित की गई थी । टाइप राइटरों की कमी के कारण कुछ अभ्यर्थियों को टंकण की परीक्षा देने के लिये देर तक इन्तजार करना पड़ा पर ऐसी परिस्थिति थोड़े ही स्थानों पर हुई है और इससे कुछ अभ्यर्थियों को असुविधा अवश्य हुई है परन्तु उनकी दक्षता एवं कार्यक्षमता के मूल्यांकन में कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा । वाराणसी में अवश्य टंकण परीक्षा अर्धरात्रि के बाद तक चली, पर दूसरी ओर लखनऊ में जब देर होने की संभावना हुई तो परीक्षा दूसरे दिन के लिये स्थगित कर दी गई । टाइप राइटरों के आधार पर परीक्षार्थियों की टुकड़िया बना दी गई थीं, और जब वह सुबह टाइप की परीक्षा देने आये थे तो उन्हें स्थिति का अन्दाजा लग गया था कि लगभग किस समय परीक्षा देना है ।

बिक्रीकर विभाग में कार्यरत वे कर्मचारी जो 1972/73 की परीक्षा में बैठे हैं एवं सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित है वे अपने पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे । जो कार्यरत कर्मचारी परीक्षा में नहीं बैठे या प्रतियोगिता में उत्तीर्ण नहीं हुये उनकी सेवायें समाप्त करनी पड़ सकती है । इस बात पर विचार किया जा रहा है कि उनके लिये एक विशेष अर्हकारी परीक्षा आयोजित करके उन्हे एक अवसर और प्रदान किया जाय ।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो विवरण दिया है उसी के क्रमानुसार में आपके माध्यम से उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी ने कहा कि 1-10-1969 के बाद जो कर्मचारी एड-हाक रूप में नियुक्त किये गये थे । उनकी परीक्षा नवम्बर, 1972 में ली गई । मान्यवर, नियम यह है कि जो एडहाक नियुक्तियां हुई हों उनकी स्थायी नियुक्ति तभी की जायेगी जब उनका विधिवत टेस्ट हो जायेगा तो मेरा पूछना यह है कि 1969 से पहले के जो कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं उनको क्यों छूट ी गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, जो भरती के नियम 1965 के हैं उसके नियम 7 (3) में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति से की जा सकती है जिन्होंने परीक्षा न दी हो, परन्तु उनको आगे नौकरी में बनाये रखना इस बात पर निर्भर होगा कि वह अगली परीक्षा में बैठें और चुन लिये जायं" ।

श्रीमन्, जो विभागाध्यक्ष है उनको यह भी अधिकार है कि अगर कोई लिपिक छुट्टी पर जाता है तो उसकी जगह पर एड-हाक नियुक्ति कर सकता है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, इसे तो मैं भी स्वीकार करता हूं कि एडहाक नियुक्ति आकस्मिक ही होती है किन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि अक्तूबर 1969 के बाद के लोगो की ही क्यों परीक्षा ली गई उसके पहले के लोगों की क्यों नहीं परीक्षा ली गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

यह माननीय सदस्य का कथन सत्य है कि उनकी परीक्षा पहले ही हो जानी चाहिये थी।

(श्री ओम प्रकाश सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आपके प्रश्नो के उत्तर तो विस्तृत रूप से दिये गये हैं...

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, आज इस तरह की अनियमिततायें सामने आई हैं जिसे कि माननीय मंत्री जी ने भी माना है। तो क्या वे बतायेंगे कि भविष्य में ऐसी अनियमिततायें न की जायं और परीक्षाओं का स्टैन्डर्ड समान रखा जाय ?

मान्यवर, मैं आप और सदन के सामने यह प्रश्न रखना चाहता हूं कि पहली परीक्षा में जो नवम्बर में ली गई थी, उसमें टाईप-राइटिंग परीक्षा के लिये प्रिन्टेड पेपर्स दिये गये थे, किन्तु दूसरी वाली परीक्षा में साइक्लोस्टाइल्ड पेपर्स थे और जिसमें एक के लेटर छोटे और दूसरे के बड़े थे तो इस प्रकार से दोनों परीक्षाओं में बैठने वाले व्यक्तियों की टाइप करने की स्पीड में अन्तर हो गया, तो क्या सरकार इसे दो प्रकार का स्टेन्डर्ड या मापदंड नहीं मानती है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, माननीय सदस्य को जो विस्तृत जानकारी है, उसके लिये धन्यवाद। उन्होंने मुझे स्वयं अवगत कराया था। मैंने जानकारी की है और एक्जामिनर्स के नाम वगैरह भी मंगाये हैं। और उनके सुझाव पर जो लोग नहीं बैठ सकें उनको एक मौका और देने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर भी कोई विस्तार की बात होगी तो हम लोग कहीं बैठ लेंगे और उनके साथ उस पर विचार कर लेंगे।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

ऐसी बात थी तो वह हमें बुला लेते पहले ही कमरे में सब बात हल हो जाती, यहां यह वक्तव्य वगैरह ही देने की क्या आवश्यकता थी।

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो दि एम्पलायमेंट एक्चेंज कम्पलसरी नोटिसफिकेशन ऐक्ट 1959 के सेक्शन 4 में यह स्पष्ट प्राविधान है कि जितनी भी एडहाक नियुक्तियां या जो भी लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के पद है, उन पर भर्ती हेतु एम्पलायमेंट एक्सचेंज के थ्रू नोटिफिकेशन किया जाय, यह आदेश पालन करना अनिवार्य है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर तो उसमें दिया है।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

इसके बारे में नहीं लिखा हुआ है, मैं यहां पूछ रहा हूं कि नियम अब भी स्टेन्ड करता है या नहीं ? इसे वह मानते है या नहीं ? क्योंकि कहा गया है कि--न्याय विभाग का मत है कि सेवायोजन कार्यालय से नाम के कारण परीक्षायें अवैध नहीं है।'

श्री अध्यक्ष--

आपने विस्तृत अध्ययन किया है । किन्तु मंत्री जी ने जो आपको दिया है, उसको आपने नहीं पढ़ा है । जो आप सवाल कर रहे है, उसका पहले प्रश्न में उत्तर है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

इसमें मेरा जवाब नहीं है मान्यवर, आप सन्तुष्ट कर दें, मान लूंगा ।

श्री अध्यक्ष--

नहीं अब इसके लिये गुंजायश नहीं है । दूसरों के लिये भी...

श्री ओम प्रकाश सिंह--

अच्छा यह बता दें कि सभी परीक्षार्थी जो भरती हुये है क्या वे सभी एम्पलायमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है ? और क्या इसके लिये उनका प्रमाण-पत्र प्रार्थना-पत्र के साथ दर्ज है ?

श्री अध्यक्ष--

आप इसको ठीक से पढ़ लें और फिर कर लें । जवाब आपके माफिक नहीं है, यह हो सकता है । अब अगर आप चाहते है कि मंत्री जी का मन बदल दें, दिमाग बदल दें, तो इसके लिये दूसरा माध्यम है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मंत्री जी का मैं बडा आदर करता हूं, मैं उनका मुख्य मंत्री से भी अधिक आदर करता हूं । इसलिये मैं पूर्ण विश्वास से आया था कि मेरे सभी प्रश्नो का उत्तर मंत्री जी से एक-एक करके ठीक से मिल जायगा और जो हमारी शंका रह जायगी, उनका भी मंत्री जी समाधान कर देंगे । मंत्री जी उत्तर देना चाहते है, लेकिन आप नहीं देने दे रहे है ।

श्री अध्यक्ष--

आप का प्रश्न अच्छा है, आपको जानकारी पूरी है । इसलिये आप पूरी जानकारी के साथ मंत्री जी से बात कर लें । आप के सुझाव अच्छे है, यही ठीक रहेगा ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

मंत्री जी के वक्तव्य से सम्बन्धित 1-10-69 से पहले के भी कुछ कर्मचारी है, जो इस परीक्षा को पास नहीं कर पाये और आप उन्हें एक पुनः अवसर देना चाहते है, तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी कोई सम्भावना नहीं हो सकती है कि बगैर परीक्षा लिये हुये इन कर्मचारियों को कार्यरत रहने दिया जाय ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

माननीय सदस्य सहमत होंगे कि 492 जगहों में 379 को परीक्षाओं के आधार पर रखा गया है तो यह उचित नहीं होगा कि इनको बिना परीक्षा के रख दें । हम विचार कर रहे हैं कि इनको एक मौका और परीक्षा का दिया जाय ।

श्री कल्याण सिंह (जिला जालौन)--

इसमें जो अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित किये गए, आपके विज्ञापन में था कि जो सेवा योजना कार्यालय में रजिस्टर्ड होंगे वही प्रार्थना-पत्र दे सकेंगे, क्या आपने जांच कर ली है कि जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे सभी नाम सेवा योजना कार्यालय में रजिस्टर्ड थे ? यदि हां, तो क्या प्रमाण-पत्र आपने मांगा था उसके लिए ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

मैंने जो इस सम्बन्ध में जांच की, मैंने सब कागजात भी मंगवाये, नेशनल हेराल्ड में एडवर्टिजमेंट छपा था 30 सितम्बर, 1972 को। उसमें यह लिखा है--दि नेम आफ दि कैंडीडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड इन दि लोकल एम्प्लायमेंट एक्सचेंज। जो सेल्स टैक्स कमिश्नर की रिपोर्ट आई है सभी का नाम पंजीकृत था।

श्री अध्यक्ष--

नियम 56....

श्री ओम प्रकाश सिंह--

केवल एक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष--

जिन सदस्यों को दिलचस्पी है इस पर बात कर लीजिये। आप की चाहे जितनी शक्तिशाली तर्कना हो आप उनके मन को बदल नहीं सकेंगे। बदल दें तो अच्छा है।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

क्या माननीय मन्त्री महोदय माननीय मुख्य मन्त्री से आज से आदेश दिलवायेंगे कि जो परीक्षायें हों वह निश्चित रूप से सेवा योजन..

श्री अध्यक्ष--

यह सवाल ठीक नहीं है। क्योंकि नियम से सम्बन्धित है। नियम है। इस सवाल का कोई औचित्य नहीं है। जोनियम है सरकार से ऐसी आशा की जाती है कि उसका व्यवहार होगा ही।

डाक्टर मलखान सिंह (जिला जालौन)--

जो कर्मचारी विभाग में पहले से कार्यरत हैं, जिनकी एडहाक नियुक्ति की गई थी, उनके लिए एक स्पेशल टेस्ट लिया जायगा। मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि जो 108 अनुसूचित जाति के लिए और 10 अनुसूचित जनजाति की भर्ती के लिए 118 स्थान रिक्त छोड़ दिये हैं, उनके लिए 50 परसेंट अंक प्राप्त करने की शर्त रख दी है। क्या इन 118 जगहों के लिए स्पेशल टेस्ट ले कर भरती किया जायगा या एडहाक नियुक्ति करके उनके अवसर को दूसरों को दिया जाता रहेगा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

जो अनुसूचित जाति के लिए 108 स्थान हैं और अनुसूचित जन जाति के लिए 10 स्थान हैं, इन 118 स्थानों के लिए विशेष परीक्षा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए ली जायगी और केवल उन्हीं से ये स्थान भरती किये जायेंगे।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 में सूचनाएं, एक तो माननीय मन्नालाल की है। नहीं हैं। माननीय रामचरण शाह, नहीं हैं। एक सूचना माननीय शतरुद्ध प्रकाश, माननीय मधुकर दिघे, माननीय रामपाल सिंह यादव और माननीय रामरति विन्द की है। वह यह है--आज कल 'अपोलो सर्कस' दिखाया जा रहा है। लेकिन अफसोस है कि सर्कस के संचालकों द्वारा

[श्री अध्यक्ष]

रोज-रोज लिख कर, लाउड स्पीकर द्वारा और इतना ही नहीं लखनऊ स्थित आकाशवाणी के केन्द्र से भी यह प्रचार किया जा रहा है कि अपोलो सर्कस विक्टोरिया पार्क में लगा हुआ है। विक्टोरिया पार्क का नाम बदल कर लोहिया पार्क हो गया है, तो लोहिया पार्क क्यों नहीं कहते हैं।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मुझे इजाजत दें मैं कुछ कहूं। अध्यक्ष महोदय, यह सवाल जितना ऊपर से देखने में छोटा लगता है उतना नहीं है। इसका सम्बन्ध कानून, व्यवस्था और राष्ट्रीयता से है। यह देशी और परदेशी वाला सवाल है। महारानी विक्टोरिया प्रशासक का ही नाम नहीं है...

श्री अध्यक्ष--

इसमें कोई दो राय नहीं है कि वह गलती से ऐसा कहते हैं बल्कि आकाशवाणी से इसका प्रसारण हुआ है। इसको देख लिया जाय।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, आकाशवाणी से इसका प्रसारण होता है और नगरपालिका प्रशासक है इसलिए इसमें शासन सीधा आ जाता है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

उनको नगरपालिका द्वारा परमीशन दी गई है और विक्टोरिया पार्क के नाम से प्रचार हो रहा है।

श्री अध्यक्ष--

इसको आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजे देते हैं।

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)--

मान्यवर, यह तो नाम को बदलने की साजिश की जा रही है। यह बहुत कलंक की बात होगी।

श्री अध्यक्ष--

जो सरकस वाला है उसके संचालक रोज-रोज लिखकर और लाउड स्पीकर द्वारा प्रचार करते हैं। क्या आपने इसको सुना है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

श्रीमन, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शुक्रवार के दिन मैंने अपने कानों से सुना है।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजे देते हैं।

(व्यवधान)

चौधरी रामपाल सिंह यादव--

मान्यवर, इसके विरोध में हमारा दल 10 मिनट के लिए सदन का त्याग करता है।

(चौधरी रामपाल सिंह यादव अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गए।)

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मान्यवर, मैं भी सदन का त्याग करता हूं।

(श्री शतरुद्ध प्रकाश सदन त्याग कर चले गए।)

[× × ×]

1974-75 के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या 28--शिक्षा तथा अनुदान संख्या 88--ऋण और अग्रिम-शिक्षा (क्रमागत)†

*राजा रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा पर विचार किया जा रहा है। यह बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण विषय है। मैं समझता हूं कि इस पर प्रत्येक दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए। जिससे जो शिक्षा प्रणाली में गड़बड़ियां चली आ रही हैं वह दूर की जा सकें। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि शिक्षा प्रणाली के सम्बन्ध में बार-बार कहा जाता है कि इसमें सुधार किया जायगा, आमूल परिवर्तन होगा किन्तु अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। शिक्षा प्रणाली में मामूली परिवर्तन तो क्या साधारण परिवर्तन भी नहीं किया गया है। लार्ड मैकाले ने शिक्षा प्रणाली इसलिए हमारे देश में चलाई थी कि हम भारतीय लोग थोड़े समय में रंग में भारतीय रहे लेकिन ढंग में विदेशी हो जायं। शिक्षा प्रणाली कुछ न कुछ संशोधन होता रहता है लेकिन ऐसी बात देखने में आती है कि हम लोगों के विचार ऐसे होते जा रहे हैं कि जिनसे यह जान पड़ता है कि हम लोग भारतीयता का निर्माण करने में सफल नहीं हो रहे हैं अपितु इंडिया का निर्माण भले ही कर रहे हों।

हमारे यहां छोटे से बच्चों के लेकर बड़े बड़ों को देखा जाता है। मां-बाप भी अपने बच्चों से माता-पिता नहीं कहलवाते। वे डैडी, पापा आदि शब्दों का प्रयोग करवाते हैं। माता-पिता जैसे शब्दों का नाश किया जाने लगा है। हमारी शिक्षा को विदेशी बनाया जा रहा है। सुन्दर-सुन्दर शब्द जो हमारे यहां हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। मैंने देखा कि अच्छे पढ़े-लिखे लोगों के बच्चे पापा कहते हैं। मैंने पूछा कि तुम्हारे पिता ने कौन सा पाप किया है जो तुम पापा-पापा कहते हो। यह बहुत ही विचारणीय बात है। मैं देखता हूं कि शिक्षा के सम्बन्ध में जैसा कि मैकाले की नीति पर चल रहे हैं, महर्षि दयानन्द सरस्वती जी ने बतलाया कि चरित्र निर्माण के लिए प्रारम्भ से ही कार्य करना चाहिए, लेकिन ब्रह्मचर्य के विरुद्ध आज कितनी बात देखने में आती हैं। छोटे बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा नहीं मिल रही है। वे कुमार्ग पर चल रहे हैं। यही कारण है कि हमारे देश में सुधार नहीं हो रहा है। नवजवान है। वह कुमार्ग पर चल रहा है....

(श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय गर्ग कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

राजा रणंजय सिंह--

मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैंने इसके लिए प्रस्ताव भी दिया था जो पहले सेशन में आया था, किन्तु वह पेश नहीं हो सका। मैं शिक्षा मन्त्री जी से अनुरोध करना

[×××]श्री अध्यक्ष की आज्ञानुसार निकाल दिया गया।

†1 जुलाई, 1974 की कार्यवाही से।

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[राजा रणंजय सिंह]

चाहता हूं कि नवजवानों का पूरा ध्यान रखें। ब्रह्मचर्य के विरुद्ध अपने यहां कालेजों में ध्यान रखा जाये। वहां पर कोई ऐसा साहित्य न हो जो अश्लील हो। विद्यार्थी अश्लील साहित्य को पढ़ने में अधिक मन लगाते हैं। इसका असर हमारे नवजवानों पर बुरा पड़ रहा है। वह अपने माता-पिता तक को सहारा नहीं दे पा रहे हैं। रवीन्द्र नाथ टैगोर ने कहा था कि विद्यार्थियों को राजनीति से अलग रखा जाये उनको इसमें न घसीटा जाये। लेकिन आज उनको राजनीति में घसीटा जा रहा है यह अच्छा काम नहीं हो रहा है। तो बच्चों से ऐसे-ऐसे काम लिए जा रहे हैं। उनको शराब पिलाई जाती है उनके मुंह से चुनाव में अश्लील शब्द कहलाये जाते हैं। उसका परिणाम क्या होता है कि लड़ाई झगड़ा बढ़ता है। मेरा निवेदन है कि इस बात पर विचार किया जाय और इस पर प्रतिबन्ध भी लगाया जाये कि विद्यार्थी राजनीति में भाग न लें और यदि विद्यार्थी राजनीति या चुनाव में भाग लेते हैं तो उस चुनाव को अवैध माना जाय। समय कम है। मेरा यही अनुरोध है किसी भी दल के लोग जो विद्यार्थियों को घसीट कर अपना मतलब पूरा कराना चाहते हैं, वह न करें।

मैं साथ ही साथ यह भी निवेदन करूंगा कि उनके लिए जो सब बातें होती हैं उनके सुधार के लिए, चरित्र निर्माण के लिए हमारे कार्यक्रम बनाये जायं। उनको नैतिक शिक्षा दी जाय। धार्मिक शिक्षा का नाम लेते हुए बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि झगड़े की बात है परन्तु देखा जाय कि धर्म झगड़े के लिए नहीं है। वह तो सबके लाभ के लिए है। धर्म चाहे किसी भी धर्म का हो लेकिन धर्म का जो वास्तविक अभिप्राय है, वह सभी कहते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, ईमानदारी, चाल-चलन ठीक होना चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए। बुरी बातें नहीं होनी चाहिए। देखा यह जाता है कि लोग नैतिक शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो उसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं होता है। मैं यह देखता हूं कि अकसर छोटी-छोटी बातों में झगड़े होने लगते हैं लेकिन अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं इसलिए इस बात की बहुत आवश्यकता है कि उनको नैतिक शिक्षा दी जाय। स्कूलों और कालेजों में अच्छी-अच्छी शिक्षा दी जाय, वहां पर अच्छे-अच्छे विद्वान रखे जायं। स्कूलों और कालेजों में ऐसी शिक्षा दी जाय जिनसे कि वह समझें कि क्या उनका कर्त्तव्य है उनको क्या करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

माननीय (एक सदस्य के इधर से उधर जाने पर) डाक्टर साहब, मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप अधिक इधर से उधर जाते हैं। जो वक्ता बोलता है उसके और हमारे बीच में अवरोध नहीं होना चाहिए।

राजा रणंजय सिंह—

चाहे वह प्राइमरी के हों चाहे माध्यमिक के विद्यार्थी हों, चाहे वह आगे की शिक्षा के विद्यार्थी हों, छोटे से बड़े जितने भी कालेजेज हों, उनके अभिभावक से सम्बन्ध रखा जाय और बच्चों को सुधारने के लिए उपाय बनाये जायं, उन्होंने प्रोत्साहन दिया जाय। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि छोटी-छोटी बातों में शिक्षा में मतभेद हो जाते हैं। कहीं-कहीं भाषा के सम्बन्ध में, कहीं कुछ सम्बन्धों में मैंने देखा कि पढ़ाई के सम्बन्ध में ऐसी बातें आ जाती हैं कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाय। त्रिभाषा में कौन-कौन सी भाषायें पढ़ाई जायें। इस प्रकार मैं देखता हूं कि यह उस दिन एक महानुभाव माननीय, मित्र ने कहा नागरी लिपि के संबंध में, उसमें मैंने देखा, उसके सम्बन्ध में मैं दो बातें कह कर अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि

लाल बत्ती दिखा दी गई है। मैं यह श्रीमान जी के द्वारा कहना चाहता हूं कि इसमें कोई घड़ाने की बात नहीं है कि एक देश की एक लिपि हो। इस प्रकार से कौन सी भाषा हो, यह संविधान में निश्चित हो चुका है। इसका मतलब यह नहीं कि दूसरी भाषा नहीं चले, न पनपे। मैं तो कहता हूं कि संसार भर की भाषायें चलें। उर्दू के सम्बन्ध में यह तो मानी हुई बात है कि अति सर्वत्र बर्जयेत। कहीं बातें होने लगती हैं तो उसमें लोगों को चौकन्ना होना पड़ता है। उर्दू तो एक भाषा क्या, भाषा नाम की एक शैली है। वह शैली जो है उसके ऊपर विरोध नहीं है। हमारे देश के बड़े-बड़े नेताओं ने, अजातशत्रु राजेंद्र प्रसाद ने भी कहा था कि हमारे देश में भिन्न-भिन्न भाषाय हों। लेकिन सभी भाषायें एक लिपि में लिखी जायं और उस लिपि में लिखी जायं जो हमारे देश की भाषा है। उसमें कहीं पर भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

हिन्दी भाषा की देवनागरी लिपि है। मराठी भाषा की भी लिपि है। यदि हम लिपियों के प्रश्न में ही पड़े रहे तो काम नहीं चलने वाला है। यदि हमें मेल मिलाप करना है और विद्या का प्रसार करना है तो सुविधा के लिये हमें सोचना चाहिये कि हम एक मार्ग पर चलें जिससे सब लोग एक रास्ते पर चल सकें। इसके लिय सबसे सरल और सुपाठी लिपि नागरी है। हमने एक पुस्तक पढ़ी थी उसमें शब्द तो उर्दू भाषा के होते थे लेकिन उसकी लिपि नागरी थी। लेकिन अब तो मैं समझता हूं कि तब से बहुत अन्तर हो गया है। एकता के नाम पर अगर हमें एक मार्ग पर चलना है और शिक्षा का प्रसार करना है तो हमें एकरूपता लानी होगी जिससे देश और प्रदेश का लाभ हो। आज विद्यार्थियों से कहा जा रहा है कि एक वर्ष तक शिक्षा ग्रहण न करो, स्कूल कालेजेज को छोड़ दो। इससे बहुत हानि होगी। एक तो यों ही हमारा प्रदेश अन्य प्रदेशों से पिछड़ा हुआ है और इससे हम पिछड़े जायेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप हमारे नौजवानों के साथ उनके जीवन से खिलवाड़ न करें, उन्हें उकसाया न जाय, उन्हें देश का हितकारी बनाया जाय, सेवक बनाया जाय। आज आपस के झगड़ों के कारण विद्यालयों में जो बातें होती हैं, आग लगायी जाती है, फर्नीचर तोड़ा जाता है, सख्ती से इनको दबाया जाना चाहिए। जो भी कार्य देश के लिये हितकारी हो, वह जरूर किया जाना चाहिये। मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से भी, आपके माध्यम से, निवेदन करूंगा कि उन्हें इसके लिये उचित उपाय करने चाहिये। जितनी भी दूषित वस्तयें हैं, उनको दूर किया जाय ताकि बच्चों का चरित्र निर्माण हो सके। यदि एक पढ़ा लिखा हो और उसका चरित्र ठीक नहीं और एक पढ़ा-लिखा न हो लेकिन यदि उसका चरित्र ठीक है तो उस पढ़े-लिखे से अच्छा है।

श्री काली चरण यादव (जिला गाजीपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षा के लिये अनुदान की स्वीकृति के लिये सदन में जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका विरोध करता हूं और माननीय सदस्य श्री सत्यपाल मलिक ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, उसका समर्थन करता हूं। अभी माननीय सदस्य ने भी इसको स्वीकार किया है और बड़े-बड़े नेता चाहे वे इधर के बैठने वाले हों, या उधर के बैठने वाले हों, सभी ने यह स्वीकार किया है कि हमारी शिक्षा प्रणाली दूषित है। इस देश में लार्ड मैकाले ने जो शिक्षा की आधारशिला रखी थी, आजादी के बाद भी हमारी सरकार अपनी शिक्षा की दीवार या शिक्षा की इमारत उसी गुलामी की आधार शिला पर रखती जा रही है। उसका परिणाम आज यह है कि जो शिक्षार्थी निकलते हैं, वे दिशा-हीन, लक्ष्य हीन होते जा रहे हैं और इधर-उधर मारे मारे फिरते हैं। उनमें से कितने ही आत्म-हत्या कर लेते हैं और कितने ही रोजी रोटी और पेट के कारण पथभ्रष्ट होकर डकती करते चले जा रहे हैं। इस प्रकार से हमारी शिक्षा ने देश को गड्ढे में गिरा दिया है कि और गिराती चली जा रही है।

हमारे संविधान ने जो अधिकार दिया है कि प्रत्येक नागरिक के लिये समान शिक्षा व्यवस्था की जायगी लकिन हमारी सरकार के विद्यालय अलग हैं, और केन्द्रीय सरकार ने विद्या-

[श्री काली चरण यादव]

लय अलग हैं, व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा अलग विद्यालय हैं और मंत्रियों, सेठों और बड़े-बड़े अफसरों की साजिश से चलने वाले, जिनको पब्लिक स्कूल्स कहा जाता है, वे अलग विद्यालय हैं। इस तरह जहां समान शिक्षा की व्यवस्था हर नागरिक के लिये समान तरह से होने की बात कही जाती है वहां सरकार की ओर से जब विभिन्न प्रकार के विद्यालय चलाये जा रहे हैं और सामान्य नागरिकों के पढ़ने वाले लड़के जहां पढ़ते हैं वहां न टाट हैं, न बेंच हैं और बरसात के महीने में पानी भी पाठशाला के भीतर बरसता है, जाड़े में ठंडी-ठंडी हवायें लगती हैं तो मैं ऐसा समझता हूं कि यह सरकार नहीं चाहती है कि देश और प्रदेश का सामान्य नागरिक उचित और समुचित ढंग से शिक्षित हो सके, वह आगे बढ़ सके। सरकार इतना तो जरूर चाहती है कि लोग साक्षर हो सकें जिससे वह यह बता सके कि हमारे देश में इतने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं, लेकिन "शिक्षित" नाम गलत दिया जाता है। सरकार केवल लोगों को साक्षर बनाना चाहती है, शिक्षित बनाना नहीं चाहती। इन सब बातों को ध्यान में रख कर हमारे उत्तर प्रदेश के शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने मांग की थी कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो जाय जिससे सारे लोगों को एक जैसी शिक्षा की व्यवस्था हो। इस प्रश्न को कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में रखा था, सिद्धान्त रूप से लोगों ने स्वीकार भी किया था, लेकिन मैं समझता हूं कि इस सवाल को सराकार बराबर टालती ही जा रही है और वह शिक्षा में असमानता तथा दुर्व्यवहार बराबर बनाये रखना चाहती है।

मान्यवर, शिक्षा के लिये सबसे जरूरी चीज है पाठ्यक्रम और पाठ्य-पुस्तक। कल यह प्रश्न आया था और आपने देखा भी होगा कि पाठ्य-पुस्तकों का जो अकाल हमारे इस प्रदेश में आया हुआ है और भविष्य में आने वाला है, मैं ऐसा समझता हूं कि यह पाठ्य-पुस्तकें छापने वाले प्रकाशक पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशन में सौ प्रतिशत पैदा करना चाहते हैं और सरकार को मजबूर होकर उनके सामने घुटना टेकना पड़ेगा और सारे देश की शिक्षा व्यवस्था ठप पड़ जायगी। श्रीमन्, अभी थोड़ा पहले पाठ्य-पुस्तकों में 55 से लेकर 100 प्रतिशत मूल्य की वृद्धि हुई है....

(एक सदस्य के भाषणकर्त्ता तथा श्री अध्यक्ष के बीच में आ जाने पर)

श्री अध्यक्ष—

ऐसा नहीं करना चाहिये। आपको इनके बीच में से नहीं जाना चाहिए। उधर से घूम कर जाना चाहिये।

श्री कालीचरण यादव—

तो पाठ्यक्रम में सौ प्रतिशत की वृद्धि की गयी थी और इस पर शासन ने अपनी स्वीकृति भी प्रदान कर दी थी। मुझे बड़ा खेद है और आश्चर्य भी है कि ऐसे सवाल पर शासन ने अपन आदेश कसे दे दिये, बाद में सुना गया कि वह आदेश निरस्त किया गया। ऐसा भी सुना गया कि जो बड़े-बड़े पूंजीपति, पुस्तकों के प्रकाशक हैं उन्होंने ऐसी पुस्तकों के प्रकाशन के लिये, उनके दाम बढ़ाने के लिये दो लाख रुपया इसके लिये सरकारी अधिकारियों और यहां के शिक्षा मंत्री तक भी पहुंचाया है। इस तरह की सूचना मिली है। तो जहां बड़े-बड़े पूंजीपति, बड़े-बड़े प्रकाशक पाठ्यपुस्तकों को अपने हाथ में लेकर, पसा दे करके सरकारी अधिकारियों और मंत्री को, किताबों के दाम 55 से 100 प्रतिशत तक बढ़वा सकते हैं और तो फिर यह अपेक्षा की जाय कि सामान्य लोगों की उचित और समुचित शिक्षा हो सकेगी, यह संभव नहीं है।

एक और साजिश यहां सुनने में आयी कि कुछ शिक्षा के पाठ्य-क्रम बदले हुए हैं। उनका प्रकाशन उन लोगों के पास है जो स्टाक में पुरानी किताबें काफी मात्रा में रखे हुये हैं। तो ऐसी सिफारिश हो रही है कि कुछ वर्षों के लिये उन विषयों के बदले हुए पाठ्यक्रम को अभी

स्थगित कर दिया जाय और जो पुरानी किताबें है कम से कम आने वाले दो वर्षों के लिये वही चालू रखी जायं। जिससे उन के गोदामों में जो किताबें भरी हुई हैं वह बिक जायं। यह मान लिया गया कि वह किताबें बेकार है, यह मान लिया गया कि वह पाठ्यक्रम उचित नहीं था, उसके बावजूद इस तरह की साजिश हो कि एक, दो या तीन वर्ष के लिये फिर वही किताबें चलायें यह अगर हमारे प्रदेश में होता है तो इससे बढ़ कर कोई शर्मनाक बात नहीं हो सकती है।

मान्यवर, यह घोषणा सरकार के द्वारा की जा रही है कि हमने सरकारी और गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के वेतन समान कर दिये है, दोनों की सुविधायें हमने समान कर दी हैं और हम दोनों को समान रूप से पेंशन देते हैं। इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है शिक्षा मंत्री से कि जो माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को वह पेन्शन देते हैं वह अधिकतम प्रधानाचार्यों को 75 रुपये और सहायक अध्यापकों को 60 रुपये। नहीं तो 15 से 20 रुपये तक भी पेन्शन उन लोगों को मिलती है। आप वृद्धावस्था की भी पेन्शन देते हैं। जिस आदमी ने इतने दिन तक काम किया अगर उसको 15–20 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी तो उससे उसका कोई भला होने वाला नहीं है। और इस सम्बन्ध में जो गणना किया है सरकारी अधिकारियों ने वह यह है कि—मैं सूचना के तौर पर निवेदन करना चाहता हूं—माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का जो प्राविडेन्ट फंड के रूप में पैसा जमा होता है उस पैसे से ही अगले 7 वर्ष तक अगर उचित रूप से अध्यापकों को पेन्शन दी जाय तो उसके लिये सरकार को कोई भी अतिरिक्त पैसा व्यय नहीं करना पड़ेगा। जो पेन्शन आज सरकारी अध्यापकों के लिये निर्धारित की हुई है उसी तरह की पेन्शन की योजना जितने भी गैर सरकारी विद्यालय हैं उनके अध्यापकों की होनी चाहिये नहीं तो 15–20 रुपये की पेन्शन पेन्शन का नाम हो सकती है, यह शिक्षकों का उपहास है, न तो उनकी मर्यादा की रक्षा है, न उनके लिये लाभ की कोई चीज है।

पाठ्य पुस्तकों के लिये मेरा निवेदन है कि वित्त मंत्री ने बहुत से निगम बनाये हैं। पाठ्य पुस्तकें, शिक्षण सामग्री और शिक्षा सम्बन्धी जितनी चीजें हैं उसके लिये भी एक ऐसे निगम की व्यवस्था करें जिसमें न तो प्राफिट हो और न लास हो और जिसमें शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग और अधिकारी लोग रहें ताकि पाठ्य पुस्तकें सब को आसानी से मिल सकें।

एक और चीज कहना चाहता हूं जो एक खास चीज है कि आज आप जो भी शिक्षा चला रहे है, मैकाले वाली शिक्षा ही सही, उस सारी शिक्षा में नीचे से ऊपर तक इतना बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि उसके रहते हुये जो शिक्षा व्यवस्था आप चला रहे हैं वह भी नहीं चल पाती है।

गाजीपुर जिले में वहां के बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री गौरी शंकर उपाध्याय, जिनके खिलाफ वहां के लोगों ने मुख्य मंत्री तक पत्र भेजा है और वहां के जिला अधिकारी उसकी जांच भी कर रहे हैं, वह नियुक्ति में, स्थानान्तरण में, बी० टी० सी० की ट्रेनिंग में, प्रोमोशन में, हर जगह पैसा लेते हैं। दूसरी चीज यह है कि जूनियर हाई स्कूल की परीक्षाओं में परीक्षक बनाने में, कहां-कहां कापियां जाती हैं उसको बताने में और फेल लड़कों को पास कराने में गाजीपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी पैसा लेते हैं। इसकी सूचना वहां के लोगों ने शिक्षा मंत्री तक भेज दी है। लेकिन इन बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही न कर के जो छोटे-छोटे अधिकारी ह उनका स्थानान्तरण कर दिया गया है।

जहां तक इस जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय की बात है वह शिक्षामंत्री के कान में भी आयी होगी कि चाहे अध्यापकों की नियक्ति में स्वीकृति का सवाल हो, चाहे प्राविडेंट फंड कटने का सवाल हो, चाहे नये वेतनमान में फिक्सेशन का सवाल हो जब तक वह पैसा नहीं खर्च करता है तब तक कोई काम नहीं होता है।

[श्री काली चरण यादव]

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है। निर्धारित शर्तों के पूरा होने पर उनको मान्यता दे दी जाती है। मेरा निवेदन है कि किसी भी प्रबन्धक या प्रधानाचार्य को इलाहाबाद या लखनऊ तक दौड़ने की आवश्यकता ही नहीं रहनी चाहिये। जब आपने कुछ नियम बनाये हैं और जिनकी वह शर्तें पूरी होती हैं उनको मान्यता मिलनी चाहिय। लेकिन होता ऐसा है कि जो शर्तें पूरी हुई हैं उन्हीं पर एक बार उनकी मान्यता रद्द कर देते हैं और पुनः दौड़ने पर उन्हीं परिस्थितियों में, फिर मान्यता प्रदान कर दी जाती है। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि जब कोई विद्यालय निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता तो उसकी मान्यता समाप्त कर दी जानी चाहिये, लेकिन अगर कोई सारी शर्तों को पूरा करता है तो उसे मान्यता बिना दौड़े-धूपे ही मिल जानी चाहिये। यह इसलिये किया जाता है कि इस मान्यता समिति के जो संयोजक हैं श्री जगदीश शरण अग्रवाल जी, इससे उनकी भी इमेज अच्छी बनेगी। लोगों को न दौड़ने से समय भी बरबाद नहीं होगा तथा इतनी परेशानी नहीं होगी।

*श्री रणजीत सिंह 'जूदेव' (जिला झांसी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा के संबंध में कुछ सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहूंगा। हमारे प्रदेश में शिक्षा की समस्या बहुत बड़ी है और उसके समाधान के लिये समय बहुत चाहिये। समय कम होने के कारण थोड़े ही सुझाव दे पाऊंगा।

प्रथम तो यह कि आज जो भी लीडरशिप है वह शिक्षा के माध्यम से ही आती है चाहे वह राजनैतिक हो या सामाजिक, अतः यह आवश्यक है कि हमारी शिक्षा की नींव मजबूत और पक्की हो।

हमारे देश की शासन प्रणाली जनतांत्रिक है और जनतांत्रिक शासन तभी मजबूत हो सकता है जब शिक्षा व्यापक रूप में हो। हमें हर्ष है कि स्वतन्त्रता के बाद हमारे देश में स्वर्गीय नेहरू जी व प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी जी के काल में शिक्षा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। पर फिर भी प्रदेश में शिक्षा की उन्नति के लिय बहुत गुन्जाइश है। सन 1947–48 में हमारे प्रदेश में 19 हजार विद्यालय थे, जब कि आज करीब 65 हजार हैं। इससे प्रतीत होता है कि शिक्षा जगत में प्रगति कर रहे हैं।

सबसे मुख्य चीज हमारे प्रदेश में बेसिक व प्राइमरी शिक्षा है। यह फ्री और कम्पलसरी होना चाहिये। फ्री इसलिये होना चाहिये क्योंकि हमारे प्रदेश की जनता बहुत गरीब है। इस कारण लोग अपने बच्चों को मामूली से मामूली शिक्षा नहीं द पाते और कम्पलसरी इसलिये होनी चाहिये कि अपने देश व प्रदेश में गरीब जनता अधिकतर अनपढ़ है और शिक्षा का महत्व न जानने के कारण अपने बच्चों को छोट-मोटे धन्धों में लगाना ज्यादा लाभदायक समझत हैं, बजाय शिक्षा देने के।

आज हमारे प्रदेश के हर कोने से मांग आ रही है कि हमारे यहां बेसिक और प्राइमरी स्कूल खोल जायं। पर स्कूल खुल जान पर अधिकारियों को न तो बच्चों की फिक्र है और न मास्टरों पर अनुशासन रख पाते हैं। मास्टर लोग कई दिनों तक स्कूल नहीं आते। तो ऐसे स्कूलों म शिक्षा का स्तर बहुत खराब हो जाता है और बच्चों का भविष्य अन्धकारमय हो जाता है। इसक लिये मरा सुझाव है कि उतन ही स्कूल खोले जायं जिन पर शिक्षा मंत्री या अधिकारी वग अच्छी तरह से ध्यान रख सकें, उनका निरीक्षण आदि समय-समय पर कर सकें। अगर कोई भी मास्टर अपनी जिम्मदारी महसूस नहीं करता है तो उसे सख्त स सख्त सजा मिलना चाहिय। टीचस के लिये रिफ्रेशर कोर्स की व्यवस्था भी बहुत आवश्यक है।

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, शिक्षा राज्यों का विषय है और हमें चाहिये कि हम हाई स्कूल के बाद शिक्षा को कई शाखाओं में विभाजित कर दें। एजूकेशन शुड बी जाब ओरियन्टेड जिसमें कि टैक्निकल एजूकेशन बहुत जरूरी है। मेरी राय है कि भला हो कि यदि विश्वविद्यालय न बने पर

(इस समय 12 बजकर 59 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय, पीठासीन हुए।)

टैक्निकल इन्स्टीट्यूशंस अवश्य बनें। एक विश्वविद्यालय पर जितना धन खर्च होता है उसीमें कई टेक्निकल संस्थायें व प्रशिक्षण केन्द्र बन सकते हैं। हमारे अधिकारियों को चाहिये कि पूरी शिक्षा पद्धति को बेरोजगारी यानि इम्पलायमेंट नीड से लिंक करना चाहिये। यह वर्तमान शिक्षा पद्धति के हिसाब स बहुत जरूरी है, क्योंकि दुख के साथ कहना पड़ता है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति से ही बेरोजगारी बढ़ी है। हमारे गेजुयेटस अनइम्पलायड है और अनइम्पलायेबिल भी हैं। जबकि कई फील्डस में लेबर शार्टेज है जैसे मैकेनिक्स, ड्राइवर्स, कुक्स, कारीगर इत्यादि।

अब मान्यवर कुछ शब्द में हायर एजूकेशन के बारे में कहूंगा। जबकि हाई स्कूल के बाद कई शाखायें खुल जायेंगी तो विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रों की भीड़ कम हो जायेगी और शिक्षक भी भलीभांति छात्रों को पढ़ा सकेंगे। और हायर एजूकेशन को हम लोग और काम्प्रिहेंसिव बना सकते हैं। उच्चतर परीक्षा प्रणाली में भी तब्दीली होनी चाहिये। वर्तमान पद्धति के अनुसार एक साल के बाद परीक्षा होती है जो छात्र साल भर नहीं पढ़ते वह नकल करके या गेस पेपर का सहारा लेकर पास हो जाते हैं। इसलिये मेरी राय में सिनिस्टर सिस्टम होना आवश्यक है। इसमें छात्र को हर महीने परीक्षा देनी पड़ती है और प्रोफेसर छात्रों को महीने के महीने नम्बर देते हैं। इससे छात्रों में एक जागृता रहेगी और उनके मानसिक तथा उनके व्यक्तित्व का विकास होगा। परन्तु एक अंग्रेजी कहावत है आल वर्क एण्ड नो प्ले मेक्स जैक ए डल ब्वाय' इसलिये विद्यार्थियों के मनोरंजन और खेल-कूद का साधन हर विद्यालय में होना अत्यन्त आवश्यक है। इससे हमारे राष्ट्र का खेल कूद का स्तर बढ़ेगा। खेल कूद के शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है।

(कुछ सदस्यों के हंसने और बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता—

जब कोई माननीय सदस्य पहली बार बोल रहा हो तो आप लोग अवरोध न उत्पन्न करें। आप कृपया शांत रहें।

श्री रणजीत सिह 'जूदेव'—

अंत में शिक्षा से संबंधित छात्रों व उनकी मांगों पर कहूंगा कि छात्रों की जो मांगें हों उन पर ध्यान देना चाहिये। उनकी अनसुनी नहीं करनी चाहिये। पर वहीं मांग पूरी हो जो उचित हो जैसे बिजली की कमी हो, मेस में खाना ठीक न मिलता हो। परन्तु अनुचित मांग जैसे कि आजकल हो रही हैं कि अटेंडेन्स माफ हो, ग्रेस मार्क्स मिलें, इनसे मैं सहमत नहीं हूं। और आशा करता हूं कि सरकार भी ऐसी मांगों से सहमत नहीं होगी और भविष्य में अगर ऐसी मांगें आती हैं तो उनका विरोध करेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे हमारी शिक्षा पद्धति में बहुत उन्नति होगी।

श्री मुलायम सिह यादव (जिला इटावा)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय सत्यपाल मलिक, जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करन के लिये खड़ा हुआ हूं। अधिष्ठाता महोदय, इस कांग्रेस हुकूमत ने जिस प्रकार से, प्रारम्भिक शिक्षा को चौपट किया है उसका नतीजा यह हुआ है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में लगभग 20–22 प्रतिशत ही लोग शिक्षित ही पाये हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आप हाथ फेर-फेर कर लोगों को संबोधित न करें।

श्री मुलायम सिंह यादव—

अधिष्ठाता महोदय, अब मैं आपके माध्यम से सदन को संबोधित कर रहा हूं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया केवल 20–22 प्रतिशत लोग ही शिक्षित हो पाये हैं। और वह भी सरकारी कागजों पर। उनको जैसा अभी मेरे साथी ने कहा कि, उनको साक्षर कह सकते हैं, शिक्षित नहीं। इस तरह से यदि उनके आंकड़ों को देखें तो मैं शिक्षा मंत्री जी को चुनौती देना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों की यदि जांच करें तो एक भी ऐसा स्कूल नहीं होगा जिसमें पूरी साज-सज्जा हो, श्यामपट हो, टाट-पट्टी हो तथा पानी पीने के लिये लोटा बाल्टी आदि हों। इस प्रकार हम लोगों को चाहिये कि छात्रों को लिये ऐसा अनुकूल वातावरण बनायें जिससे विद्यालय आकर्षक बनें। यहां तो किसी प्राइमरी स्कूल में न तो पूरी साज-सज्जा है और न ठीक से बैठने की जगह। किसी स्कूल की छत टूटी है तो किसी स्कूल का फ़र्स टूटा है। वहां पानी पीने तक का प्रबन्ध नहीं है। और यहां तक कि बच्चे स्वयं ही लीपा पोती का कार्य करते हैं और तब कहीं पढ़ाई की व्यवस्था हो पाती है। इस प्रकार जो प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था है उससे आप चाहें जितने विश्वविद्यालय खोलें लेकिन कोई काम ठीक नहीं होने वाला है जब तक कि आप प्राइमरी स्कूलों में सुधार नहीं करेंगे।

मैं शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं तथा आपकी कांग्रेस पार्टी से भी कहना चाहता हूं कि जो आप हरिजनों के हमदर्द बने हैं जैसे कि फीस माफ करेंगे या वजीफा बांध देंगे। तो इससे आप पूरी शिक्षा हरिजनों को नहीं दे सकते हैं क्योंकि जो बकरी चराने वाले हैं या घास खोदने वाले हैं उनके पास रहने या जीविका चलाने के साधन जब तक नहीं होंगे तब तक वह आपके स्कूल में पढ़ने नहीं जायेंगे। इसी प्रकार मैं हरिजनों के उपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनके बारे में कहना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में हरिजनों के ऊपर अत्याचार होते हैं तो इन अत्याचारों का दायित्व इस सड़ी-गली सरकार का है जो यहां बैठी है। इस तरह से इस सड़ी-गली सरकार ने 27 साल इस प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा की है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने देहात के स्कूलों की उपेक्षा की है। ग्रामीण लोगों को शिक्षित बनाने का कोई प्रबन्ध इस सरकार ने नहीं किया है। मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस सरकार के आंकड़ों के अनुसार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 3,200 इस उत्तर प्रदेश में हैं और जिनमें 1,756 विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। ठीक 50 प्रतिशत विद्यालय शहरों में हैं जबकि शहरों की जनसंख्या है 20 प्रतिशत। परन्तु जहां ग्रामीण लोगों की जनसंख्या है 80 प्रतिशत तो वहां विद्यालय भी 50 प्रतिशत खोले गये हैं। इस प्रकार सारे ग्रामीण क्षेत्रों को शिक्षा से वंचित किया गया है। शिक्षा से वंचित करने का कारण यह है कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा अधिक हो जायेगी तो सारे नागरिक शिक्षित हो जायेंगे। उनमें बुद्धिमानी आयेगी और इससे वे शायद राजनीति में दिलचस्पी लेंगे तो इससे वे लोग इनका तख्ता पलट देंगे। इसलिये ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की उपेक्षा की जाती है। दूसरी ओर जो पब्लिक स्कूल तथा नर्सरी स्कूल हैं जो कि प्रारम्भिक शिक्षा के शत्रु हैं उनको चलाया जा रहा है। इन स्कूलों को चलाने के वे लोग उत्तरदायी हैं जिनको कि शिक्षा का प्रसार करने का उत्तरदायित्व दिया गया है। मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय इन लोगों के बच्चे ग्रामीण अंचलों या उन प्राइमरी स्कूलों में नहीं पढ़ने जाते हैं यहां कि बच्चों को पूरी साज-सज्जा, टाट पट्टी आदि उपलब्ध नहीं होती हैं। इनके बच्चे पब्लिक स्कूल या नर्सरी में पढ़ने जाते हैं। इनके लड़के पढ़ने जाते हैं पब्लिक स्कूलों में और नर्सरी स्कूलों में, लिहाजा इनको कोई दिलचस्पी नहीं है प्रारम्भिक शिक्षा के या ग्रामीण शिक्षा के सुधारने में। और न ही इनका रुझान है कि प्रारम्भिक शिक्षा सुधारी जाय।

इसलिये मेरी सरकार से मांग है कि इन पब्लिक स्कूलों और नर्सरी स्कूलों को समाप्त कर दिया जाय और अगर इनको समाप्त कर दिया जाता है तो अफसरों और गरीब किसानों और मजदूरों के लड़के जब साथ-साथ पढ़ेंगे तो जब उनको तहजीब में कुछ कमी दिखाई देगी तब सुधार किया जायेगा। इसलिये आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इन पब्लिक स्कूलों और नर्सरी स्कूलों को खतम किया जाय तथा शिक्षा में जो दोष है उन दोषों को देखने के लिये हर दल के बड़े-बड़े नेताओं और शिक्षाविद की एक समिति गठित की जाय और वे लोग इसकी जांच करें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो वजीफा की व्यवस्था है वर्तमान समय में, उसमें कुछ लोगों को वजीफा दिया जा रहा है और कुछ को नहीं। संविधान के अनुसार कुछ पिछड़े लोगों को भी वजीफा देने की बात कही गई थी। वर्तमान सरकार उनके वजीफे में कटौती करने जा रही है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो गरीब है उनको वजीफा तो दें लेकिन जो पिछड़े हुये लोग हैं उनके लिये जो वजीफे की व्यवस्था की गई थी उसमें कटौती न की जाय।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं और वह यह है कि कुछ प्राइमरी स्कूलों में हमारी वर्तमान सरकार द्वारा यह आदेश पहुंचे है कि इनको संलग्न विद्यालयों में परिवर्तित कर दिया जाय। नतीजा यह हुआ है कि जो दर्जा 8 तक अध्यापिकायें पास है वही अध्यापक-अध्यापिकायें कक्षा 8 को पढ़ा रही है। वह पढ़ा नहीं रही बल्कि जिह तरह से मवेशी घेरे जाते हैं उसी प्रकार से ही घेरे जाते हैं और उनकी पढ़ाई-लिखाई चौपट हो रही है। जो उनको सही और उचित रूप से शिक्षा मिलनी चाहिये वह उनको नहीं मिल पा रही है क्योंकि वह अध्यापिकायें कक्षा 8 को नहीं पढ़ा सकती। इसलिये मैं यह सरकार से मांग करता हूं कि जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनको यह आदेश दिये जायं कि वह अपने अधिकार से उस व्यवस्था को ठीक रखें जिससे कक्षा 8 के छात्रों की पढ़ाई ठीक से हो सके।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो व्यवस्था है उससे साफ साबित हो रहा है कि यह सरकार किसी को शिक्षित नहीं बनाना चाहती अगर होता तो इस वर्ष जो हाई स्कूल और इण्टर का नतीजा निकला है उसमें लगभग साढ़े 5 लाख छात्र फेल हुये हैं। उन फेल छात्रों का सारा समय और उनके मां-बाप की कमाई बे मतलब चली गई। तो यह सरकार ऐसी व्यवस्था नहीं लाना चाहती जिससे छात्रों की पढ़ाई व्यवस्थित रूप से चले और नतीजा अच्छा निकले। यह सरकार डरती है कि अगर नतीजा अच्छा निकलेगा तो लड़के शिक्षित होंगे और फिर रोजगार और नौकरी मांगेंगे जो सरकार के देने की क्षमता नहीं है। जब उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी तो इस सरकर के लिहाजा इस बगावत को न होने देने के लिए ही उन छात्रों का समय और धन बरबाद कराती है और ऐसी शिक्षा का प्रबन्ध किया गया है कि सरकार सुरक्षित रहे।

*श्री मन्नूलाल द्विवेदी (जिला रायबरेली)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का अवसर दिया। यह जो शिक्षा का बजट है मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आप भलीभांति परिचित है कि आज देश की और शिक्षा की कैसी दशा है। आज चारों तरफ हड़ताल और सरकार को परेशान करने के लिये विरोधी दल द्वारा आन्दोलन चलाये जा रहे हैं। ऐसे नाजुक समय में जबकि सारा बजट का धन सरकारी कर्मचारियों पर जा रहा है हरिजन विद्यार्थियों के लिये छात्रावास की व्यवस्था, इंटर क्लासेज में शत प्रतिशत वजीफा देने की व्यवस्था और उसके नीचे की क्लासेज में 50 प्रतिशत वजीफे देने का प्रबन्ध सरकार द्वारा किया गया है, यह सराहनीय है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मन्नूलाल द्विवेदी]

जहां तक माध्यमिक शिक्षा का प्रश्न है उसमें भी शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के सिद्धांत को सरकार ने मान लिया है और धीरे-धीरे प्रगति हो रही है। माध्यमिक शिक्षकों के वेतन के भुगतान का जहां तक प्रश्न है उस ओर भी धीरे-धीरे सरकार जा रही है जिससे कि देश और प्रदेश में समाजवाद लाने में शीघ्रता हो। जहां यह सब कुछ है वहां मुझे कुछ सुझाव देने हैं। हमारे यहां प्राइमरी स्कूलों का संख्या में वृद्धि तो बहुत हुई है लेकिन अभी भी उसमें और आवश्यकता है। वैसे तो यह सिद्धांत मान रखा है कि प्रत्येक गांव सभा में एक प्राइमरी पाठशाला की आवश्यकता है। गांव सभाएं बहुत छोटी हो गयी है और 250 की आबादी तक की हो गयी है लेकिन कम से कम एक हजार की आबादी पर एक प्राइमरी स्कूल अवश्य होना चाहिये। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चे कम है और लिखे ज्यादा है और उसी हिसाब से अध्यापक ज्यादा मिल जाते हैं। मेरा यह सुझाव है कि एक जिले के सारे स्कूलों का सर्वे करा ले और हर स्कूल में छात्रों की गिनती रेवन्यू विभाग, प्लानिंग विभाग और गांव के प्रतिष्ठित लोगों से करा लें और जहां पर ज्यादा अध्यापक है वहां कम करके दूसरी जगह उनको रख दें तो आपको अध्यापक नियुक्त करने की भी आवश्यकता नहीं होगी।

एक बात की ओर मैं शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस तेजी से प्राइमरी स्कूलों की संख्या म बढ़ोत्तरी हुई है उस तरह से जूनियर हाई स्कूल की संख्यामें वृद्धिनहीं हुई जूनियर हाई स्कूलों की संख्या बहुत ही कम है। लड़के दर्जा 5 में पास तो हो जाते है, लेकिन 9/10 साल की छोटी उम्र में उन्हें 3/4 मील (और कहीं कहीं 5/6 मील) पैदल जाना पड़ता है कक्षा 6, 7 और 8 में पढ़ने के लिय। ऐसी दशा में उन बच्चो का स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है और उनकी पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाती है। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से, मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। यही कारण है कि हमारे गांवों के नौनिहाल और होनहार बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती। एक तो उन बच्चों को अच्छी खूराक नहीं मिल पाती और इतने दूर-दूर जूनियर हाई स्कूल होने से उनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती। इसलिय आज अधिक से अधिक जूनियर हाई स्कूल खोलने की जरूरत है।

मान्यवर, एक सुझाव यह है कि जिस तरह से लड़कियों की शिक्षा के लिये गांवों में जो प्राइमरी स्कूल अच्छे चलत हैं, वहां पर क्रमोत्तर कक्षाओं का प्रबन्ध कर रखा है। उसी तरह से जिन प्रायमरी स्कूलों में कक्षा 5 में 30 लड़कें हों, वहां पर छठा दर्जा भी खोल दिया जाय और फिर 7 वां दर्जा फिर 8 वां दर्जा खोल दिया जाय और इस प्रकार हर दर्जे क लिय एक एक मास्टर दे दिया जाय।

एक बात, मान्यवर मैं यह कहना चाहता हूं कि जिसका संबंध केवल इस प्रदेश से नहीं, अपितु पूरे देश से है, कि जब तक हम समान शिक्षा सारे देश में लागू नहीं कर पायेंग, तब तक हमारे देश का सही उत्थान नहीं हो पायगा। शिक्षा में असमानता का होने के कारण ही आज आई0ए0एस0 का लड़का आई0ए0एस0 और पी0सी0एस0 लड़का पी0सी0एस0 बनता है। डाक्टर का लड़का डाक्टर और इन्जीनियर का लड़का इन्जीनियर बनता है। लकिन किसान का लड़का कुछ भी नहीं में बन पाता है। मान्यवर, यह हमार देश का दुर्भाग्य ही है। इस प्रकार मौजूदा प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन करने का आवश्यकता है। इसलिय मेरा निवेदन है कि पूरे देश स्तर पर एक ही प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था हो। मान्यवर, आज जिसके पास ज्यादा पैसा है वे अपने लड़को को अच्छे स्कूलो में ही शिक्षा देते हैं। उनके लड़के सरकारी नौकरियों में तो जाते है, लेकिन वहां सेवा का काम न करके देश पर शासन का काम करत हैं। अतः मान्यवर, मैं माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं यद्यपि यह स्वयं भी हृदय से इस बात को चाहते हैं कि वह इस बात के लिये जोर डालें (क्योंकि यह बहुत ही जरूरी काम है) कि समान शिक्षा का कायक्रम इस प्रदेश में लाया जा सके। अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी इस दिशा में सफल हुये, तो मान्यवर, यह हमारे देश और प्रदेश का बहुत बड़ा कल्याण होगा।

मान्यवर, ये जो जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कल संस्थाओं के द्वारा चलाये जाते हैं उनमें बड़ी दिक्कत हो रही है। एक न एक दिन तो इन स्कूलों को सरकार द्वारा चलाना पड़ेगा ही लेकिन अगर कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिये निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर दें तो यह बहुत ही उत्तम कार्य होगा, क्योंकि वैसे भी कक्षा 6 तक तो कर ही रहे हैं। इससे देश और प्रदेश के गांवों में रहने वाले गरीब बच्चों का बड़ा हित हो जायेगा।

मान्यवर, इन संस्थाओं वाले स्कूलों में एक फर्स्ट क्लास का लड़का 50 रु० या 60 रुपया या 80 रु० वेतन पर मास्टरी करता है। वहां पर कुछ ऐसा करें कि जो मान्यता देते हैं, उसके लिये एक तारीख निश्चित कर दें। 15 अगस्त तक टैम्पेरेरी मान्यता दे दें और क्षतिपूर्ति का भुगतान प्रति माह होता जाय, तो इन लोगों को प्रति माह जो मिलता है वह मिलता रहेगा मंत्रीजी इतना तो करवा ही सकते है। संस्थागत स्कूलों के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर वे स्कूल अच्छे चल रहे हैं तो उनको लेने के बारे में विचार किया जाय और जहां पर दो या ढाई हजार की आबादी है, वहां पर जूनियर हाई स्कूल या हाई स्कूल खोले जायं। मैं, रायबरेली का हूं। रायबरेली का नाम बहुत लिया जाता है कि यह प्राइम मिनिस्टर का क्षेत्र है। लेकिन मैं आपके माध्यम से, मान्यवर, माननीय सदन के मा० सदस्यों को बताना चाहता हूं कि शिक्षा के बारे में राय बरेली की बड़ी खराब हालत है। हमारे जिले में 4 तहसील है। डलमऊ और महाराजगंज ये दो तहसीलें है। दो तहसीलें ऐसी हैं जहां हाई स्कूल भी नहीं हैं और जो संस्थागत स्कूल चल रहे हैं, उनकी भी दुर्गति है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम तहसील स्तर पर यह सिद्धान्त लागू किया जाय कि एक हाईस्कूल होना आवश्यक है और अगर ऐसा नहीं तो सकता है तो जो जूनियर हाई स्कूल चल रहे हैं तहसील स्तर पर वहीं पर 9 वीं तथा 10 वीं कक्षा खोल दी जायं और यह मुश्किल काम नहीं है।

*कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, बातें तो करीब-करीब सभी कही जा चुकी है और मुझे कोई बहुत अधिक नहीं कहना है कि प्राथमिक विद्यालयों की क्या दुर्दशा है गांवों में, जिसे लगभग सभी सदस्य जानते है और देखते है और दिन प्रति दिन वे उनके सम्पर्क में आते है। उन विद्यालयों में जो अध्यापक है वे अधिकतर राजनीतिक विचारधारा के आधार पर उनकी नियुक्ति होती है और उनसे वही काम लिया भी जाता है। अभी पिछले चुनाव में उन अध्यापकों के द्वारा वोट के लिये बिना स्याही लगाये हुए मोहरें दी गयीं। एक दो नहीं बीसियों ऐसे प्रमाण मिले है कुछ अध्यापक ऐसे रखे जाते हैं जो कभी पढ़ाते नहीं हैं। कुछ खास मंत्रियों का प्रचार करते हैं और तनख्वाह लिया करते हैं। एक अध्यापक महोदय ऐसे थे कि उनके मंत्री ने जब इस्तीफा दे दिया या किसी वजह से हट गये तो उन्होंने भी कलेक्टर के यहां इस्तीफा भेज दिया। और दूसरा व्यक्ति उनके स्थान पर रख दिया गया। साल भर के बाद जब वह मंत्री वापस आये तो उसी कलेक्टर के यहां से उनका इस्तीफा वापस कर दिया गया और उनको नौकरी पर वापस ले लिया गया, नौकरी उनकी ब्रेक भी नहीं हुई।

मेरा सुझाव यह है कि प्राइमरी स्कूल के अध्यापक जो हों उनको कम से कम इतनी दूरी पर रखा जाय कि वह शनिवार तथा इतवार की छुट्टी में घर आ सके। रोज घर न आ सकें क्योंकि वह घर पर काम करते हैं और पालिटिक्स में पड़ कर काम करते है, प्रचार करते हैं और पढ़ाई-लिखाई से उनका कोई सम्बन्ध नहीं रहता है। इन विद्यालयों के बारे में मुझे यह भी कहना है कि अधिकतर उनके भवन ऐसे हैं जिनकी छतें लटकी हुई है, किसी भी समय गिर सकती हैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[कुंवर श्रीपाल सिंह]

और बच्चे दब सकते हैं । कहीं वे पेड़ों के नीचे कहीं मैदान में आसमान के नीचे पढ़ते हैं । अगर उन भवनों की मरम्मत नहीं की जाती है तो फिर आगे की चीजें भगवान भरोसे रहेंगी ।

मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा जिन्होंने हिन्दी में डाक्टरेट की है उनके जमाने में उन्हीं के हाथों एक गंभीर चीज होने जा रही है । जिसके लिये कदाचित इस समय वोट के लालच में वह ऐसा करने जा रहे हैं, आज वह क्षमा कर दिये जायं लेकिन आगे की पीढ़ी क्षमा नहीं करेगी और वह यह होने जा रहा है कि एक त्रिभाषा फारमूला अपने प्रदेश पर वह लागू करने जा रहे हैं ।

इसके बारे में मैं थोड़ा इतिहास की तरफ भी ध्यान दिलाना चाहूंगा । बजट के सामान्य विवाद के अवसर पर भी मैंने कहा था कि इसी असेम्बली के अन्दर जिस दिन 1937 में लारी साहब का भाषण हो रहा था, वे वहां पर बठते थे जहां पर कि सोशलिस्ट पार्टी के नेता बैठे हुए हैं यहीं से पाकिस्तान की नीव पड़ी.....

एक सदस्य—

किस लारी साहब के बारे में.....

श्री अधिष्ठाता—

वे दूसरे लारी साहब थे । शायद आपका मतलब जहीर उल हसनैन लारी से है ?

कुंवर श्री पाल सिंह—

जी हां । उन्हीं से है । तो मान्यवर, पाकिस्तान की भूमिका पहले 1930 में बनी थी जब कि पंडित मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसमें कि 23 प्रतिशत की मांग की गई थी । उसको लेकर एक बड़ा बितन्डाबाद खड़ा हुआ । उसके बाद उसने क्या रुख पकड़ा, वह सब आपके और हमारे समक्ष मौजूद है कि देश का बंटवारा हुआ । यह कितनी घृणित और दुखद बात है कि जिसको कि हम आज भी भोग रहे हैं, भोगेंगे और भोगना पड़ेगा । ठीक उसी तरह से आज उर्दू वाली बात हमारे सामने आ रही है । उर्दू को एक भाषा के रूप में मानना म समझता हूं बिलकुल उचित नहीं है । श्रीमान जी, किसी भी भाषा का व्याकरण होता है और उसकी लिपि होती है । उर्दू भाषा का न तो व्याकरण है और न लिपि ही है । उर्दू की जो लिपि है वह अरबी है और फारसी उसकी व्याकरण है । उर्दू की अपनी कोई भाषा नहीं है वह सूरसेनी, प्राकृत और शैली मात्र है । उसको एक बोली तो कहा जा सकता है लेकिन भाषा नहीं कहा जा सकता है ।

श्रीमान जी, भाषा जो मैं स्वयं बोल रहा हूं, आप बोल रहे हैं या माननीय सदस्य बोल रहे हैं उसमें फारसी, हिन्दी या संस्कृत के शब्द आते हैं उससे हमें कोई विरोध नहीं है । विरोध उस स्थान पर पैदा होता ह जब अरबी के माने यह लगाये जाते हैं कि जो लिपि उर्दू हो वह अरबी लिपि होनी चाहिये । तो भाषा का दोष नहीं, लिपि का दोष है । हमारे जो उर्दू के हिमायती लोग हैं वे चाहते है कि हमें भाषा नहीं लिपि चाहिये । जिस दिन यहां पर शपथ ली जा रही थी तो कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि हम उर्दू में शपथ लेंगे ठीक है, आप लें । लेकिन ऐतराज केवल उसी लिपि पर था । मतलब यह है कि जो त्रिभाषा फार्मूले की आप बात करते हैं वह भाषा का नहीं लिपि का है । लिपि के लिये म अधिक नहीं कहूंगा (लाल बत्ती होने पर) श्रीमान्, जी मुझे 5 मिनट का समय और दे दें क्योंकि कदाचित मैं अकेले इस विषय पर बोलने वाला हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

आप पांच मिनट में समाप्त कर दें ।

कुंवर श्रीपाल सिंह—

मैं जो कह रहा हूं उसका कारण है। मैं प्रमाण दे सकता हूं कि बाबू सम्पूर्णानन्द जी के समय तक प्रदेश में किसी की हिम्मत नहीं थी कि उर्दू के बारे में वह जबान उठाये। उर्दू के लिये झगड़ा खड़ा हो। माननीय सम्पूर्णानन्द जी के समय में चोर दरवाजे से मुशायरेबाजी के द्वारा उर्दू को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। उसके बाद गुप्ता जी के मंत्रिमंडल में थोड़ा और दबाव दिया गया और एक पत्रिका प्रकाशित हुई जिसमें गजट के मुख्य-मुख्य अंश उर्दू में प्रकाशित होते थे। फिर उसके बाद संविद की सरकार आई, उसमें 27 जिलों में उर्दू में गजट निकालने की व्यवस्था की गई। आप देखें कि किस तरह से धीरे-धीरे इन्जेक्ट किया जा रहा है इसे। अब वोट का इतना जोर बढ़ा कि श्रीमन्, सरकार द्वारा त्रिभाषा फार्मूला मान लिया गया है। उसके आधार पर हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा, अंग्रेजी हुई सम्पर्क भाषा और उर्दू हो गई प्रान्तीय भाषा। तो क्या उर्दू हमारी प्रान्तीय भाषा है? मैं इसे जानना चाहूंगा माननीय तिवारी जी से और मैं जानना चाहूंगा डाक्टर साहब से, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं और जिन्होंने हिन्दी में डाक्टरेट किया है।

यदि उर्दू प्रान्तीय भाषा नहीं है, तो त्रिभाषा फार्मूला कहां से आया। मैं इसके आगे की भविष्यवाणी भी करना चाहता हूं, आगे क्या होगा। जब त्रिभाषा फार्मूला लागू होगा, इसके आगे इसे चलाया जायगा तो यह आवाज उठाई जायगी कि भाषा के आधार पर भाषायी प्रान्त बनना चाहिये और उसके समर्थन में, बी०के०डी० के लोग हमें क्षमा करेंगे, पश्चिमी जिले वाले भी खड़े होंगे। क्योंकि उर्दू के वे भी भारी पक्षधर हैं और क्योंकि उनका भी इरादा है कि उत्तर प्रदेश दो हिस्सों में बंटे। और जो यह उर्दू भाषायी प्रान्त होगा, उसमें ये भी साथ देंगे और वह बनेगा, और जब भाषायी प्रान्त बनेगा तो यह मांग भी, तामिलनाडू की तरह से उठेगी कि हमें और स्वायत्तता मिलनी चाहिये। फिर उसके आधार पर उर्दू भाषायी प्रान्त जो होगा वह प्रदेश से ही नहीं देश से अलग होकर एक नये पाकिस्तान के निर्माण की भूमिका खड़ा करेगा। इसलिये मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह यह कलंक अपने ऊपर न लगने दें। उर्दू बोलने से हमें कोई एतराज नहीं है, आप बोलें इसे।

हमारे 'आकाशवाणी' की जो उर्दू की समाचार बुलेटिन प्रकाशित होती है, उसके सन्दर्भ में निवेदन करना है। मैं अपने मुसलमान भाइयों से जानना चाहता हूं, उर्दू जिनकी भाषा है कि उन चन्द मौलानाओं को छोड़कर गांव के रहनेवाले मुसलमान, जो आम बेचते हैं, कपड़ा सिलते है, उनसे पूछा जाये कि उनको उक्त बुलेटिन से कितना अंश समझ में आता है? यदि वही उर्दू है, जो रेडियो में ब्राडकास्ट होती है तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता में से मुस्किल से एक-आध फीसदी लोगों को ही वह समझ में आती होगी। मगर उस उर्दू को त्रिभाषा फार्मूला का आधार बना कर एक नया बवन्डर खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है और प्रान्त के बटवारे का प्रयास किया जा रहा है और आगे चलकर उसे नये पाकिस्तान की भूमिका बनाया जायगा।

मेरे पास एक प्राइमरी की पुस्तक है। सन् 72–73 में इसके अन्तिम अनुच्छेद में शकुन्तला के विषय में जो चक्रवर्ती राजा भरत के लिये है, लिखा है–चक्रवर्ती राजा बना और भरत के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसी नाम पर हमारे देश का नाम "भारत" पड़ा। यह इसमें है। 1973 में जब यह पुस्तक छपी यह अंश निकाल दिया गया। उसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। क्यों निकाल दिया? इसके दो कारण हो सकते हैं। कुछ इसमें कंट्रोवर्सी है कि भारत नाम और किसी वजह से पड़ा है। दूसरे यह कि कुछ लोग नाखुश हो जायं कुछ लोगों को खुश करने के लिये, उनका वोट प्राप्त करने के लिये हम अपने इतिहास को भ्रष्ट कर दें, यह जो हमारी खुश करने वाली नीति है जिसके आधार पर अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, हर चीज को नष्ट करना चाहते हैं, यह कोई अच्छी चीज नहीं लगती है।

[कुंवर श्रीपाल सिंह]

एक सुझाव और देना चाहता हूं। मांटेसरी शिक्षा को सरकार की तरफ से सहायता मिलती है। कुछ स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर के नाम से खोल गये हैं जिसमें बच्चों को विशेष राष्ट्रीयता ट्रेनिंग दी जाती है। राष्ट्रीय आधार पर पढ़ना, रहना सिखाया जाता है, भारतीय विचारधारा सिखाने का प्रयास किया जाता है। उसके लिये आज तक यहां से किसी प्रकार की सहूलियत नहीं दी जाती। यही सारी बातें सिद्ध करती हैं कि सरकार की नीतियां केवल मात्र अपने वोटों को देखकर चलायी जाती हैं न कि देश के हित के लिये।

*श्री प्रेमदत्त (जिला फतेहपुर)---

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। मैं शिक्षा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,24,31,27,300 रुपये की जो मांग की गयी है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। साथ ही मैं शिक्षा निदेशालय से जो किताब निकली है उसमें जो पढ़ने का अवसर मिला है, मैं निदेशालय के अधिकारियो को भी बधाई देना चाहता हूं। हां एक बात जरूर है। इस पुस्तिका में उपलब्धियां है और शिक्षा में क्या कठिनाइयां हैं, शिक्षा में भविष्य में क्या रूपरेखा होगी, इस पर कोई विशेष प्रकाश नहीं डाला गया। इस तरह से यह पुस्तक एकांगी रूप से हमारे सामने आयी है। शिक्षा क विषय में बहुत से विचार कल से सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन मेरा खयाल है कि शिक्षा म आमूल परिवतन होना चाहिय। यदि नहीं होता ह तो लाड मैकाले का स्वप्न साकार हो रहा है। बिहार में छात्र आन्दोलन और अनुशासन हीनता जो प्रदेश में बढ़ रही है शिक्षा की दोषपूर्ण प्रणाली है एक प्रमुख कारण में समझ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे देश में शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दें क्योंकि किसी राष्ट्र का आधार या उसकी नींव शिक्षा पर खड़ी होती है। मैं सबसे पहले यह चाहूंगा कि हमारे जो पाठ्यक्रम आयें उनमें नैतिक शिक्षा का विशेष ध्यान दिया जाय। आज जो उग्र रूप छात्रों में हो रहा है जो अनुशासनहीनता बढ़ रही है जो सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट हैं, या और लोग जो भ्रष्ट हैं, उसका मुख्य कारण यह है कि न पारिवारिक जीवन में धार्मिक शिक्षा दी जाती है, न हमारे पाठ्य क्रमों में ऐसा है। मनुष्य और जानवर में केवल यही फर्क है कि मनुष्य में विवेक होता है, नैतिकता होती है। जैसे कहा गया है---

आहार निद्रा भय मैथुनम् च, सामानमेतत् पशुभिर्नराणाम्।
धर्मोहि तेषाम् अधिको विशेषो, धर्मेण हीनः पशुभिः समानः॥

मत से धर्म बड़ा होता है। उसकी व्यापक परिभाषा है। आवश्यक है कि जो शिक्षा दें उसमें जरूर ऐसे विचार आयें जिसमें...

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)---

धर्म की चर्चा करेंगे तो आपके साथी अनुशासन की कार्यवाही न करें।

श्री प्रेमदत्त---

माननीय सदस्य बहुत काबिल हैं, उनका जवाब मैं यहां नहीं देना चाहता हूं। मैं उनको बधाई देता हूं बड़े विचारशील हैं वह। जहां तक प्रश्न है कि शिक्षा में भी चाहते हैं कि देश का जो राष्ट्रीय इतिहास है उसका भी समावेश होना चाहिये। जो हमारे देश के महर्षि दयानन्द, ईसा मसीह और महात्मा गांधी जी हैं, उनके विषय में शिक्षा अधिक विस्तार से देना चाहिये जिससे हमारे यहां चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में प्राइमरी शिक्षा पर बल देना चाहता हूं। मुझे शक हो रहा है जैसी कि सरकारी कर्मचारियों की ओर से चीज चल रही है कि प्राइमरी शिक्षा को कमजोर कर दिया जाये जिससे उनका फायदा है और जो ग्रामीण जीवन इस देश और प्रदेश का है वह पीछे हो जाय। इसलिये मुझे शक है कि जो देश देहातों का है, उसकी हालत को देखकर, उसके स्तर को देखकर यह स्वाभाविक हो जाता है। शहर में जो रहने वाले लोग हैं बड़े-बड़े अधिकारी हैं उनके पास साधन हैं इसलिये उनके बच्चे कम्प्टीशन में आ सकते हैं वह आई० ए० एस०, इंजीनियर और डाक्टर हो सकते हैं। जिस उपेक्षा से हमारे देहातों में शिक्षा दी जा रही है उसकी नीयत है कि वहां के लड़कों का बौद्धिक विकास न हो सके जिससे वह कम्पटीशन में न आ सकें।

मैं चाहता हूं कि सरकार इधर ध्यान दे। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो जैसा कि मेडिकल में सीट्स का हिस्सा बटा हुआ है। रूरल के इतने विद्यार्थी होंगे उसी तरह से इसमें हिस्सा बांट दिया जाये तो उनकी समझ में आ जायेगा वरना ग्रामीण शिक्षा का स्तर उठने वाला नहीं है। यह होता है जैसा कि और वक्ताओं ने कहा कि देहातों में जो जिला परिषद् के अन्तर्गत विद्यालय चल रहे हैं उनमें यदि 6-7 अध्यापक हैं तो मुश्किल से 1-2 अध्यापक ही पढ़ाने जाते हैं बाकी पेंशन लेते हैं। जब इन प्राइमरी स्कूल के छात्रों की परीक्षा होती है तो नतीजा शत प्रतिशत होता है। लेकिन जब वे लड़के आगे बढ़ते हैं तो 30 प्रतिशत या 40 प्रतिशत ही पास होते हैं और 70-80 प्रतिशत थर्ड क्लास पास होते हैं। आप बी० टी० सी० के एडमीशन के लिये डिवीजन पर मार्क्स देते हैं इस तरह से आप शिक्षा को डिस्करेज कर रहे हैं। यह दोषपूर्ण प्रणाली है इसमें परिवर्तन करना होगा और इसलिये करना होगा कि जो विद्यार्थी हैं उनका भविष्य आज अंधकार में है। उनकी शिक्षा पद्धति को रिवाइज करना होगा। यदि नहीं करते हैं तो मांग होगी और उस समय हम और आप परेशानी में पड़ जायेंगे।

एक बात और कहना चाहता हूं कि अध्यापकों को स्कूल से कम से कम 20-25 मील की दूरी पर रखना चाहिये जिससे लोग रोज-रोज घर न जा सकें। लेकिन उनकी पे कम से कम 200 रुपये माहवार रखनी चाहिये।

(लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, मुझे 5 मिनट और दे दिये जायें।

श्री अधिष्ठाता—

आप 5 मिनट में भाषण पूरा करें।

श्री प्रेमदत्त—

मैं यह कहना चाहता हूं कि प्राइमरी विद्यालयों के छात्रों के लिये पौष्टिक पदार्थ की व्यवस्था की जाये। यहां के लोग गरीब हैं। इसलिये यहां के बच्चों को पौष्टिक पदार्थ की व्यवस्था की जाय और इसके साथ ही साथ यूनीफार्म की व्यवस्था की जाय। मैं समझता हूं कि इससे कोई फायदा नहीं होता है बल्कि नुकसान होता है। यहां पर जो लड़के पढ़ कर आते हैं, उनसे खेती नहीं हो पाती है, नौकरी उन्हें मिल नहीं पाती है। उनकी हालत वैसी हो जाती है जैसी कि एक कहावत है कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का।

मान्यवर, ऐसा पाठ्यक्रम रखा जाय जिसमें उसे मनुअल लेबर करने की व्यवस्था हो। आप उसे कर सकते हैं। आप 1-2 एकड़ जमीन एक्वायर कर लीजिये। आप उस पर खेती का अभ्यास उनसे करायें, दस्तकारी का अभ्यास करायें। इस प्रकार से उनकी हिचकिचाहट दूर हो सकती है अगर उन्हें नौकरी नहीं मिलती है तो वे उस कार्य को कर सकते हैं। इस कार्य के लिये नम्बर नियत किये जायं इससे इधर लड़कों की रुझान पैदा होगी। मैं यह भी चाहूंगा कि एजूकेशन सिस्टम में परिवर्तन किया जाये जो लड़का हाई स्कूल पास कर लेता है और उसके बाद इन्टर में जाता है तो उसको कम से कम 50 प्रतिशत मार्क्स मिले तो इन्टर में जाये

[श्री प्रेमदत्त]

नहीं तो उसे वहीं पर ड्राप कर देना चाहिये। इसी प्रकार से इंटर में जो 50 प्रतिशत मार्क्स पाये वही डिग्री में जाये नहीं तो उसे वहीं ड्राप कर देना चाहिये। तो शिक्षा का लाभ होगा।

इसमें बुराई नहीं है कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाये। मैं इससे सहमत हूं। मैं बताना चाहता हूं कि जब तक प्राइवेट मैनेजमेंट के स्कूल रहे ज्यादा निर्माण कार्य हुए, ज्यादा फर्नीचर आया, ज्यादा भवन बने। जब से आपकी व्यवस्था आयी है तब से निर्माण कार्य होना रुका है। आप कहते हैं कि 85 प्रतिशत जमा कर दीजिये और 15 प्रतिशत में काम चलाइये। जब नैशनलाइजेशन करेंगे तो डेवलपमेंट के कार्य रुक जायगे। इसका कारण यह है कि आपकी मशीनरी करप्ट है। आप देखेंगे कि प्राइवेट मैनेजमेंट में अच्छा काम हो रहा है। श्रीमन्, आवश्यकता इस बात की भी है कि शिक्षा अधिकारियों को समाजवाद क्या है, देश क्या है, इस बात को समझाना होगा। यहां पर पुराने कंजरवेटिव लोग बैठे हुए हैं। इंदिरा गांधी जो नयी रोशनी लाना चाहती हैं उसका असर इन पर नहीं पड़ता है। इससे आपकी शिक्षा बढ़ने वाली नहीं है। आप जो नया रिकरूटमेंट करें उसमें इसकी व्यवस्था का ख्याल रखें। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

बाबा राम नाथ (जिला मैनपुरी)--

मान्यवर, जैसा कि मैंने बजट में देखा, अगर उत्तर प्रदेश की शिक्षा का यही हाल रहा तो शायद 80 साल लग जायें जब हम साक्षर बन सकें। सांख्यिकी को सामने रख लीजिये तो आपको मालूम होगा कि मेल एजूकेशन 21.64, फिमेल एजूकशन 10.18 और टोटल 31.82 यह है हमारे उत्तर प्रदेश की शिक्षा। जहां तक बेसिक शिक्षा का सवाल है कांस्टीट्यूशन में आर्टिकिल 45 में यह बिल्कुल स्पेसिफिकली ले डाउन है कि समूचे देश में 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा मुफ्त होनी चाहिये। आज मैं अखबार पढ़ रहा था। तो पता चला कि बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के अलावा सभी प्रान्तों में 6 से 8 कक्षाओं तक शिक्षा मुफ्त है। हमारे उत्तर प्रदेश में जहां तक कक्षा 6 से 8 तक का सवाल है वह भी मुफ्त नहीं मिलती है। इसलिये मौलिक तरीके से सबसे बड़ी आवश्यकता इस प्रान्त को शिक्षा की है।

श्री अधिष्ठाता--

तब तो आप कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में नहीं होंगे।

बाबा राम नाथ--

जहां तक कक्षा 8 का सवाल है। इस कक्षा तक डिवीजन बिल्कुल खत्म कर दिया जाय। क्योंकि उसके अन्दर बच्चे में इन्फीरियारिटी कम्पलेक्स आ जाती है। मान लीजिये एक लड़का गणित में होशियार है, दूसरा लड़का और किसी विषय में होशियार है, डिवीजन देकर एक लड़के को इन्फीरियारिटी कम्पलेक्स पैदा किया जाता है। मैं समझता हूं कि मौलिक परिवर्तन लाने के लिये कक्षा 8 तक यह देखा जाय कि इनकी हैबिट्स क्या हैं। तब जाकर हायर सेकेंडरी स्कूल और यूनिवर्सिटी में जब बच्चों को प्रवेश दिया जाय तब चाहे डिवीजन बना दिया जाय परन्तु कक्षा 8 तक किसी प्रकार भी डिवीजन की व्यवस्था नहीं होनी चाहिये।

हायर सेकेंडरी स्कूल्स में पढ़ाने के लिये टीचर्स की बड़ी समस्याएं हैं। वे टीचर्स जो 500 से 800 रुपये तक की तनख्वाह पाते हैं, जब वे रिटायर हो जाते हैं, तो उनको केवल 60 रुपये पेंशन दी जाती है। प्रिंसिपल अगर रिटायर हो जाता है तो उसे 75 रुपये पेंशन दी जाती है जब कि वह अपनी सर्विस में 800 रु0 वेतन पाता था। सरकार यह समझती है, मिनिस्टर्स यह समझते हैं चाहे वह एजूकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे वह पी0 डब्ल्यू0 डी0 डिपार्टमेंट हो जितने भी कर्मचारी हैं वह अपने इम्प्लाइज की समस्याओं को नहीं समझते हैं। इसलिये आज देखा जाता है कि कर्मचारियों में तमाम असंतोष व्याप्त है। जब किसी टीचर को एक्सटेंशन देने की

बात आती है तो वह मनमानी ढंग से एक्सटेंशन दिया जाता है उसमें यही नहीं देखा जाता है कि किसको एक्सटेंशन देना चाहिए और किसको एक्सटेंशन नहीं देना चाहिये। नतीजा यह होता है कि गलत आदमी को एक्सटेंशन मिल जाता है और सही आदमी को एक्सटेंशन नहीं मिल पाता है। आपके यहां एक्सटेंशन देने का कोई सिस्टम ही नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि हायर सेकेंडरी स्कूल में काम करने वाले टीचर्स के लिये विशेष ध्यान रखा जाय और जैसा कि गवर्नमेंट कालेजेज के अन्दर व्यवस्था है उसी प्रकार से व्यवस्था उनके लिये भी की जाय।

शिक्षा के क्षेत्र में सब से बड़ा बाधक यहां के मिनिस्टीरियल लेविल के लोग हैं। अभी मेडिकल कालेज का सवाल था, उसमें ऐडमिशन्स के लिये वह बच्चे जो गरीबों के लड़के थे वह मेडिकल कालेज में नहीं जा सके। अभी भूतपूर्व मुख्य मंत्री के द्वारा 110 लड़के मेडिकल कालेज में लिये गये। मुख्य मंत्री के द्वारा उनके लिये स्पेशल कोचिंग की व्यवस्था की गई, लाखों-लाखों रुपये खर्च किये गये। उनको गलत रास्ते से मेडिकल कालेज में भर्ती किया गया और हजारों विद्यार्थियों को जिनके मां बाप गरीब थे यदि वे फर्स्ट और सेकेंड क्लास थे व मेडिकल कालेजों में नहीं जा सके। यह हालत है गरीब और अमीर की आपस में। यहां पर हमारे मुख्य मंत्री जी नहीं हैं, परन्तु यहां पर अपने प्रदेश में जो यह गरीब और अमीर के बीच में भावनाएं हैं, इसको दूर करना चाहिये।

श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)—

मुख्य मंत्री जी का नाम स्पष्ट करा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

कोई आवश्यकता नहीं है।

बाबा राम नाथ—

हमारे देश में जो लोग अपने को राष्ट्रीयतावादी कहते हैं वह तामिल भाषा का विरोध करते हैं। मैं समझता हूं कि त्रिभाषा सही है। एक लड़का एम० ए० में पढ़ता है मैंने उससे पूछा कि आप मलयालम भाषा जानते हैं, तो उसने कहा कि मैं मलयालम भाषा नहीं समझता हूं। उसने कहा क्या यह भी भाषा है। हर एक भाषा की रक्षा के लिये मैंने इसमें देखा कि शिक्षा के मद में कुछ लाख रुपये बजट में रखा गया है। यह चापलूसी से वोट लेने का सवाल नहीं है यह राष्ट्रीयता का सवाल है। हमारे देश के अन्दर हिन्दी के विकास में कोई रुकावट नहीं आती यदि तामिल भाषा या उर्दू का उत्थान होता है। देश में जो प्रतिक्रियावादी शक्तियां हैं, वे कहती हैं कि यह भाषा नहीं चाहिये, वह नहीं चाहिये। मैं इसका घोर विरोध करता हूं कि भाषा के नाम पर प्रदेश का या देश का विविसेक्शन हो जायगा। मेरा तो यह भी कहना है कि जिसमें भाषाओं की कोई लिपि नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है, उसको खोजना चाहिये। बजट में जो उर्दू भाषा के लिये धनराशि रखी गयी है, वह बहुत कम है। इसे अधिक होना चाहिये।

जहां तक आयोग और समितियों का प्रश्न है वर्ष 1950 में डाक्टर राधा कृष्णन कमीशन बना था। उसकी एक बहुत ही सुन्दर रिपोर्ट है। उसी प्रकार से एक रिपोर्ट 1965–66 में कोठारी कमीशन की है लेकिन ये आयोग और कमीशन होते क्या हैं। जब स्वास्थ्य विभाग के बजट पर चर्चा होगी, तब इस विषय पर अपनी बातें रखूंगा। इन पर हमारे मंत्री लोग मन माने ढंग से काम करते हैं। कोठारी कमीशन ने जो 6 सुझाव दिये हैं, उनमें एक मुख्य सुझाव यह है कि एलीमेंटरी शिक्षा में पढ़ने वाले जो छोटे-छोटे विद्यार्थी हैं, उनके लिये जहां तक हो सके पुस्तकें मुफ्त दी जायं। लेकिन आज ही मैंने स्वतंत्र भारत में पढ़ा है कि चूंकि कागज नहीं मिलता इसलिये पुस्तकें महंगी होंगी। इन पुस्तकों में छोटी-छोटी बातें लिखी होती हैं। आयोग तो कहता है कि ये पुस्तकें मुफ्त में बंटें और सरकार कहती है कि महंगी मिलेंगी, तेज दामों पर खरीदनी पड़ेंगी, तो मैं नहीं समझता हूं कि किस तरह से काम चलेगा। मेरा सुझाव है कि

[बाबा राम नाथ]

एलीमेंट्री में विद्यार्थियों को मुफ्त में किताबें दी जायं। हमारे प्रदेश के अन्दर शिक्षा न बढ़े, यह नहीं होना चाहिये। आज सबसे मौलिक जरूरत यह है कि हमारा प्रदेश सबसे पहले साक्षर बने और दूसरी जरूरत यह है कि हमारे यहां पर यूनिवर्सिटी और कालेजेज खुलें।

हमारे इलाके में एक इन्टरमीडियेट लड़कियों का कालेज है। उसकी 1960 में जो हालत थी, वही आज भी है। वहां पर लड़कियां बरामदे में बैठ कर पढ़ती हैं, उनके बैठने का कोई स्थान नहीं है। ऐसे न जाने कितने स्कूल्स इस प्रदेश में होंगे जिनमें विद्यार्थियों के बैठने तक की जगह नहीं है। मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे इस बात की जांच करा लें कि लड़कियों के जो विद्यालय हैं, उसमें पर्याप्त एकोमोडेशन है या नहीं, आडिटोरियम है या नहीं। आडिटोरियम भले ही न हो, हॉल बन जायगा लेकिन जो लड़कियां वहां पर पढ़ती हैं, उनके लिये जगह का प्रबन्ध तो अवश्य ही होना चाहिये।

यह भी देखने में आया है कि विद्यालयों में विद्यार्थी तो 100–100 लेकिन मास्टर एक ही होता है। हमारे यहां पर एक स्कूल की बिल्डिंग गिर गयी जिसमें 2–3 विद्यार्थी मर गये। कम से कम ऐसे भवन हों जो गिरने न पायें और जिससे बच्चों की जानें बचायी जा सकें। हमारे मंत्री जी को विशेष रूप से एलीमेंट्री शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिये और उन्हें उन स्थानों पर जाकर देखना चाहिये कि बच्चों को कौन-कौन साधन उपलब्ध हैं, तभी प्रदेश का शिक्षा में उत्थान हो सकता है।

श्री भारत सिंह (जिला पौड़ी गढ़वाल)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण शिक्षा के अनुदान पर बोलने का सुअवसर प्रदान किया। मैं इस शिक्षा के बजट का समर्थन करता हूं और आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बजट में समाजवादी समाज की रचना की दिशा में ठोस कदम रखने का प्रयास किया है। यदि आप बजट की बारीकियों को देखें तो पायेंगे कि इसमें इन लोगों के लिये जो इस दिशा में पिछड़े हैं, सदियों से नहीं शताब्दियों से, उन लोगों को, जो शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रह गये हैं। जन जातियां है, आदिवासी हैं, हरिजन हैं, पिछड़ी जातियां हैं, उनको इस शिक्षा बजट में अनुदान देने की, छात्रावास में रहने की शिक्षा और पुस्तकों की निःशुल्क सुविधा दी गयी है—यह बहुत बड़ी उपलब्धि इस बजट की है। हम शिक्षा को समाज के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए एक अनिवार्य साधन मानते हैं।

आज सारे समाज में, सारे राष्ट्र में जो चारित्रिक ह्रास हो रहा है उसमें मूल में कहीं न कहीं हमारी शिक्षा में कोई कमजोरी है। इसी लिए राष्ट्र और समाज के चरित्र में ऊंची मान्यताओं में, नैतिक मान्यताओं में कमी आ रही है—उसे हम आज मानते हैं। इसलिए यह माना होगा कि हमारे समाज में जो कमी आयी है यह हमारी शिक्षा की कमी के कारण है। 1947 के बाद, आज तक, 27 साल में हमारे प्रदेश में शिक्षा ने साक्षरता के रूप में काफी प्रगति की है और पहले जबकि 1947 में इसका बजट 3 करोड़ का था, अब वह 125 करोड़ का हो चुका है—यह बहुत आशाजनक कदम है। इसके साथ ही साथ शिक्षा का बजट उस समय बजट का 11 प्रतिशत था वह आज 25 प्रतिशत है। इसलिए कहा जा सकता है कि यह प्रगतिशील बजट है। शिक्षा को उसके वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाने में और उसे और अधिक आगे बढ़ाने में यह एक सफल प्रयास है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आज की स्थिति को देखते हुए, देश की आवश्यकताओं को देखते हुए शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिये। जैसा कि हमारी पार्टी ने घोषणा की है कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये, मैं इस नीति का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि उनको इसी बजट में इसे स्वीकार करना चाहिये कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना ही चाहिये ताकि शिक्षा समुचित रूप में दी जाय और शिक्षा को आगे ले जाया जाय। जिन लोगों को शिक्षा नहीं मिली है, जो पिछड़े हुए हैं उनको शिक्षा मिल जाय, यह मैं आपके द्वारा शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगा।

माननीय महोदय, मैं कल भाषण सुन रहा था कटौती प्रस्ताव पर । एक सदस्य ने कहा है कि 5 करोड़ रुपया पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जो पंतनगर विश्वविद्यालय का प्रांगण बनने जा रहा है उसकी क्या आवश्यकता थी ? मैं कहना चाहता हूं कि पहाड़ों के बारे में आपका दृष्टिकोण वैसा ही है जैसाकि चौधरी चरण सिंह का है जो कि कुंठाओं से ग्रसित हैं । वह ऐसी बातें करते हैं जिसका कोई आधार नहीं होता है । आप भी उसी लाइन पर जा रहे हैं । मैं मान्य सदस्य से एक बात कहना चाहता हूं कि आप एक नवयुवक हैं और युवकोचित प्रतिभा आप में है, लेकिन मुझे भय है कि आपकी यह प्रतिभा कहीं कुंठित न हो जाय, जैसे कि चरण सिंह जी की हो रही है ।

पन्तनगर विश्वविद्यालय का जो प्रांगण बन रहा है यह केवल पहाड़ों के लिए नहीं है, पहाड़ों के विकास के लिए ही इसको माना जाय इतना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इससे सारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि और लाभ होगा और मैं चाहता हूं कि आज पहाड़ों की जो विशेष भौगोलिक परिस्थिति है, जो जल वायु है, उसमें पहाड़ों के विकास के लिए किन-किन चीजों का उत्पादन होना चाहिये यह हमें सोचना होगा । चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, पशुपालन के क्षेत्र में हो, चाहे औषधियों या अन्य क्षेत्रों में हो---इन सब के विकास के लिय ही वह प्रांगण खोला जा रहा है । आपको मालूम होगा कि हिमालय की तलहटियों में ऐसी औषधियां है जिनकी खोज के लिये कोई प्रयत्न नहीं हो पा रहा है । वहां के वद्य लोग उसका प्रयोग ऐसे लोगों में करते हैं जिनके रोगियों का इलाज बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में भी नहीं हो पाता और उन जड़ी बूटियों से उनको लाभ हुआ है । तो वे जड़ी बूटियां हिमालय में हैं । यह प्रांगण खोलने पर उनके विकास के लिए सुअवसर प्राप्त होगा ।

आप जानते हैं कि फूलों की घाटी सबसे प्रसिद्ध है । वहां दुनियां की सबसे अधिक जातियों के फूल हैं और उनसे विभिन्न प्रकार की औषधियां निकाली जा सकती हैं जिनका लाभ सारे देश को होगा । आप यह भी जानते हैं कि चायना इनवेजन के बाद तिब्बत से जो ऊन आती थी वह बन्द हो गयी इसके कारण हमारे देश को बहुत बड़ी क्षति उठानी पड़ रही है, यहां तक कि हम विदेशों से ऊन और उससे बनी चीजों का आयात कर रहे हैं। अगर इसी प्रांगण के द्वारा आस्ट्रेलियन टाइप और लोकल ब्रीड के सुधार से वहां अच्छी ऊन पैदा की जा सके तो यह सारे देश के लिये एक बड़ी उपलब्धि होगी । इसलिये इसकी उपयोगिता है, वहीं के लोगों के लिये नहीं, बल्कि सारे देश के लिये ।

एक विश्वविद्यालय गढ़वाल के नाम से खोला गया । इसके लिये मैं अपनी पिछली सरकार को जिसने इसकी घोषणा की थी बधाई देना चाहता हूं गढ़वाल के लोगों की ओर से । साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम यह नहीं चाहते है कि यह परम्परागत यनिवर्सिटियों की तरह काम करें, केवल एग्जामिनेशन लेने का काम करे या केवल उन युवकों को ही पदा करे जो डिग्री ले कर बेकारों की लाइन में खड़े हो जायं । बल्कि वहां ऐसा विश्वविद्यालय होना चाहिये, जहां हिमालय में छिपे जो खनिज पदार्थ हैं उनकी स्टडी हो, उसके लिये विशेष अनुसंधान केन्द्र हों ताकि उनका विकास हो सके और उसका लाभ सारे देश को मिल सके । इसके अतिरिक्त वहां पर मिलिटरी साइन्स का होना बहुत जरूरी है क्योंकि आप सब जानते हैं कि पहाड़ के लोगों का बहुत बड़ा योगदान मिलिटरी में रहा है और प्रत्येक परिवार से कोई न कोई व्यक्ति फौज में रहता है । एक तरह से वह मिलिटरी डिस्ट्रिक्ट है । इसलिये वहां इस तरह की शिक्षा देना हमारे लिये बहुत उपयोगी होगा क्योंकि हमारे देश को सब से बड़ा खतरा चीन से है जिससे हमारी सीमाय मिली हुई हैं ।

आज शिक्षा की हालत अजीबो गरीब है । जैसा कि सभी साथियों ने, विपक्ष से भी और इधर से भी, कहा है कि शिक्षा में बड़े दोष है, म उनसे इस बात में सहमत हूं कि आज शिक्षा में जो दोष हैं जो स्कूलों की हालत है, वह अजीबो गरीब है । बहुत से स्कूल लोगों न अपन प्रयास

[श्री भारत सिंह]

से खोले हैं किन्तु उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। जो स्कूल मान्यता प्राप्त हैं और जिन्हें अभी तक ग्रांट इन एड नहीं मिली है, कम से कम पहाड़ों में, क्योंकि वहां गरीबी अत्यधिक है, वहां के प्रत्येक स्कूल को जिसने वह शर्तें भी पूरी कर ली हों, और आर्थिक स्थिति से परेशान है, उन सबको ग्रांट इन ऐड की श्रेणी में अवश्य रखा जाय और इसी वर्ष से उन्हें अनुदान दिया जाय। जब तक आप उनकी सम्पूर्ण व्यवस्था अपने हाथ में न ले लें। यही मेरा निवेदन है।

श्री मूल चन्द राजपूत (जिला मुजफ्फरनगर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री सत्यपाल मलिक के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और इसके लिये अपनी रीजनिंग देता हूं कि ऐसा क्यों करता हूं। उत्तर प्रदेश देश के सभी प्रान्तों से बड़ा है। इसकी जनसंख्या 9 करोड़ के लगभग है। ऐसी स्थिति में वित्त मंत्री ने शिक्षा के लिये जो बजट रखा है वह अपर्याप्त है। इस प्रान्त में ऐसे वर्गों से छात्र आते हैं जिनकी आय न्यूनतम आय से भी कम है। इसलिय जब यह बजट बढ़ाया जायगा तभी इससे कुछ लाभ हो सकेगा।

शिक्षा भिन्न भिन्न-भागों में बंटी है। सबसे पहले प्राइमरी शिक्षा आती है। उसमें कई चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले छात्र आता है। प्राइमरी शिक्षा के अन्दर छात्रों की जो दशा है वह बयान नहीं की जा सकती। इनमें बच्चे ऐसे घरों से आते हैं जिनके घरों में सुबह का नाश्ता तक बच्चों को उपलब्ध नहीं होता है। इसलिये सरकार को ऐसा उपाय करना चाहिये जिससे कि उन बच्चों को सुबह का नाश्ता मिल सके। प्राइमरी शिक्षा के अध्यापकों को भी अनेक समस्यायें हैं। उनको समय से वेतन नहीं मिलता है। उनके लिये लाभदायक योजनायें भी लागू नहीं की गयी हैं। ट्रान्सफर की समस्या भी उनको दिन रात परेशान करे रहती है। एक साल के अन्दर 3—3 बार उनका ट्रान्सफर किया जाता है। इसके कारण वे ठीक प्रकार से पढ़ा भी नहीं पाते हैं। मेरा सुझाव है कि एक अध्यापक का ट्रान्सफर कम से कम 3 साल के बाद किया जाय।

प्राइमरी से पहले नर्सरी की शिक्षा आती है। शहरों में तो नर्सरी के स्कूल खुले हुये हैं, परन्तु देहात में उनकी व्यवस्था नहीं है। इसके कारण ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की जनता में भेदभाव की भावना जागृत होती है। ग्रामीण क्षेत्र से नर्सरी शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिये।

माध्यमिक शिक्षा पूर्णरूप से हमारे यहां लाभदायक नहीं हो पा रही है। इनके अध्यापकों को जो पेन्शन बेनिफिट दिये गये हैं उनको लागू अभी तक नहीं किया गया है। इनको जो पेन्शन दी गई है वह पर्याप्त नहीं है। उसके लिये भी अध्यापकों को मारे मारे फिरना पड़ता है। उनके कागजात कभी इस दफ्तर में जाते हैं तो कभी उस दफ्तर में जाते हैं। पेन्शन के संबंध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। इस संबंध में जो फार्मूला आपने राजकीय कर्मचारियों के लिये अपनाया है वही इनके लिये भी अपनायें। सरकार स्वयं कुछ न दे, अध्यापक जितना देना चाहें वे दें, यह उनकी मर्जी पर छोड़ दिया जाय, बाद को जो सहायता राजकीय कर्मचारियों को सरकार देती है वही इनको भी दे। इससे सरकार की भी बचत होगी और अध्यापकों को भी लाभ होगा।

टीचर्स का निलम्बन इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स के बिना स्वीकृति के डायरेक्ट हो जाता है इसका प्रबन्धक डबल फायदा उठाते हैं पहले टीचर्स को सस्पेंड करते हैं और फिर उसको बहाल कर देते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि उनको पूरे समय का वेतन देना पड़ता है। और उसकी जगह अपने रक्खे गये रिश्तेदार को भी तनख्वाह देते हैं। मैं शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस ओर वे विशेष ध्यान दें। और जब तक डी0आई0ओ0एस0 या आपके डी0डी0आर0 आदेश न दें तब तक किसी अध्यापक को सस्पेंड न किया जाय।

इसके अलावा सरकार ने नेशनलाइजेशन के लिये अध्यापकों से वायदा किया था और अब वह उसको टालती जा रही है। उसकी रिपोर्ट आने वाली थी, लकिन उसकी रिपोर्ट

को नवम्बर के लिये, टाल दिया गया है। मैं चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री इसकी ओर ध्यान दें। नेशनलाइजेशन का रूप जिसको ज्यादातर अध्यापक चाहते हैं, उसे ही विशेष रूप से करने की कृपा करें। जिससे सरकार तथा अध्यापकों, दोनों को लाभ हो।

अब दूसरी समस्या ग्रेड की है। हमारे विद्यालयों के अन्दर अब भी 3–4 टाइप के ऐसे अध्यापक हैं जिनका ग्रेड आज तक नहीं तय किया गया है। वे बेचारे उन्हीं दकियानूसी ग्रेडों में पेड़े हुये हैं। इस प्रकार आर्ट अध्यापक, विज्ञान अध्यापक आदि ऐसे अध्यापक हैं जिनका ग्रेड आज तक भी तय नहीं हुआ है। इस ओर भी शिक्षा मंत्री ध्यान ने की कृपा करें। मैं कुछ और समय चाहूंगा।

श्री अधिष्ठाता---

आप 2 मिनट ले लें।

श्री मूल चन्द---

आप 5 मिनट दे दीजिये।

श्री अधिष्ठाता---

आप 3 मिनट में अपनी बात खत्म कीजिये।

श्री मूल चन्द---

इसके बाद हायर एजूकेशन की बात आती है। हमारे विश्वविद्यालय बढ़ रहे हैं लेकिन उनके अन्दर प्रबन्ध ठीक नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं कि छात्रों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। इसकी ओर शासन को ध्यान देना चाहिये। मैं समझता हूं कि जो पोस्ट ग्रेजुए या ग्रेजुएट छात्र उत्तीर्ण होकर जब निकलते हैं तो उनके सामने एक समस्या होती है रोजगार की। उनको रोजगार कहीं नहीं मिलता है। वैसे मैं मानता हूं कि रोजगार की कमी है। परन्तु इसके साथ ही साथ जो हमारे फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास छात्र होते हैं बिना रोजगार रह जाते हैं और दूसरे सिफारिश आदि से नौकर हो जाते हैं इस तरह से हमारे फर्स्ट क्लास विद्यार्थियों के साथ अन्याय होता है। तो इस भाई बिरादरी और जातिवाद और सिफारिश की ओर सरकार को ध्यान ना चाहिये। छात्र सोचते हैं कि आज के जमाने में सर्विस के लिये सिफारिश का होना जरूरी है। और इसीलिये इनमें असंतोष बढ़ता जा रहा है।

हमारी शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिये कि उसके अन्दर वोकेशनल या पढ़ाई के साथ-साथ ऐसे ट्रेड भी सिखायें जायें जिससे आगे चलकर यदि विद्यार्थी को सर्विसेज न मिलें तो वह ट्रेड के जरिये अपना जीवन व्यतीत कर सके। मान्यवर, दिल्ली में 23 सब्जेक्ट्स ऐसे चुने गये हैं जो पढ़ाई के साथ-साथ पढ़ाये जाते हैं। जैसे टाइपराइटिंग, फ्रूट प्रीजरवेशन आदि। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार के वोकेशनल गाइडेंस या वोकेशनल सब्जेक्ट्स छात्रों को पढ़ाये जायं। इसके अतिरिक्त छात्रों के चरित्र को भी ऊंचा उठाने की व्यवस्था की जाय।

*श्री मेघनाथ सिंह (जिला मेरठ)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस शिक्षा के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं अपने शिक्षा मंत्री जी को जिन्होंने यह बजट पेश किया है, बधाई देता हूं। इस बजट के अन्दर उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज दी है जैसी पिछले बजट में नहीं थीं और

---

*बक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मेघनाथ सिंह]

उनसे इस बजट में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। खास तौर से ऊंची शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय और डिग्री कालेजों का जहां तक संबंध है अब तक 3-3, 4-4 वर्ष तक अध्यापकों को ग्रांट का इंतजार करना पड़ता था। और विश्वविद्यालयों को जो ग्रांट मिलनी होती थी, ग्रांट देने की जिम्मेदारी डाइरेक्ट्रेट की थी। और वह उनको नहीं मिल पाती थी।

हम तो आभारी हैं माननीय मंत्री जी के जिन्होंने इस वर्ष से जो भी अध्यापक डिग्री कालेजों में नियुक्त होंगे उनको तभी से ग्रान्ट देने का वायदा किया है। वह बधाई के पात्र हैं। यह एक क्रांतिकारी कदम है जो डिग्री कालेजों के प्रति उठाया गया है। मेरा सुझाव है कि डिग्री कालेजों की जो ग्रान्ट अभी पुराने ढंग से एसेस होती है तो उसको उस तरह से नहीं एसेस करना चाहिये। बल्कि आमदनी और खर्च में जो अन्तर है वह डिग्री कालेजों को मिलना चाहिये क्योंकि अन्य प्रान्तों तथा राज्यों में ऐसा ही होता है। दूसरी बात यह है कि उच्च शिक्षा का निदेशालय तथा डिग्री कालेजों का निदेशालय अलग-अलग हो गये हैं। लेकिन उस निदेशालय को उतने अधिकार नहीं मिले क्योंकि डिग्री कालेजों की शिक्षा दो हिस्सों में बटी है--एक तो मान्यता पर नियंत्रण यूनिवर्सिटी का हो और फाइनेन्स पर नियंत्रण निदेशालय का हो। बहुत सी बातें इसमें ऐसी पैदा हो जाती हैं कि यूनिवर्सिटी पर कंट्रोल न होने के कारण यूनिवर्सिटी और निदेशालय में टकराव हो जाता है वहां पर निदेशालय शून्य हो जाता है। तो मेरा सुझाव मंत्री जी से है कि वह यूनिवर्सिटी ऐक्ट में संशोधन करके और निदेशालय को कुछ और पावर मिलनी चाहिये जिनमें फाइनेन्स के क्षेत्र में आने वाली बातों में डिग्री कालेजों के ऊपर नियंत्रण हो।

दूसरी बात मैं इन्टरमीडिएट बोर्ड के संदर्भ में कहना चाहता हूं। इण्टरमीडिएट बोर्ड का सबसे बड़ा प्रश्न है। सन 1921 में यह इण्टरमीडिएट ऐक्ट बना था। उस वर्ष की संख्या को लगाया जाय तो लगभग पचास गुनी संस्थायें इस राज्य में बनी हैं। परन्तु उनका जो विधान था उसके अन्तर्गत 4 प्रिंसिपल लिये गये थे इण्टरमीडिएट कालेजों के और 2 हाई स्कूल कालेजों के। आज भी वही बात कायम है। जो अभी हमारा बोर्ड बनता है तो उसमें भी 4 प्रिंसिपलों का चुनाव राज्य भर से होता है जबकि 50 गुनी संस्थायें बढ़ गई हैं और बोर्ड के दो हिस्से हो गये हैं।

मान्यवर आपके माध्यम से मैं शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि शिक्षा को इस प्रान्त इस राज्य के अन्दर सही माने में चलाना है तो बोर्ड के दो हिस्से नहीं 4 हिस्से बनाने पड़ेंगे। गोरखपुर बोर्ड में गोरखपुर तथा बनारस को मिलाकर एक बोर्ड, इलाहाबाद बोर्ड में फैजाबाद, इलाहाबाद और झांसी--यह तीन रीजन करने पड़ेंगे और एक रीजन बरेली में अवश्य करना पड़ेगा जिसमें लखनऊ, बरेली और पहाड़। एक मेरठ में बन चुका है। इसमें मेरठ, आगरा, रीजन आते हैं। यह आवश्यक बात है और उनको बोर्ड बनाना पड़ेगा इस प्रकार कान्स्टीट्यूशन में यह परिवर्तन करना पड़ेगा कि प्रिंसिपल का रिप्रेजेन्टेशन और मैनेजमेन्ट का रिप्रेजेन्टेशन हो। यह इस तरह का रिप्रेजेन्टेशन हो कि जिससे शिक्षा की सही प्रगति हो सके। यह अंग्रेजों के समय में जब जमींदारी प्रथा थी उस समय ऐक्ट बना था और इसलिये बना था कि जिससे बड़े-बड़े लोगों को चोर दरवाजे से शामिल कर सकें। अंग्रेजों ने अपने सर्वथा चाटुकारों के लिये यह ऐक्ट बनाया था। आज उसमें मामूली-मामूली संशोधन किये जाते हैं। लेकिन बनावट में संशोधन नहीं हो पाता है।

दूसरी बात मैं इण्टरमीडिएट बोर्ड के संबंध में कहना चाहता हूं। अभी हमारे सामने इण्टरमीडिएट का रिजल्ट आया है। और वह भी जब 33 के बजाय 28 पर पास किये गये। इण्टरमीडिएट का रिजल्ट आया 56 प्रतिशत। आखिर क्या कारण है। बात स्पष्ट है। हाई स्कूल के पपर्स बनाये जाते हैं। अधिकतर यूनीवर्सिटीज के प्रोफेसर्स द्वारा जिन्हें हाई स्कूल का स्टैन्डर्ड पता नहीं है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि मांडरेट कहां सोये रहते हैं जब पेपर बन कर

आते हैं । मुझे यह कहने में हिचक नहीं है कि जो पढ़ाने वाले अध्यापक हैं अगर उन्हें ही पेपर्स करने के लिये दे दिया जाय गणित का तो मुश्किल से 10 प्रतिशत पास होंगे । यह 32 प्रतिशत रिजल्ट तब रहा जब कि 28 पर पास किया गया और 5 नम्बर ग्रेस के दिये गये । सारे लड़कों का सत्यानाश ही होता है । जब पेपर बनकर आते हैं तभी देख लेना चाहिये । अब प्रश्न आता है कि आपने कोर्स चेंज किया गणित, फिजिक्स, केमेस्ट्री और बायलोजी का । लेकिन इसके पढ़ाने वाले कौन हैं ? वही पुराने ढर्रे के आदमी जिन्हें अधिकतर उन कोर्स के बारे में ज्ञान नहीं। पिछले साल एक रिफ्रेशर कोर्स चलाया गया उसमें वही अध्यापक भेजे गये जो अनट्रेन्ड थे । इस वर्ष कुछ ने नौकरी छोड दी और कुछ ट्रेनिंग में चले गये । इन्स्टीट्यूशन्स को कोई फायदा नहीं हुआ । अति आवश्यक यह है कि जुलाई के महीने से रिफ्रेशर कोर्स साइन्स में विशेषकर गणित में कर देना चाहिये । ताकि वास्तविक लाभ उठा सकें ।

एक बात मैं मान्यता के विषय में कहना चाहता हूं । यह तो बहुत अच्छा रहा कि इस साल सब सेन्टर्स बदल दिये गये, किसी स्कूल का वही सेन्टर नहीं रहा और नकल के चान्सेज कम हो गये । लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि जिस वक्त इन्स्टीट्यूशन्स को ग्रान्ट . . . मान्यवर, मुझे 10 मिनट का समय और दें । मैं तो अभी बोला ही हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

आप 8 मिनट बोल चुके हैं । आपको 5 मिनट और दिये जा सकते हैं ।

श्री रेघनाथ सिंह—

मान्यवर, मैं कह रहा था कि जब किसी इन्स्टीट्यूशन्स को मान्यता या ग्रान्ट दी जाती है तो यह देखा जाता है कि परीक्षाफल कितना रहा, नकल तो नहीं हुई । जब इन्स्टीट्यूशन्स में लड़कों ने इम्तहान नहीं दिया, बाहर से लड़के और अध्यापक आये तो अब इसका सवाल ही क्यों उठता है नकल का । इसमें मैनेजमेंट का क्या दोष है अगर कोई केसेज हो जायं । तो यह जीज नहीं होनी चाहिये । इस साल मान्यता मिल रही है । जब कि बोर्ड का रिजल्ट ही 32 प्रतिशत रहा तो 50 प्रतिशत पर क्यों जोर दिया जाता है । बोर्ड का रिजल्ट ही स्टैण्डर्ड रिजल्ट मान लिया जाय और उसी के अनुसार मान्यता और ग्रान्ट इन्स्टीट्यूशन्स को दिया जाय यह मेरा सुझाव है ।

बेसिक शिक्षा के बारे में सुझाव यह है कि जो अभी कुछ माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं बेसिक शिक्षा के बारे में कि सरकार ने उसको फैला दिया, लेकिन उस शिक्षा को पढ़ाने वाले अध्यापकों में कोई परिवर्तन नहीं हो सका । इस बात को कहने में मुझे कोई हिचक नहीं कि वह अध्यापक यह नहीं जानते कि हमें क्या पढ़ाना है और जानते भी हैं तो पढ़ाना नहीं चाहते । उसका कारण यह है कि जो प्राइमरी स्कूल का अध्यापक है अपने घर के पास ही रहना चाहता है । जो तनख्वाह उसे मिलती है उसे पेन्शन के रूप में मिलती है। यह जो सुझाव आया कि वह 15–20 मील के फासले से कम नहीं रहने चाहिये, इनको मान लिया जाय ।

ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूशन्स के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं बी० टी० सी० के चेन के सिलसिले में। जब लड़कियों का चुनाव होता है बी० टी० सी० और सी० टी० में तो शहरों की लड़कियां चली जाती हैं और वह ट्रेनिंग करने के बाद चाहे उन्हें साल-दो साल घर बैठना पड़े वह बैठ जाती हैं लेकिन देहात नहीं जातीं । मेरा सुझाव यह है कि ट्रेनिंग में देहात की लड़कियों का आधा रिप्रेजेन्टेशन हो जिससे देहात में जाकर पढ़ा सकें चाहे उनके नम्बर कितने ही कम क्यों न हों । अबकी बार बी० टी० सी० बहुत कुछ तोड़ दी गयी जो कि प्राइवेट मैनेजमेन्ट के अन्दर थी। सब धान 27 सेर बिक गये। जिनका 27 परसेंट रिजल्ट था वे भी और जिनका 90 से 95 परसेंट

[श्री मेघनाथ सिंह]

रिजल्ट था वे भी। होना चाहिये था यह कि पहले एक नोटिस निकालते कि जिसका 80 परसेंट से कम रिजल्ट होगा उसको तोड़ दिया जायगा। अगर ऐसा करते तो उनको प्रोत्साहन भी मिलता।

इसी तरह से अध्यापकों के पढ़ाने की बात है। आपने उनके वेतन देने का एक क्रान्तिकारी परिवर्तन किया। लेकिन मेरा यह सुझाव है कि उन पर यह भी उत्तरदायित्व है कि अपना रिजल्ट ऊंचा करके दें। अगर किसी का रिजल्ट गिरा हुआ है तो उसका इंक्रीमेंट रोक देना चाहिये और अगर कोई परमानेन्ट है तो तीन साल तक अगर रिजल्ट खराब रहता है तो उसको सर्विस में नहीं रखना चाहिये। सरकारी पैसा अध्यापक खाता है तो उसका सदुपयोग होना चाहिये। सरकारी कर्मचारियों की तरह उनके लिये भी उनकी जिम्मेदारियों के प्रति एक कोड बना देना चाहिये। जहां तक राष्ट्रीयकरण की बात है तो मैं उसका विरोधी नहीं। राष्ट्रीयकरण के मायने हैं सर्विसेज को ले लें, भवन की मरम्मत की जिम्मेदारी ले लें। फर्नीचर की जिम्मेदारी ले लें। लेकिन अगर इन जिम्मेदारियों से बचने के लिये आप एक निगम बनावें और मैनेजमेन्ट की जिम्मेदारी रहे भवन सप्लाई करने की, फर्नीचर सप्लाई करने की तो ऐसे निगमीकरण के मैं विरोध में हूं, राष्ट्रीयकरण के विरोध में नहीं।

एक बात संस्कृत पाठशालाओं के बारे में है। उनकी स्थिति बहुत नाजुक है। शास्त्री और आचार्य हायर सेकेन्ड्री स्कूल में चले जाते हैं और यहां अच्छे संस्कृत अध्यापक नहीं मिलते तो मेरा निवेदन है कि यहां का वेतन हायर सेकन्डरी स्कूल के वेतन के बराबर कर दें। कुछ शब्द उर्दू के बारे में कहना चाहता हूं। काफी विचार हो चुका है। मान्यवर, हम उर्दू के विरोधी बिल्कुल नहीं। लेकिन उर्दू के हिमायतियों से इतना कहूंगा कि 200 वर्ष पूर्व मीर अम्मन और दूसरे उर्दू लेखकों ने जो लिखा तो वह क्या जबान थी और आज जो रेडियों पर प्रसारित होती है क्या यह वही उर्दू जबान है। उर्दू का जो लिट्रेचर था वह हिन्दी के अन्दर समाविष्ट हो जाना चाहिये था। आज जो सवाल है वह लिपि का है। लिपि पर जोर देते हैं लिट्रेचर पर नहीं देते।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे अवसर दिया इसलिये मैं आभारी हूं। शिक्षा बजट देखने के बाद मेरे मन में शंका हुई। अध्यापक होने के नाते मैं कटौती चाहता हूं एक विचित्र बात है। लेकिन जिन परिस्थितियों में बजट तैयार किया गया है उनसे लगता है कि वास्तव में जो सरकार कहती है और जो नारा लगाती है ठीक उसके विपरीत यह बजट है।

मान्यवर, शिक्षा का उद्देश्य सरकार की नीति को, लागू करना होता है। प्रदेश की जो पालिटिकल फिलोसफी है, ठीक उसी के अनुरूप नागरिकों को तैयार करना शिक्षा का उद्देश्य है। समाजवाद की बात तो यह सरकार करती है, लेकिन इस शिक्षा के बजट में वह कहीं नहीं दिखाई पड़ती। हमारे कांस्टीट्यूशन में जो शिक्षा के बारे में डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स उसके संबंध में इस बजट में कुछ दिखाई नहीं पड़ता। कम्पलसरी एजूकेशन, फ्री एजूकेशन कहीं ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं देती। 27 साल बाद भी आज गांवों में शिक्षा की हालत ज्यों की ज्यों है। गांवों में लड़के बेकार हैं। प्राइमरी स्कूलों स्थिति की ओर मैं इस सरकार का विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। एक बार केरल में सोशलिस्ट पार्टी के श्री थानू पिल्ले चीफ मिनिस्टर थे। तब 10वीं कक्षा तक शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था और दोपहर में नास्ते की व्यवस्था की गयी थी। 4—5 साल के बच्चे दिन भर उपवास करके शाम को स्कूल से घर वापस लौटते हैं। ऐसी हालत में वे क्या पढ़ेंगे ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, इस देश और प्रदेश में आज एक नया वर्ग तैयार किया जा रहा है। हमने आई0 ए0 एस0 की लिस्ट उठाकर देखी है। 85 प्रतिशत लड़के ऐसे हैं जो आई0 ए0 एस0 परिवार से आते हैं। पुलिस, इंजीनियरिंग मेडिकल. . .एक वर्ग बनता चला जा रहा है। जो जिस पद पर है, उसी का लड़का उस पद पर आता है। किसान का लड़का किसान ही रह जाता है। डा0 लोहिया ने इसीलिये कहा था कि हमारी शिक्षा की नीति में आमूल परिवर्तन करना पड़ेगा। लेकिन उसकी तरफ इस बजट में कोई बात दिखाई नहीं देती। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने ऐसे स्कूल हैं जहां पर छप्पर हैं या लड़कों के पास बैठने का स्थान है। और दूसरी तरफ खुले हैं एयर-कन्डीशन्स स्कूल, जैसे कन्वेंट, नर्सरी, शिशु सदन आदि जहां पर एक-एक बच्चे पर दो-दो ढाई-ढाई और तीन-तीन सौ रुपये खर्च होता है। एक तरफ इस तरह के स्कूल और दूसरी तरफ ऐसे स्कूल जिनमें 2 रुपये भी नहीं खर्च होता प्रति बच्चे पर। यह कौन सी आपके समाजवाद की तस्वीर है? 80 प्रतिशत ऐसे बच्चे जिन पर केवल 2 रु0 खर्च और 5,10 प्रतिशत ऐसे बच्चे जिन पर 200 या 300 रुपये खर्च। ऐसा प्रतीत होता है कि यह व्यवस्था अनवरत चलती ही रहेगी। यह तो वर्गवाद को जन्म देती है, नौकरशाही की प्रवृत्ति को पुनर्जीवित करती है। समाजवाद की इसमें कहीं कोई तस्वीर नहीं है। इसलिये प्रार्थना है, विनती है, अर्ज है कि इस प्रकार की सभी शिक्षण संस्थाओं को बन्द कर दें और ऐसे प्राइमरी स्कूल खोले जायं जहां पर सभी बच्चे टाट पर बैठकर शिक्षा प्राप्त करें। एक ही वर्दी हो और एक ही तरह का दोपहर का भोजन हो। आप सारा बजट शिक्षा को दे दें, लेकिन प्राइमरी स्कूल में बच्चों को एक सी पढ़ने की व्यवस्था हो, चाहे वह कलेक्टर का बच्चा हो या चपरासी का।

आज, मान्यवर, हायर सेकेन्ड्री स्कूलों में 65 या 70 हजार के करीब अध्यापक काम करते हैं। हड़ताल हुई, संघर्ष हुआ। आपने राष्ट्रीयकरण की घोषणा की। लेकिन आज आप निगम बनाने जा रहे हैं। यह सरकार निगमों की सरकार बनती जा रही है। शिक्षा का टेक ओवर होना चाहिये था। प्रबन्धकों की जो दूकानदारी है, उनके हाथों से शिक्षा लेकर ही माध्यमिक शिक्षकों का कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं।

मैं अध्यापकों के बारे में कुछ सवाल रखना चाहता हूं। कहते हैं कि उन्हें 15 मील की दूरी पर नहीं रखना चाहिये। 20 मील की दूरी पर रहें। मैं पूछना चाहता कि आप कितना अध्यापक को वेतन देते हैं। एक बैंक का चपरासी 400 रुपये पाता है। लेकिन माध्यमिक स्कूल का अध्यापक, जो एम0 ए0 है, केवल 100 या 125 रुपये तनख्वाह पाता है। शर्म नहीं आती है यह कहते कि उसको घर से दूर कर दिया जाय। आप भूखों मारना चाहते हैं उस अध्यापक को। मैं मानता हूं कि आज शिक्षा का स्तर गिरा है, लेकिन उसका दोषी अध्यापक नहीं है। अध्यापक गुरू है, अध्यापक की आवश्यकतायें कम हैं, केवल यह कहकर आप नहीं बच सकते हैं। एक तरफ हिन्दुस्तान की प्रधान मंत्री पर 35 हजार रुपये खर्च होगा और दूसरी तरफ अध्यापक पर केवल 5 रुपये खर्च होगा? गुरू पर 5 रुपया खर्च नहीं होगा और राजा पर 3 हजार खर्च होगा यह उचित नहीं है। अध्यापकों को जो सुविधायें दी गयी हैं वे अल्प हैं। अगर उनको नहीं बढ़ाया जायगा तो शिक्षा के स्तर में सुधार नहीं होगा।

मैं विद्यार्थियों के संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। कंट्रोल रेट पर किताबें और कागज दिया जाय वर्ना अव्यवस्था पैदा होगी और आप उसे रोक नहीं सकेंगे। संविधान में छात्रों को यूनियन बनाने का जो मौलिक अधिकार मिला हुआ है वह मूलभूत अधिकार उनको दिया जाय, उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये चाहे इंटरमीडिएट कालेज हो, डिग्री कालेज हो अथवा विश्वविद्यालय हो।

शिक्षा विभाग सर से पैर तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। आप जानते होंगे कि जब ग्रान्ट स्वीकार हो जाती है तो नीचे से ऊपर तक 75 फीसदी भ्रष्टाचार में समाप्त हो जाती

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा]

है और 25 फीसदी ही शिक्षा के काम में आती है। कारण यह है कि विभाग एक दम नपुंसक बन गया है। महाराजगंज इंटर कालेज में 4,5 साल से प्रिन्सिपल को वेतन विभाग दे रहा है लेकिन प्रबन्धक उनको प्रिन्सिपल नहीं मानता। इसी तरह से महाराजगंज में डिग्री कालेज है जवाहरलाल नेहरू स्मारक डिग्री कालेज, उसमें हिन्दी के प्रवक्ता हैं वेद प्रकाश पान्डेय। वाइस चान्सलर ने लिखा कि उनको ड्यूटी दी जाय लेकिन 7 रिमाइंडर्स के बाद भी उनको ड्यूटी नहीं दी गयी। देवरिया में एक चन्द्र प्रकाश, डी0 आई0 एस0 हैं। एक विधायक ने उनकी शिकायत की। उन्होंने विधायक के जाली दस्तखत करके लिख दिया कि अब हमको कोई आपत्ति नहीं है लेकिन विधायक ने जब लिखा कि उनका एसा कोई पत्र नहीं है तो भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस तरह का जो भ्रष्टाचार है इसे मिटाने का प्रयास किया जाय।

भाषा नीति के संबंध में दो शब्द कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। उर्दू ने पाकिस्तान को बनाया नेता जनसंघ ने यह बताया लेकिन यह वास्तविकता पर परदा डालना होगा। डाक्टर लोहिया ने कहा था कि जब तक देश की लोक संस्कृति नहीं होगी तब तक वह देश चल नहीं सकता। भाषा ने पाकिस्तान नहीं बनाया, भाषा ने पाकिस्तान को तोड़ा है जो बंगला देश के इतिहास से सिद्ध होता है। जो कहते हैं कि उर्दू ने पाकिस्तान बनाया, भाषा ने पाकिस्तान बनाया वह गलत कहते है क्योंकि डाक्टर लोहिया के कथनानुसार लोक संस्कृति लोक भाषा देश को तोड़ती नहीं है, नये देश का निर्माण करती है। इतना कह कर मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्रीमती बेनो बाई (जिला झांसी)—

माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो शिक्षा का अनुदान प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करना चाहती हूं। मान्यवर, इस जनप्रिय सरकार ने बुलेदखंड में विश्वविद्यालय की स्थापना की, आयुर्वेदिक कालेज का प्रान्तीयकरण किया और ललितपुर को जिला बनाया। मैं ऐसी जन-प्रिय सरकार को बधाई देती हूं।

मैं शिक्षा मंत्री जी से कुछ निवेदन करना चाहती हूं। पहला निवेदन यह है कि इस प्रदेश में 600 माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनको मान्यता प्राप्त है लेकिन उनको एड नहीं दी गई 5,7 हजार अध्यापक इस तरह से ऐसे हैं जो फेसिलिटी गवर्नमेंट कालेज के टीचर्स को मिलती है वह उनको नहीं मिलती, इसलिये उनमें इस असमानता के कारण असंतोष है। इन मान्यता प्राप्त कालेजों को एड अवश्य दी जानी चाहिये जिससे जो टीचर की असमानता है वह दूर हो सके।

दूसरे बेसिक प्राइमरी स्कूलों के लिये भवनों का अभाव है। भवनों का अभाव होने से वे पेड़ की नीचे बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं जिससे लोगों को बड़ा दुख होता है। कड़ाके की धूप में बच्चों को पढ़ना पड़ता है। अक्सर बरसात में तो ये प्राइमरी स्कूल बन्द हो जाते हैं। इसलिये मैं आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि व इस शिक्षा अनुदान में स्कूलों के भवनों के निर्माण के लिये आवश्यक प्राविधान करें।

तीसरी बात यह है कि बेसिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वह बहुत ही दोषपूर्ण है। पाठ्य-क्रम ऐसा होना चाहिये जिससे भविष्य में जाकर बच्चे अपना जीविकोपार्जन कर सकें। आज छात्रों में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। इसलिये इस पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा का भी प्राविधान होना चाहिये।

चौथी बात यह कि प्रदेश में हरिजन छात्रावासों का बहुत ही अभाव है। अगर कहीं है भी तो वे अपने निज के भवन नहीं हैं। जैसे कि झांसी में एक हरिजन छात्रावास है जो कि किराये का चलता है। केवल 20 छात्र उसमें एडमीशन ले पाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करूंगी कि कम से कम 200 छात्र जिस हास्टल में रह सकें, ऐसे भवन का निर्माण होना चाहिये और अनुदान में इसका प्राविधान होना चाहिये।

पांचवीं बात मंत्री जी से मैं यह निवेदन करूंगी कि हर ग्रामीण क्षेत्र में दो-दो तीन-तीन मील की दूरी पर जूनियर हाई स्कूल और गर्ल्स के जूनियर हाई स्कूल होने चाहिये। वहां पर को-एजूकेशन शिक्षा प्रणाली होने से बालिकाओं का जो होम-साइंस का विषय होता है वह छूट जाता है जिसकी वजह से जब वे हाई-स्कूल में पहुंचती हैं तो उन्हें बड़ी परेशानी का मुकाबला करना पड़ता है और बहुत सी छात्रायें होम-साइंस में फेल हो जाती हैं। इसके साथ ही मैं मंत्री जी से यह भी प्रार्थना करूंगी कि हर 10 मील के अन्दर एक गवर्नमेंट हाई स्कूल होना चाहिये क्यों कि एडेड हाई स्कूल नहीं चल पाते हैं। छात्रों तथा टीचर्स में अनुशासनहीनता हो जाती है।

अन्त में एक निवेदन और करूंगी कि जितने प्राइवेट कालेजेज हैं उनका राष्ट्रीयकरण अवश्य किया जाय छात्रों और टीचर्स में जो अनुशासनहीनता फैली हुई है, वह न हो। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी ने जो शिक्षा का अनुदान पेश किया है, उसका समर्थन करती हूं और भाई सत्पाल जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसका विरोध करती हूं।

*श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं शिक्षा के कटौती के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज 27 वर्ष के बाद भी देश में वही शिक्षा चल रही है जिसे कि मैकाले ने लागू किया था। उसने साफ घोषणा की थी कि भारत के अन्दर मैं वही शिक्षा लागू करने जा रहा हूं जिसको भारत के लोग पढ़ेंगे और बाद में मानसिक रूप से अंग्रेज हो जायेंगे। शरीर उनका हिन्दुस्तानी रहेगा और आत्मा अंग्रेज हो जायेगी। आज 27 वर्ष की आजादी के बाद भी वही दशा है। हम इतने दिनों के बाद भी अपनी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं बना सकें, अपने नन्हें-मुन्ने बालकों में शिक्षा का प्रसार न कर सके। आज इस प्रदेश के गांवों में जाकर आप देखें कि ये नन्हे-मुन्ने बच्चे जो कि भारत के भविष्य की निधि हैं वे पेड़ के नीचे खुले मैदान में बढ़ते हैं जहां कि कोई अध्यापक भी नहीं है और कहीं-कहीं तो नाम-मात्र के लिये ही स्कूल हैं। जब बारिश आती है तो वे अपने घरों को भाग जाते हैं। कोई पढ़ाई नहीं हो पाती है। गांवों के अन्दर के बच्चे आज भी करमी के पत्ते, भसेड़ और अटेर की जड़ खाकर स्कूल जाते हैं। पढ़ाई की बात तो वे सोच ही नहीं सकते हैं। हरिजनों के बच्चे आज गांवों में बकरी चराते हैं और सानी करते हैं। वे अपनी पढ़ाई-लिखाई न कर अपना मूल्य जीवन नष्ट करते हैं। क्या सरकार उनके बारे में कोई विचार कर रही है। हम जब इस पर विचार करते हैं तो ऐसा लगता है यह सरकार 27 वर्ष बाद भी इस पर सोचती नहीं है।

विपक्ष में बहुत से माननीय सदस्य ऐसे बैठे हुए हैं जिनके मन में भी वह भावना है और जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी है, जिनके मन में देश के उत्थान की ज्वाला जल रही है। लेकिन आज वे भी मौन साध कर बैठे रहते हैं--इस खून के दरिया में अक्लमंद डूबे हैं, क्योंकि कोई कश्ती उस पार नहीं पहुंची है। आप अपने मौन को तोड़कर इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जब हम शिक्षा के बारे में विचार करते हैं तो देखते हैं कि जिनके बदन के लिए, खाने और पीने के लिए कुछ नहीं है, शरीर पर वस्त्र नहीं है, जो अपना जीवन भीषण गरीबी में काट रहे हैं, उनको हम शिक्षा में कैसे आगे बढ़ाएंगे, यह एक विचारणीय प्रश्न है।

आज देवरिया जिले के उत्तराखंड में जो नारायणी नदी है, उसके पास पार 20 मील लम्बी पट्टी है, जो नारायणी के उस पार पड़ती है। उस नदी में भयंकर बाढ़ आती है। आदमी एक दिन सबेरे नदी पार करके चलता है तो वह उस दिन वापस नहीं जा सकता है, दूसरे दिन वापस आ पाता है। 50 हजार के करीब लोग वहां रहते हैं, उसके बच्चों के लिए पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है। केवल एक प्राइमरी स्कूल है और वहां पर कोई एक अस्पताल नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्रीनारायण]

है। लड़के निरक्षर पड़े हैं। मैंने वहांपर एक बार देखा कि लोगों को कुछ पता नहीं है कि प्रदेश में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है वे अपने पेट के लिये लाचार है। उनका पेट नहीं भरता है उनको रोजी नहीं मिलती है। नारायणी नदी 12 मील क्षेत्र में मार्ग अपना परिवर्तन करती रहती है और वे गरीब लोग बलुही जमीन में जहां मिट्टी जम जाती है, खेती करते हैं। जब खेती उनकी तैयार हो जाती है, उसे दूसरे लोग काट ले जाते हैं। वहां पर बाहर के लोग, तहसील के कर्मचारी लोग जिन्होंने उन जमीनों पर गलत तरीके से अपना नाम दर्ज करा रखा है, आकर 10-5 गुंडों के साथ उनकी फसलों को काट कर ले जाते हैं। ऐसी दशा में उनके लड़के एकदम निरक्षर रह जाते हैं, एक प्रतिशत भी शिक्षा उनमें नहीं है। उनके संबंध में भी विचार करने की आवश्यकता है, वहां शिक्षा की व्यवस्था करने की जरूरत है। कम से कम वहां एक मील पर एक प्राइमरी पाठशाला और 4 मील पर एक जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल की व्यवस्था सरकार को करनी है।

इसके बाद शिक्षा के संबंध में संस्कृत भाषा पर हम ध्यान दिलाना चाहते हैं। संस्कृत हमारे देश की सम्पर्क भाषा रही है। पहले अपने देश की यह राष्ट्रभाषा रही है। किन्तु अब संस्कृत भाषा की शिक्षा पर इस सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जो संस्कृत पाठशालाएं थीं, वे टूट चुकी हैं, उनके लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है। उसके अध्यापकों को न उचित वेतन मिलता है न अन्य कोई सुविधाएं या प्रोत्साहन मिलता है। वे पाठशालाएं जर्जर हो चुकी हैं। आप दक्षिण में जाएं, तामिल, मलयालम, तेलगु की सारी भाषाओं में संस्कृत के बहुत से शब्द मिलते हैं। उनका संस्कृत से बहुत गाढ़ा सम्बन्ध है। आज हिन्दी भाषा के विरोध में बहुत से आन्दोलन हुए, लेकिन संस्कृत का वे लोग समर्थन करते हैं और संस्कृत निष्ठ हिन्दी भाषा का भी वे लोग समर्थन करते हैं। वहां के लोग मलयालम भाषा का एक गीत गाते हैं—'भारत देशम् पावन् देशम्, तन, मन मिदनां अर्पिक्याम्' आप देखें कि यह गीत संस्कृत भाषा से कितना मिलता जुलता है। इसमें बहुत से शब्द हिन्दी के भी आते हैं। इस तरह से संस्कृत अपने देश की ऐसी भाषा है, जिस पर प्रदेश की सरकार को पूर्णतया ध्यान देना चाहिये। और संस्कृत अध्यापकों को मान्यता देना और उनके वेतनमानों में सुधार करना आवश्यक है।

हम जब तक अपने देश की भाषाओं के प्रोत्साहन में अपना योगदान नहीं देंगे तब तक देश तरक्की न कर सकेगा। संस्कृत भाषा भारत की सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत अपने देश की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसका पूरे देश में अब भी विवाह के अवसर पर, अन्यान्य अवसरों पर संस्कृत का उपयोग होता है। उसमें संकल्प पढ़े जाते हैं, शादी के मन्त्र बोले जाते हैं, उसमें संस्कार होते हैं। आज संस्कृत भाषा ऐसी एक भाषा है जो विवाद रहित है। लेकिन सरकार का उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। हम देखते हैं कि संस्कृत की जो बहुत से पाठशालाय चल रही थी आज बन्द हैं। उसका कारण क्या है? संस्कृत पढ़कर जो विद्यार्थी निकलते हैं उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलती है। मैकाले की ी हुई भाषा केवल क्लर्क बनाती है, नौकर बनाती है। आज संस्कृत भाषा के विद्वान हैं, उनको कोई सर्विस नहीं मिलती है जिसके कारण संस्कृत भाषा बैठ सी गयी है। उनके सामने कोई भविष्य नहीं है। उनकी कोई मान्यता नहीं है। वे संस्कृत भाषा पढ़ने में कोई उत्साह नहीं रखते हैं। इस तरह से संस्कृत भाषा को कमजोर बना कर हम अपने प्रदेश की तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। पीछे चलते चले जा रहे हैं। भाषा के झगड़े में न पड़ कर संस्कृत को प्रोत्साहन देने के लिये मेरा खयाल है सभी एकमत होंगे। उस भाषा के विरोध में कोई माननीय सदस्य नहीं होंगे और सदन का भरपूर समर्थन उसे प्राप्त होगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरे बहुत इंतजार के बाद मुझे भी बोलने का समय दिया।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

शिक्षा मन्त्री जी हैं नहीं। कौन इन सब चीजों को नोट करेगा, जो यहां कहा जा रहा है ?

श्री अधिष्ठाता—

मन्त्रिमण्डल के कई माननीय सदस्य उपस्थित हैं। संयुक्त दायित्व होता है। इसलिये आप बैठें।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

वह उधर सुन नहीं रहे हैं। फाइल पढ़ रहे हैं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मन्त्रिमण्डल के और सदस्य अपने विभाग की बात तो नोट नहीं कर पाते। दूसरे विभाग की क्या नोट करेंगे।

श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

जो नये सदस्य आये हैं पुराने सदस्य लारी साहब से राय ले लिया करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि मुझे बोलने दें। हमारा दल शांतिपूर्वक सुनता रहा है। बड़ी कृपा होगी मुझे भी शांति से सुनें।

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे भी कुछ क्षण सदन में बोलने के लिए दिये। सर्वप्रथम मैं माननीय शिक्षा मन्त्री द्वारा प्रस्तुत इस बजट के अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि माननीय शिक्षा मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट वास्तव में क्रांतिकारी बजट है और सरकार की असमाजवादी नीतियों का एक बहुत अच्छा प्रतीक है।

जब बजट पर आम बहस हो रही थी तो कुछ बी० के० डी० के माननीय सदस्यों द्वारा यह सवाल उठा था कि उर्दू को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। मैं यह कहने में बिल्कुल नहीं हिचकूंगा कि आज तक जितने बजट इस सदन में प्रस्तुत हुए हैं, जहां तक मुझे ज्ञान है, हालांकि मैं इस सदन म प्रथम बार आया हूं, लकिन जहां तक मैंने पढ़ा है या सुना है, इतना अधिक जो उर्दू को प्रोत्साहन दिया गया है शायद इससे पूर्व इतना बड़ा प्रोत्साहन और इतना बड़ा भार उर्दू के लिए कभी भी किसी सरकार न नहीं उठाया है। उर्दू भाषा के प्रोत्साहन के लिये जैसा कि सभी माननीय सदस्यों न पढ़ा होगा कि एक हजार अध्यापक जूनियर हाई स्कूलों में उर्दू के नियुक्त किये गये हैं और 3,823 अध्यापक नगरपालिकाओं द्वारा चलने वाले स्कूलों में उर्दू के अध्यापक रखे गये हैं। कक्षा 1 से लकर कक्षा 8 तक की पुस्तकें यह सरकार पहली बार उर्दू में उपलब्ध करा रही है। सरकारी गजट भी शीघ्र ही उर्दू में निकलने वाला है। इससे ज्यादा बढ़ कर और क्या उर्दू को प्रोत्साहन हो सकता है।

इसके साथ ही साथ मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि दूसरे दल के एक सदस्य ने उर्दू भाषा को एक सीमित क्षेत्र बताया है और उसका किसी जाति विशेष से सम्बन्ध जोड़ा और यहां तक कह दिया जिसे मैं अशोभनीय कह सकता हूं कि उर्दू भाषा दूसरा पाकिस्तान बना देगी। यह बड़े दुख की बात है कि उर्दू को किसी जाति विशेष से जोड़ा जा रहा है। यह किसी जाति विशेष की भाषा नहीं है। उन्होंने जिस जाति विशेष से सम्बन्ध जोड़ा है उसे मैं कह सकता हूं कि उनका यह कहना है कि यह मुसलमानों की भाषा है। यह बिलकुल गलत है। यह सबकी

[श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान]

भाषा रही है । हिन्दी और उर्दू का गहरा सम्बन्ध रहा है, रिश्ता रहा है और उर्दू के शायरों ने हिन्दी और उर्दू दोनों भाषाओं को एक दूसरे की बहन बताया है ।

उर्दू भाषा का ज्ञान हर भारतीय नागरिक को होना चाहिये बल्कि किसी भी मुल्क में रहने वाले के लिये यह आवश्यक है कि उस मुल्क में जितनी भाषायें प्रचलित हों उनका ज्ञान होना चाहिये । इससे यह लाभ होता है कि जैसे फारेन सर्विसेज में लोग जाते हैं, दूतावास में लोग जाते हैं और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में तो उर्दू, अरबी और फारसी का बहुत जोर है। उर्दू का अरबी और फारसी से गहरा रिश्ता है। इसलिए उर्दू, अरबी, फारसी यानी सभी भाषाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये जिससे दूसरे मुल्कों में जाने वालों को इसका ज्ञान होगा और सांस्कृतिक सम्बन्ध अच्छे होंगे । एक दूसरे की भावना को अच्छी तरह से समझ सकते हैं ।

उर्दू भाषा में बहुत अच्छी शायरी लिखी है जो राष्ट्रीय भावना से ओत प्रोत है। जैसे "सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा" कितना अच्छा गीत व तराना है। हम उर्दू की कविताओं को सुनकर अपने राष्ट्र के प्रति खून बहाने के लिये तथा अपने को अर्पित करने के लिये तैयार हो जाते थे ।

हमारे मुन्शी प्रेम चन्द्र जी जो उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं, उनको उर्दू का भारी ज्ञान था और हिन्दुस्तान के उपन्यासकार कहे गये । उन्होंने उर्दू की बहुत सी किताबों का हिन्दी में अनुवाद किया जिसको हम बड़ी रुचि से पढ़ते हैं । इसके अतिरिक्त हम यह कह सकते हैं कि इसमें ऐसे शब्द हैं जो बड़े रुचिकर हैं । यह दूसरी बात है कि राजनैतिक आधार पर उर्दू का विरोध करें ।

अब मैं कहूंगा कि जहां तक इस बजट का सम्बन्ध है इसमें पिछड़े हुए और अनुसूचित जाति के बच्चों को प्रोत्साहन देने वाला है । इसमें बहुत से प्राविधान किये गये हैं । उनके लिये छात्रावास में सुविधा दी गयी । 18 प्रतिशत सीटें उनके लिए सुरक्षित की गयी हैं । प्रारम्भिक कक्षाओं में 50 प्रतिशत और पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं में सेंट पर सेंट वृद्धि छात्रवृत्ति में की गयी है। इससे 2 करोड़ 50 लाख से अधिक भार सरकार को उठाना पड़ेगा । इस बजट में माध्यमिक शिक्षा परिषद् का विकेन्द्रीकरण किया गया है । 1972 में माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने अपना एक उप कार्यालय मेरठ में खोला है । मेरा सुझाव है कि कुछ और माध्यमिक शिक्षा परिषद् के कार्यालय खोले जाय । इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की जो बात है मैं उसका समर्थन करता हूं और मैं यह चाहता हूं कि उसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिये और जो रिपोर्ट जल्दी प्रस्तुत होने वाली थी वह हो जानी चाहिए थी और इसी बजट में राष्ट्रीयकरण की बात आ जानी चाहिए थी । मैं यह कहने में बिलकुल नहीं हिचकूंगा कि कुछ वेस्टेड इन्टरेस्ट्स हैं जो यह चाहते हैं कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण न हो या उसके राष्ट्रीयकरण में देर हो । समय नहीं रहा । मैं थोड़े से सुझाव रखना चाहता हूं । जहां तक बेसिक शिक्षा का सम्बन्ध है, उसका प्रसार होना चाहिये । ग्रामीण अंचलों में प्राइमरी स्कूलों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये । गांव में रहने वाली जनता चन्दा एकत्र करके और कुछ नहीं तो ग्राम समाज के फण्ड से प्राइमरी स्कूल का भवन बना लेती है तो ऐसे स्थानों पर सरकार को 1 या 2 अध्यापक दे देना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया।

श्री शारदा प्रसाद रावत—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट की ग्रान्ट के सम्बन्ध में 2–3 बातें कहना चाहता

हैं। प्रथम तो यह है कि कुछ ऐसे कालेज हैं जिनको मान्यता तो मिल गयी है परन्तु उनको ग्रान्ट नहीं मिल पाती है। और जो वह ग्रान्ट मिलती है उस पर पूरा नियन्त्रण प्रबन्धकों का होता है। यह उसकी नेकनियती पर निर्भर होता है कि वह कितना रुपया उस पर खर्च करता है या नहीं, वह निराश इसलिये होता है कि आर्ट साइड से 80 प्रतिशत और साइंस साइड से 75 प्रतिशत जो बच्चे होते हैं उसी अनुपात से फीस आती है। वह रुपया प्रबन्धक और प्रिंसिपल के बीच जो संयुक्त खाता होता है उसमें डिपाजिट होता है। जो सीनियर हाई स्कूल के लिये उसे ऐड मिलती है उसको वह नेकनियती से खर्च नहीं करता है, बल्कि यह कहिए कि वह बहुत कम खर्च करता है। इसके साथ-साथ जो तनख्वाह मिलती है विद्यालय के अध्यापकों को वह तनख्वाह सरकार उनको देती है। जो ग्रान्ट का पैसा मिलता है वह उस खाते में चला जाता है। मैनेजिंग कमेटी जिसे इण्टरमीडिएट और हाईस्कूल की ग्रान्ट मिलती है उसके सामने एक समस्या यह उत्पन्न होती है कि वह बिल्डिंग कैसे बनवाये और बिल्डिंग बनवाने के लिये वह तरह-तरह का उपाय सोचता है। पहले अमूमन यह होता था कि जो ग्रान्ट मिलती थी उसके जरिये बिल्डिंग बनवाते थे। अधिकतर प्रबन्धक फीस के पैसों से तनख्वाह देता था लेकिन आज स्थिति बिलकुल इससे पृथक है। फीस का 80 प्रतिशत आर्ट साइड का, 75 प्रतिशत साइंस साइड का, यह सब तनख्वाह में चला जाता है। मजबूरन प्रबन्धक कुछ न कुछ रास्ता, दिलचस्पी अगर रखता है तो वह, निकालता है और वह रास्ता यह है कि वह अधिक से अधिक नियुक्तियां प्रदर्शित करता है अध्यापकों की और चपरासियों की और अगर नियत साफ है तो वह उस रुपये को बिल्डिंग बनवाने के लिये इस्तेमाल करेगा।

नम्बर दो—ब्वायज फण्ड का पैसा स्कूलों में आता है। इसके अन्तर्गत गेम फण्ड, लाइब्रेरी-डेवलपमेन्ट फण्ड, फर्नीचर, रेडियो, पुअर फण्ड आदि होता है। इसमें होता यह है कि प्रबन्धक इस फण्ड को सबका सब बिल्डिंग फण्ड में दे देता है। कोई इस पर अंकुश नहीं है। अतः नतीजा यह होता है कि आपके जो गेम का स्तर है दिन प्रति दिन गिरता जाता है। यह फण्ड जो ब्वायज फण्ड है इसे भी सरकार अपने अधिकार में रखे और साथ ही एक अंकुश यह हो कि गेम फण्ड का जो पैसा है उसको सरकारी खजाने में जमा किया जाय और उससे स्कूल के सामान खरीदे जायं। तब ब्वायज फण्ड का जो फायदा मिलना चाहिये वह मिल सकता है। स्कूलों में जो लिपिक हैं, हाई स्कूल के और इण्टरमीडिएट के वह प्रबन्धक के प्रधानाध्यापक की बीच की कड़ी होता है। वह लिपिक यदि चालाक होता है तो वह यह कोशिश कर लेता है कि किस प्रकार से ग्रान्ट का पैसा अधिक से अधिक मिल सकता है, वह अधिक से अधिक पैसा ग्रान्ट का मंजूर करा लेता है। लिपिक का संपर्क इन्सपेक्टर आफ स्कूल के कार्यालय से होता है और वह चालाक लिपिक है तो वह अधिक से अधिक ग्रान्ट सरकार से मंजूर करा लेता है। चपरासी को तनख्वाह, टीचर्स को तनख्वाह उसके साथ ही साथ बिल्डिंग बनवाने का खर्च आदि अगर नेकनियती से प्रबन्धक कार्य करता है तो वह सब सरकार के पैसे से होता है। मसलन अधिक अध्यापकों की नियुक्तियां दिखला कर जो पैसा लिया जाता है वह सब स्कूल के अन्य खर्चों पर लगता है।

आपका अंकुश आज स्कूलों पर नहीं है। प्रबन्धक और प्रधानाध्यपक अपनी मर्जी से स्कूलों के अध्यापकों, चपरासियों की नियुक्ति करता है। आपने बिलकुल उनको निरंकुश छोड़ दिया है। मेरा सुझाव यह है कि जब आप तनख्वाह भी दे रहे हैं सारी चीज भी कर रहे हैं और आप ही के पैसे से गलत तरीके से बिल्डिंग भी बन रही है तो आप उन स्कूलों को अपने अधिकार में ले लेवें। जिससे बीच का जो करप्शन है, जैसे लिपिक या आपके इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स के कार्यालय के द्वारा या और ऊंचे स्तर पर जहां ग्रान्ट वगरह मंजूर करवाते हैं, उसको रोका जाय। सरकार को चाहिए कि इन लिपिकों की नियुक्ति अपनी ओर से कराये और इन लिपिकों की सर्विसेज ट्रान्सफरेबिल होनी चाहिए। जब यह लिपिक सरकारी आदमी

[श्री शारदा प्रसाद रावत]

रहेगा तो देख सकेगा कि सरकारी पैसे का सुचारु रूप से प्रयोग हो और यदि वह इसमें लापरवाही करेगा तो उसका दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण कर दिया जा सकता है ।

बेसिक शिक्षा के बारे में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । इस विषय में मेरा प्रथम निवेदन तो यह है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी का पद जो होता है, जब अध्यापक और अध्यापिकायें दोनों हों, तो उन्हें एक बसिक शिक्षा अधिकारी के अन्तर्गत न रखा जाय । मैं जानता हूं कि सरकार की ओर से शायद यह जवाब आये कि चूंकि अध्यापिकायें कम हैं, इसलिए और खर्चा बढ़ेगा । लेकिन मेरी प्रार्थना है कि यदि ऐसा हो तो 2–3 जिलों को मिलाकर एक डिप्टी-डायरेक्टर (महिला) रख दें और जो महिलायें हों, उनके काम काज को देख सकें । बसिक अधिकारी जो पुरुष होते हैं, मेरी प्रार्थना है कि उन्हें उनके चंगुल से बाहर करें । उनके ट्रान्सफर या सुख-सुविधायें जो हों उनको महिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या डिप्टी डायरेक्टर रख कर उनकी व्यवस्था करें क्योंकि पुरुष बेसिक अधिकारी नाजायज फायदा उठाने के लिए आगे आते हैं । बहुत से ऐसे साहब हैं जिनमें ये अनियमिततायें हैं और चरित्र का हनन होता है और मजबूर करके ऐसा करते हैं । गोरखपुर का बेसिक शिक्षा अधिकारी और डिप्टी डायरेक्टर के बारे में आप पता लगा लें कि उन्हें सुरा और सुन्दरियों से कितना प्रेम है ।

जहां तक प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों का प्रश्न है, वे अपने गांव से दूर रहने पर ही अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं । अपने गांव के नजदीक रहने पर प्राइमरी शिक्षा के अध्यापक अपने घर के काम भी लड़कों से ही लेते हैं और स्वयं गैरहाजिर भी रहते हैं । प्राइमरी पाठशालाओं के भवनों के बारे में हमारी ग्राम पंचायतें अपने पैसे में से निकाल कर भवन बनवाने का प्रोपोजल सरकार के पास भेज सकती हैं ।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्कूलों की जो बिल्डिंग्स हैं, प्राइमरी पाठशालाओं की वे बहुत जगहों पर बनी ही नहीं हैं । आप उन्हें कम्पलसरी आधार पर बनवाने का निर्देश दें ताकि पढ़ाई ऊंची हो सके और साथ ही साथ आपको चाहिये कि इन स्कूलों में जो हरिजन बच्चे या अनुसूचित जाति के जो बच्चे हों, उनकी वर्दियों का प्रबन्ध करें । उनको प्रोत्साहित करने के लिए आपको चाहिए कि आप उन्हें पौष्टिक आहार दें और अच्छे भोजन की भी व्यवस्था करें ताकि जो छोटे तबके के लोग हैं, वे भी पढ़ाई की ओर आकर्षित हो सकें और पढ़ने में अभिरुचि ले सकें ।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सत्यपाल मलिक द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

कुमारी रमा पंत (जिला अल्मोड़ा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस वित्तीय वर्ष के माननीय शिक्षा मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर अपने विचार भी प्रस्तुत करना चाहती हूं । जैसा कि यहां पर अनकों माननीय सदस्य आंकड़ों को लेकर चर्चा कर चुके हैं, आजादी के बाद से अब तक के जो आंकड़े दिये गये हैं, उनसे ज्ञात होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है । उसके पहले यहां पर विदेशी सत्ता थी, उसको हमारी शिक्षा से कोई मतलब नहीं था । उस समय केवल उनको शासन करने से मतलब था । आजादी के बाद धीरे-धीरे विकास आरम्भ हुआ । किसी भी विकास के लिये यह नहीं कहा जा सकता कि वह एक दम से हो जाय । एक स्थिति होती है, शनैः-शनैः होता है । जो हमारी शिक्षा की प्रगति हुई है वह इसी के अन्तर्गत हुई है, शनैः-शनैः हुई है और इस वर्ष अनुदान का जो प्रस्ताव रखा गया है, हमें मालूम होता है कि प्राइमरी से लेकर, प्राथमिक शिक्षा से लेकर माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर तक विकास शिक्षा में हुआ है । और इसके साथ ही साथ इसमें कैसी प्रशासनिक सुविधाएं हों, कैसी व्यवस्था हो,

इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी है। विरोधी दलों की ओर से इस तरह के विचार सुनने को मिले हैं कि इससे खर्चा बढ़ रहा है, समुचित व्यवस्था होगी नहीं, लेकिन इसमें समझने में भूल हुई है। क्योंकि अगर हम शिक्षा को सुचारु रूप से चलाना चाहते हैं, उसमें सुधार करना चाहते हैं तो स्पष्ट है कि उसके लिये प्रबन्ध करना पड़ेगा और उचित व्यवस्था के लिए आवश्यक नियुक्तियां करनी होंगी।

हमने देखा है कि आज छात्रों में असंतोष है, उनकी कुछ कुंठाएं हैं और बहुत मानों में यह असंतोष ठीक भी है। क्योंकि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गयी हैं कि जब बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो उसकी बड़ी-बड़ी आकांक्षाएं होती हैं, और मा-बाप की बड़ी-बड़ी आशाएं होती हैं जो बड़े परिश्रम से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं लेकिन जब बच्चा महाविद्यालय से या यूनिवर्सिटी से निकलता है तो बेरोजगारी की समस्या आगे आ जाती है। इसलिए उस समस्या का खयाल करके शिक्षा में परिवर्तन लाना आवश्यक है और देश के विकास के लिए भी यह आवश्यक है। सरकार तो इसके लिये प्रयत्नशील है ही, लेकिन इसमें ऐसा होना चाहिए कि किताबी शिक्षा के स्थान पर ऐसी शिक्षा का प्रबन्ध हो जिससे कि बेरोजगारों की संख्या न बढ़े और बच्चे किताबी ज्ञान ही प्राप्त न करें बल्कि अपनी यूनिवर्सिटी और अन्य शिक्षण संस्थाओं में इसके लिए तकनीकी शिक्षा और साइंस की शिक्षा की बहुत आवश्यकता है।

जहां भी कहीं विकास हो रहा है, उसकी गति में, सामाजिक परिवेश में और दिशा में बहुत परिवर्तन हो गया है और उसके अनुसार अगर हमको विकास करना हो तो हमको उसमें ढलना पड़ेगा। इसके लिए मैं यह नहीं कहती कि महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय स्तर में ही तकनीकी शिक्षा होनी चाहिए, बल्कि वह आरम्भ से ही होनी चाहिये, क्योंकि विद्यार्थी का अपना मस्तिष्क होता है, योग्यता होती है, उत्तरदायित्व और परिस्थितियां होती हैं। बहुत से विद्यार्थी हाई स्कूल और जूनियर हाई स्कूल तक ही पढ़ पाते हैं। तो उस लेविल पर उनकी वैसी ही तकनीकी शिक्षा होनी चाहिए। अगर परिस्थितिवश या किन्हीं कारणों से वह योग्यता के मापदण्ड में नहीं निकल पाते हैं तो कम से कम इतना तकनीकी ज्ञान उनको प्राप्त हो कि वह छोटे उद्योग और कल-कारखाने लगाकर के उससे अपनी आर्थिक समस्याओं का समाधान कर सकें। उससे उनको अवश्य लाभ होगा, और अगर विद्यार्थी में अधिक योग्यता होगी, ज्ञान के प्रति लालसा होगी तो वह आगे अवश्य बढ़ेंगे।

हमारे इस शिक्षा बजट में अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि बजट अनुदानों में जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनके लिये मैं देखती हूं कि विरोधी पक्ष की ओर से, एक पक्ष की ओर से यह कहा जाता है कि पिछड़े वर्ग के लिये कुछ नहीं किया जाता है, लेकिन आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मालूम हो जायगा कि सरकार काफी उनके लिये कर रही है। उनको फीस की सुविधा दे रही है। एक माननीय सदस्य ने कहा था कि घर की परिस्थितियां उनकी ऐसी हैं उनको सुधारिये, लेकिन यह शिक्षा का मामला नहीं है। अगर हम शिक्षा की चर्चा कर रहे हैं तो मैं यह कहना चाहूंगी कि शिक्षा के लिये जो पिछड़े वर्ग को सुविधा दी जा रही है वह सराहनीय है। बाकी लोग उसकी कितनी ही मखौल उड़ायें लेकिन जिनके लिये किया जा रहा है वह अकृतज्ञ नहीं हैं, यह सब बड़ी बात है। आज यह सही है कि छात्र असंतोष बढ़ रहा है।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से पूंछना चाहती हूं कि जो छात्रों के हिमायती हैं कुछ जीवन्त नेता जो छात्र नेता अपने को कहते हैं, वह बड़े जोश से छात्रों के पक्ष की बात करते हैं, वह तो ठीक है लेकिन छात्र-असंतोष किस लिए है? वह असंतोष इसलिए है कि वह जब पढ़कर बाहर निकलेंगे तो वह बेरोजगार हो जायेंगे। लेकिन इसके साथ ही, अन्य कुंठाएं भी उनमें दिखाई देती हैं। क्या इसमें राजनीतिक लोगों और दलों का कहीं हाथ नहीं है?

[कुमारी रमापंत]

मैंने भी विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों से बात की है। जब उनसे कहा जाता है कि आप लोग राजनीतिक दलों द्वारा एक्सप्लायट किये जा रहे हैं। बड़े-बड़े ईश्यूज को लेकर विद्यार्थियों को उनमें फंसाया जाता है, जो कि वास्तव में कुछ नहीं हैं। जब यह बात उनसे पूछी जाती है तो उस वक्त विद्यार्थी के अहम को चोट लगती है। वह कहता है कि नहीं, हम किसी के दबाव में नहीं आ रहे हैं। जब तक विद्यार्थी शिक्षा का उपार्जन करता है उसकी बुद्धि परिपक्व नहीं होती है। उसकी बुद्धि तो जब वह विद्यालय से बाहर निकल कर वास्तविक जीवन में प्रवेश करता है तब परिपक्व होती है।

हमारी सरकार को छात्रों पर पूरा विश्वास है। उनमें एक जोश होता है, कोई भी काम करने की उनमें क्षमता होती है लेकिन अनजाने में राजनीतिक दल उनके हितैषी बन कर उनमें घुस जाते हैं और जो छात्र आंदोलन वगैरह होते हैं उनमें अधिकतर उन्हीं का हाथ होता है। वैसे तो छात्रों के अहम को यह कहने से चोट लगती है, वही देश को आगे ले जाने वाले हैं, लेकिन मैं उनको यह सन्देश देना चाहती हूं कि जो राजनीतिक दल उनको एक्सप्लायट कर रहे हैं उनके बहकावे में वह न आयें। सरकार को यह कोशिश करनी चाहिए कि छात्र बेकार न रहने पायें। मैं उम्मीद करती हूं कि माननीय शिक्षा मन्त्री इन सुझावों पर गौर करेंगे और हमारे नौजवानों को राहत देंगे और छात्रों को जो एक निराशा के वातावरण में आज रह रहे हैं उससे उनको मुक्ति दिलायेंगे।

अब मैं शिक्षा मन्त्री को कुछ और रचनात्मक सुझाव देना चाहती हूं। हम सरकारी पक्ष में हैं इसलिए हम सरकार की हर बात का समर्थन करेंगे इसको मैं ठीक नहीं मानती। मैं सरकारी पक्ष में होते हुए भी यह सुझाव देना चाहती हूं कि हमारा प्राइमरी एजुकेशन बिल्कुल पक्का और पुख्ता नहीं है, वह बहुत कमजोर है। वह ठोस होना चाहिये तब हम आगे चलकर विश्वविद्यालय आदि की बात कर सकते हैं। बहुत से प्राइमरी स्कूलों के भवन अधूरे बने हुए हैं, खिड़कियां नहीं हैं, दरवाजे नहीं हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है। ऐसी हालत में उनका पढ़ना बहुत मुश्किल है। हमारे पहाड़ों की हालत तो और भी खराब है। तो बुनियादी शिक्षा को मजबूत बनाना होगा। बच्चों को पूरी सहूलियतें देनी होंगी ताकि हमारे बच्चे बुनियादी शिक्षा में पुख्ता होकर आगे निकलें। अगर इन बच्चों को पब्लिक स्कूल और कान्वेन्ट में पढ़े हुए बच्चों से मिलाया जाय तो जो भी बच्चों को प्यार करने वाले होंगे उनकी आंखों में जरूर आंसू आयेंगे। इस असमानता को तो दूर करना ही होगा चाहे किसी तरह से हमारी सरकार करे।

इसके अतिरिक्त हमारे पहाड़ों में वेतन और मंहगाई भत्ता आदि तो सरकारी स्कूलों के बराबर कर ही दिया है लेकिन जो हमारे माध्यमिक स्कूल के अध्यापक हैं उनको हिल एलाउन्स भी सरकारी स्कूल अध्यापकों के समान मिलना चाहिए। इसके अलावा जो गैर-सरकारी स्कूल हैं उनमें जे0 टी0 सी0 अध्यापकों का वेतनमान 19 3 में सरकार ने बढ़ाकर सी0टी0 के समान दिया था लेकिन आदर्श विद्यालयों के जे0 टी0 सी0 अध्यापकों की ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। मेरा यह अनुरोध है कि उन जे0 टी0 सी0 के अध्यापकों का वेतनमान भी बढ़ाया जाय और सरकारी स्कूल के अध्यापकों के बराबर कर दिया जाय। जे0 टी0सी0 का प्रशिक्षण अब समाप्त हो गया है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय शिक्षा मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए आपके प्रति आभार प्रकट करती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इसशिक्षा बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया ।

मान्यवर, चाहे कोई यहां विधान सभा का सदस्य रहा हो, चाहे राज्य सभा या लोकसभा का सदस्य रहा हो, चाहे राष्ट्रपति या प्रधान मन्त्री रहा हो, सभी ने यही कहा है कि समय-समय पर शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए । यह करेगा कौन ? जो करने वाले हैं वे ही कहते हैं कि होना चाहिए, होना चाहिए, 27 वर्षों से तोते की तरह वही चीज रट रहे हैं । मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि आखिर इसे कौन करेगा ? सत्ता पक्ष की ओर से एक बात कही जाती है कि सुझाव नहीं आते । सुझाव तो हजारों पृष्ठों में लिखे जा सकते हैं, मगर कोई मानने वाला भी तो हो । इस देश के राष्ट्रपिता ने यह अनुभव किया कि इस देश में जितने भी अत्याचार हुए, चाहे वह चंगेज खां का रहा हो या नादिरशाह का रहा हो, और कोई भी विदेशी आक्रांता रहा हो, मगर जितना अपराध और अत्याचार लार्ड मैकाले ने किया उतना किसी ने नहीं किया । उसने सबसे अधिक इस देश को नुकसान पहुंचाया है । अंग्रेज चले गये, मगर वे यहां के लोगों को अंग्रेज बना गये । आज भी—

अंग्रेजी है, अंगरेजियत है, वही शान है, वही शौकत है,

वही प्रणाली है, बस उनकी चमड़ी गोरी थी, इनकी काली है ।

लार्ड मैकाले ने जिस शिक्षा पद्धति को यहां जन्म दिया उसने बड़ा अहित किया । (व्यवधान) मान्यवर, महात्मा गांधी ने देश में वर्धा शिक्षा योजना को सबसे अधिक महत्व दिया था । उन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा अंश शिक्षा सुधार में लगाया और इसके लिए देश के लोगों का आह्वान किया । इस वर्धा शिक्षा योजना में देश के बड़े-बड़े विद्वान थे । उनमें माननीय काका साहब कालेलकर व विनोबा भावे का नाम उल्लेखनीय है । गांधीजी ने सदैव ही बेसिक शिक्षा पर अधिकाधिक जोर दिया । मगर आज इस बेसिक शिक्षा की जो मट्टी पलीत हो रही है वह कभी नहीं हुयी । अजादी के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि सारा स्वप्न ही ध्वस्त हो गया । इस देश की महान परम्पराओं को धूल में मिला दिया है । आज से तो मुगलों का शासन अच्छा था जब कि जगन्नाथ त्रिशूली जैसे बड़े-बड़े विद्वान हुए और उनके काल में तमाम अच्छे-अच्छे उपयोगी रस गंगाधर ऐसे ग्रन्थों का निर्माण हुआ । ऐसे-ऐसे तर्क शास्त्र और न्याय शास्त्र के विद्वान उनके काल में पैदा हुए जो आज तक नहीं हो पाये । लेकिन इस कल्याणकारी सरकार के काल में इस देश की शिक्षा पद्धति का ही सर्वनाश हो गया ।

मान्यवर, शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की जहां तक बात है, हम उससे सहमत हैं, लेकिन उससे भी आज एक बहुत बड़ा खतरा है । अभी सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश के एक पुस्तक विक्रेता की याचिका पर महत्वपूर्ण निर्णय दिया है । सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ में बड़े-बड़े न्यायाधीश थे । उसने यह निर्णय दिया है कि इस प्रकार से कोई भी सत्ता दल अपने विचारों को खासकर विद्यार्थियों के मस्तिष्क में लाद नहीं सकता ।

शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की बात इस देश में उठी । आप जानते हैं कि अगर शिक्षा को बराबर सरकारी नियंत्रण में लिया गया तो शिक्षा में प्रगति नहीं हो सकती । शिक्षा पर नियंत्रण करने के लिये आज मनीषियों और शिक्षा शास्त्रियों की आवश्यकता है । शिक्षा के सम्बन्ध में आचार्य नरेन्द्रदेव, आचार्य जे० बी० कृपलानी, कालेकर, विनोबा भावे और आर्य नायकम जैसे महापुरुषों की आवश्यकता है । महामना मालवीय ने विश्वविद्यालय की स्थापना करके कुलपतियों का उद्देश्य रखा था आपने उसको आज समाप्त कर दिया है ।

[श्री पुरुषोतम कौशिक]

बेसिक शिक्षा की इस देश में जितनी प्रगति होनी चाहिए थी वह नहीं हो पायी है। पश्चिमी देश, पूर्वी यूरोप के देशों में आज बेसिक शिक्षा पर सबसे अधिक ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन अपने देश में प्रारम्भिक शिक्षा का बुरा हाल है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं मेरे जिल की बात है। पिपरौसी एक जगह पडराना ब्लाक में है। वहां शताब्दी पुरानी प्रारम्भिक पाठशाला है। उसमें आज भी पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। छोटे-छोटे बच्चे पानी पीने के लिये घरों को जाते हैं और आज भी उनको पानी नहीं मिलता है। हमारे बच्चों के लिय पोषक आहार विदेशों से मुफ्त भेजा जाता है। लेकिन मैं बड़े दुःख के साथ कह रहा हूं कि इस पोषक आहार को ब्लैक में बेच दिया जाता है। आप देखें दुनियां के किसी भी देश में ऐसा नहीं हो रहा है। अगर मैं शिक्षा मन्त्री जी से कुलपति के बारे में पूंछूं तो वह यही कहेंगे कि यह चांसलर का पर्यायवाची शब्द है। तो मैं कहना चाहता हूं कि कुलपति हमारे वशिष्ठ जी थे, याज्ञवल्क्य जी थे। और उनके समय में सचल विश्वविद्यालय थे। दुर्वासा जी अपने साथ 60 हजार शिष्यों को लेकर चलते थे। कुलपतियों के उपमन्यु जैसे शिष्य थे। मैं यह बात आज यदि विस्तार से कहूं तो उधर के लोग मुझे दकियानूसी विचारों वाला कहेंगे। आज भी हमारा समाज उनको पूजता है।

कौटिल्य का अर्थ शास्त्र आज कितना मशहूर है तो क्या मैं सरकार से पूछ सकता हूं कि उसने इसके अध्ययन की कोई व्यवस्था की है। अभिज्ञान शाकुन्तल जिसका सारे संसार की भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। पंचतन्त्र जिसका भी आज सारे संसार की भाषाओं में अनुवाद हो चुका है तो क्या आपने उधर कोई ध्यान दिया है।

संस्कृत शिक्षा के बारे में कुछ नहीं किया गया है। यह सभी भाषाओं जैसे कन्नड़, तामिल, तेलगू, बंगाली, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं की जननी है। यह आपकी जो अरबी और फारसी है उनसे संस्कृत का बड़ा सम्बन्ध है। मैं उदाहरण देता हूं---अभ्र संस्कृत में बादल को कहते हैं और फारसी में बादल को अब्र कहते हैं। रसियन में देवी को द्यवी कहत हैं और इस तरह से यह पता लगता है कि अन्य भाषाओं का संस्कृत से कितना घनिष्ठ सम्बन्ध है। मैं आपसे इसके साथ पूछना चाहता हूं संस्कृत क प्रचार के लिये आपन क्या किया है।

श्री अधिष्ठाता---

आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री अजीजुर्रहमान (जिला बिजनौर)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं जनाबेआला का शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इजाजत फरमायी कि इस बहस में मैं हिस्सा ले सकूं।

अनुदान संख्या 28 शिक्षा के तहत एक सब हेड है जिस पर लिखा है कि डेवलपमेन्ट आफ उर्दू और उस पर 5 लाख 10 हजार रु0 का खर्च तजबीज किया गया है। मैं शुरू में यह जाहिर कर दूं कि माननीय मन्त्री जी की मांग क सम्बन्ध में और उस कटौती की तजबीज से जो सामने है कोई इत्तिफाक नहीं रखता हूं। लेकिन मैं यह जाहिर जरूर करूंगा और यह बात मेरी नजर में निहायत जरूरी है समझ लेने की कि उर्दू के डेवलपमेन्ट का सही मोहकमा क्या है और जो लोग उर्दू को तफशीस कर लें और उसके आगे उर्दू का दरवाजा बन्द कर दें तो मैं इसकी जरूरत नहीं समझता हूं। उर्दू हिन्दुस्तान की एक ऐसी नुमाइन्दा चीज है जिसके बारे में महात्मा गांधी तथा पं0 जवाहर लाल नेहरू ने भी तारीफ की है। फिराक साहब के नाम को कौन नहीं जानता है। उन्होंने भी उर्दू का प्रचार किया है। तो मैं यह साफ करने की जरूरत नहीं समझता हूं कि उर्दू एक एसी जबान है कि जो कि इस मुल्क को रिकग्नाइज्ड करने के लिये उसकी तरक्की क लिये जरूरी न हो। असली बात तो यह है

कि हिन्दुस्तान की आबादी का एक बड़ा भाग इस उर्दू भाषा के साथ है और उसका उर्दू से सम्बन्ध है तथा वह उर्दू बोलता है, पढ़ता है तथा लिखता भी है।

एक बात यह भी कही जाती है कि उर्दू को रीजनल लैंग्गुएज कैसे घोषित कर दें। यह बात मेरी समझ म नहीं आती है कि यह बात कैसे जम्हूरियत के वसूल के खिलाफ है। उर्दू जम्हूरियत के उसूल के माकूल है। जाहिर है कि उर्दू की जिम्मेदारी हुकुमत अक्सरियत की पार्टी पर हैं। हम अक्सरियत की हुकूमत रखते हैं। हम पर उसकी ज्यादा जिम्मेदारी है। अतः मैं उर्दू को यू० पी० रीजनल लन्गुएज डिक्लेयर करन के पक्ष में हूं और इसलिए उर्दू को राज्य की जबान का दूसरा दर्जा दिया जाना चाहिए। उर्दू को हर तरह से कम्पलसरी तालीम कर दें। एक तरफ उर्दू को तरक्की करने की बात कही जाती है परन्तु दूसरी तरफ एक बात सुनने में आती है।

एक माननीय सदस्य सदन के बाहर थे और उन्होंने कहीं एक खत उर्दू में लिखा था। तो वहां कहा गया कि यह उर्दू में पत्र नहीं कबूल किया जा सकता है। सरकार जबकि बार-बार कह चुकी है कि कोर्टों में भी दरख्वास्त यदि उर्दू में दें तो उसे कबूल किया जायगा। इसी तरह एक सदस्य ने बताया कि एक विभाग में उर्दू के स्टेनो की जरूरत है और वह जगह खाली पड़ी है। इस प्रकार उर्दू की जरूर तरक्की की जायेगी क्योंकि हिन्दी देश की राष्ट्र भाषा है। और दूसरी भाषा सभी ने उर्दू को तस्लीम किया है। हमारे बच्चे आज हिन्दी पढ़ते हैं और हिन्दी की तरक्की को हम अपना फर्ज समझते हैं।

तो उर्दू को तरक्की दी जाय तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि क्या डर है किस सूरत से हिन्दी को उर्दू से खतरा है। यह बात बेबुनियाद है कि कोई डर है। जो इसका जाइज मुकाम है उसको देने में क्यों रुक रहे हैं। यह बात सही नहीं है।

मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो 'हां' की लाबी है, विजिटर्स गैलरीज है इसके पेशानी पर एक नसीहत लिखी रहती थी काफी वर्ष पहले और काफी वर्षों तक लिखी रही—वह नसीहत थी—

"बारईयत सुल्ह कुन, वज जंगे खस्म एमन नशी"

कोई भी हुकूमत हो उसकी मजबूती इस बात पर मुनस्सिर है कि उसकी आबादी कहां तक मुतमईन है, कहां तक खुश है।

(इस समय ३ बजकर ५२ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

अगर वह मुतमईन है तो फिर हुकूमत को गैर के हमले से महफूज समझना चाहिये। कभी-कभी जनसंघ का नाम आ जाता है, कभी किसी का। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि जनसंघ क्यों एजीटेशन कर देगा। जहां तक मेरा दिमाग है हिन्दू वह कौम है जिसमें रवादारी है, मैं हिन्दू का मजहब जहां तक जानता हूं सनातन धर्म है जिसके प्रचारक, बड़े-बड़े ऋषि मुनी थे जो हिन्दू के मजहब को एक ऐसा मजहब मानते थे कि इसको ईशाक की जरूरत है। वह इस बात के रवादार नहीं रहे कि दूसरे के पास जायं कि आप कबूल कर लें। उनकी रिवेयत यह रही कि जो कुछ अपनी विचारधारा के मुताबिक अगर कोई अल्लाह की तरफ खिंचता है ठीक वही मुक्ति का रास्ता है। महात्मा गांधी भी हिन्दू धर्म के कायल थे अगर म तफसील में जाऊं और यह बात साबित करना चाहूं तो यह नतीजा निकलेगा कि उनका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं था।

सेंसर के मुताबिक आपने जो आंकड़े दिये हैं उसके मुताबिक 2 करोड़ 86 लाख 60 हजार 874 उर्दू पढ़ने वाल लोग हैं। मैं बिला-खौफ इस बात को कहूंगा कि यह बिलकुल झूठ है,

[श्री अजीजुर्रहमान]

कतई गलत है और किस सूरत में गलत है वह इस तरह से कि गवर्नमेंट की दूसरी मर्दुमसुमारी की रिपोर्ट के मुताबिक अगर कम्पेयर करना चाहें और जो 14 वीं प्रेस की रिपोर्ट निकली है उसके मुताबिक अगर आप कम्पेयर करना चाहें तो मालूम होगा कि हिन्दी के अखबार पढ़ने वाले और खरीदने वाले लोग हैं 52 लाख 90 हजार । उर्दू के अखबार खरीदने वाले 14 लाख 66 हजार । क्या निस्बत निकली । एक-चौथाई निकली । यानी 5% । जाहिर है कि सेन्सेज आपरेशन को ईमानदारी के साथ नहीं किया गया और न ठीक से दर्ज किया गया उर्दू पढ़ने वालों को 'हिन्दी' में भर लिया ।

तो मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि हमारे लिए, मजबूत हुकूमत के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम किसी तबके को उसकी जायज मांग देने में मुजालिमन न हों और हम देखें कि हमारे कौमे मुफाजिल में क्या है । यह ठीक नहीं है कि उर्दू को नजरअन्दाज करते रहे । यह कि पांच लाख की मांग है, पांच लाख रुपये रखे, आपने इनामात दिये, हम उसके लिये शुक्रगुजार हैं लेकिन हमारी जुबान पर आयेगा कि जो जायज मांग थी उस तरफ गवर्नमेंट क्यों नहीं जाती हमारी गवर्नमेंट को इस बात पर बहुत संजीदगी से गौर करना चाहिए ।

जनसंघ की बाबत अर्ज कर रहा था । जो सन् 47 में जनसंघ कहता था उसमें आज क्या-क्या तरमीम हो गयी । वह भी अगर कौमी-मुफाद को सामने रखेंगे तो कोई भी इसके आड़े नहीं आना चाहेगा । इस बात को जरूरी समझना चाहिये कि उर्दू के जायज हक देने में न देर की जरूरत और न ताअम्मुल करने की जरूरत । आठवीं तक उर्दू की तालीम कम्पलसरी की जाय और जितनी और सहूलियतें हैं वह दी जायं ।

कहां तक अर्ज करूं, मेरी समझ में नहीं आता कि हिन्दी जो राष्ट्रभाषा है उसको यह क्या नुकसान पहुंचा सकती है । स्विटजरलैन्ड में कितनी जुबान रही, कैनाडा में कितनी हैं सोवियत रूस ने अपनी मुत-अद्दिद जबानों को कैसा महफूज रक्खा और कितनी तरक्की दी और उन्होंने क्या रास्ता अख्तियार किया । मैं कहता हूं कि रवादारी के सलूक से हम अपने नुकसान नहीं करेंगे, फायदा ही उठायेंगे । जो भी हुकूमत होगी वह फायदा उठायेगी । आज कांग्रेस की हुकूमत है वह फायदा उठायेगी । आज जिस तरह हरिजन के ऐतमाद की जरूरत है उसी तरह से मुसलमान और सिक्ख के ऐतमाद की जरूरत है, उसी तरह से दूसरी कौमों के ऐतमाद की जरूरत है । मैं गुजारिश करूंगा कि हमारी पार्टी की गवर्नमेंट को ये तमाम ठोस हकीकतें सामने रखनी चाहिये और उर्दू के बारे में कोई तअम्मुल नहीं करना चाहिए और उसका जो जायज मुकाम है उसको वह दिया जाय ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मैं आपका बड़ा अनुगृहीत हूं कि आपने मुझे इस मौके पर 10 मिनट बोलने का मौका दिया । मान्यवर, कल से ही इस विषय पर चर्चा चल रही है और कटौती के प्रस्ताव का, मेरा ख्याल है दबी जुबान से ही सही, हमारे सामने बैठने वाले माननीय सदस्यों ने भी समर्थन किया है । आज इसमें दो राय नहीं है कि हमारी शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है और उस लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर रही है जो हमने सोचा था । मान्यवर, म सबसे पहले माननीय मन्त्री जी का ध्यान प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई की तरफ आकर्षिक करना चाहता हूं । आज प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई एक तमाशा बन गयी है और राजनीति का अखाड़ा बन गयी है । मुख्तलिफ पार्टियों ने विशेषतः सत्ता पार्टी ने मास्टरों को प्रोत्साहित करके उन्हें मात्र अपना कार्यकर्ता बना कर रख दिया है । आज बहुत से स्कूल ऐसे हैं, जहां जितने बच्चे हैं, उतने ही मास्टर हैं । जबानी नहीं कहता, प्रधानों के और उस गांव के लोगों ने लिखकर दिया है । जिला परिषद् के चेयरमैन के पास भी यही शिकायत भेजी गई कि इस समय यहां लड़कों से ज्यादा तादाद मास्टरों की है । सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिये। फरेंदा तहसील में एक

अड्डा बाजार है, जहां बहुत पुरानी बिल्डिंग में बहुत पुराना स्कूल है और वह राजनीति का अखाड़ा बना है। बच्चे स्कूल छोड़कर चले गये, लेकिन मास्टर अभी भी 10-12 पड़े हैं। यही स्थिति आज सूबे में कई जगह की है। शिक्षा का प्रसार—शिक्षा का प्रसार....इतना शोर मचा कि मालूम होता है कि हर तरफ स्कूल ही स्कूल हो जायेंगे। लेकिन मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि वह अपनी आंखों से देखें कि बहुत से गांव आज भी ऐसे हैं, जहां पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है। 2-2 नालों, नदियों को पार कर छोटे-छोटे बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। जमुहानी, बैरिहवा गांव सभा हैं जहां बरसात में अगर कोई बच्चा नदी में बह जाय तो मां-बाप को पता भी नहीं चल पायेगा।

आज गांव में शिक्षा का स्तर क्यों नीचा है। इसके लिये बार-बार सुझाव दिये गये कि प्राइमरी पाठशालायें हर गांव सभा लेविल पर खोल दी जायं। उस तरफ के साथियों ने भी जोरदार शब्दों में कहा कि कम से कम हर न्याय पंचायत में एक जूनियर हाई स्कूल की स्थापना होनी चाहिए ताकि छोटे-छोटे बच्चे प्राइमरी से निकल कर अपनी ही जवार में पढ़ने जावें और हाई स्कूल की पढ़ाई तक उन्हें घर से दूर न जाना पड़े। मान्यवर, आज हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट कालेजेज भी कम दुर्दशा के शिकार नहीं हैं। इस सरकार ने उसके मामले में भी राजनीति खड़ी कर रखी है। मैं बहुत ही जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं कि नवतनवां इंटर कालेज कितनी अच्छी पढ़ाई का रिजल्ट देने वाला गोरखपुर जनपद का स्कूल है, जिसकी आज तक बिल्डिंग ग्रांट का पैसा सरकार ने नहीं दिया है जबकि उसके मुकाबिले में कितने ऐसे स्कूल हैं, जहां बच्चे कम हैं, पढ़ाई का स्तर खराब है, लेकिन ग्रांट्स की भरमार है जहां इस प्रकार नीति अधिकारियों और शासक दल के लोगों की है वहां पढ़ाई का स्तर कैसे ऊंचा होगा।

मान्यवर, इसी के सम्बन्ध में आपके द्वारा कुछ सुझाव माननीय शिक्षा मन्त्री जी को देना चाहता हूं। शिक्षा और राजनीति को अलग कर शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दें और कम से कम प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को अच्छी से अच्छी तनख्वाह दें और उनके रहने की व्यवस्था करें। परन्तु अध्यापकों को उनके घरों से कम से कम 12 मील की दूरी पर रखें। आज प्राइमरी स्कूल के मास्टर की हाई स्कूल मास्टर से ज्यादा सहूलियत हैं, क्योंकि वह अपने घर का भी काम देख लेता है। प्राइमरी स्कूल का टीचर 11-12 बजे स्कूल आता है। चूंकि घर के काम से थक जाता है, इसलिए वहां स्कूल पहुंचकर पढ़ाने के बजाय वह सोता है। बच्चों से खिदमत लेता है और अगर जरूरत हुई तो फिर 2-3 बजे घर लौट जाता है। वह घर के काम को प्राथमिकता और पढ़ाई के काम को सेकण्ड्री स्थान देता है। अगर वह घर से दूर रखा जायगा तो कम से कम वह गैरहाजिरी पर अगर पाया जायेगा तो उसको किसी न किसी तरह से सजा का डर रहेगा और वह इस तरह से बार-बार रोज घर इस तरह से नहीं जा सकेगा।

मान्यवर, दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे भी मास्टर्स हैं जो इस सत्तारूढ़ दल की राजनीति के कारण 10-12 सालों से एक जगह पड़े हैं। स्कूल से पैसा लेते हैं, काम घर का करते हैं और इस तरह से उनका काम चल रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे मास्टरों का तुरन्त ट्रांसफर किया जाय। जिन मास्टरों के खिलाफ पढ़ाई की शिकायत आये, जिनका रिजल्ट खराब हो और या दूसरी तरह की शिकायतें आयें, उनको हटाया जाय, ताकि पढ़ाई का स्तर ठीक हो सके जब तक अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, इस देश का कल्याण नहीं होगा। यही भावी हमारे देश के कर्णधार हैं उनकी बुनियाद आप खराब न करेंगे। उस तरफ के एक साथी ने कहा था कि यह उच्चाधिकारियों की चाल मालूम होती है ग्रामीण बच्चों को नीचे दर्जे की पढ़ाई देकर फटे टाट पट्टी पर बैठा कर, शिक्षा के स्तर को गिरा कर और अपने बच्चों

[श्री अब्दुल रऊफ लारी]

को अच्छी तालीम दिलवा कर उनको आई० सी० एस० तथा पी० सी० एस० बनाते हैं। मैं उनके वक्तव्य का समर्थन करते हुए यह कहता हूं कि उन्होंने गलत आरोप लगाया कि उच्चाधिकारी यह करते हैं। उन्हें सीधे-सीधे यह कहना चाहिये था कि ऐसा यह सरकार कर रही है, अधिकारी तो नाममात्र के लिये जिम्मेदार हैं।

आज देहात की पढ़ाई का स्तर बढ़ा नहीं बल्कि गिरा दिया गया है, न वहां चटाई हैं, न लिखने के लिये तख्ते स्याह हैं, न ऊपर से सूरज की रोशनी के लिये और बरसात में पानी को रोकने के लिये छत है और न हवा या आंधी को रोकने के लिये दरवाजे व जंगले पल्ले हैं। अजीब हालत में वह पढ़ते हैं। किसी तरह से अपना वक्त काट कर धूल धूसरित होकर घर लौट आते हैं। लेकिन बड़े आदमियों के बच्चे मांटेसरी या विद्या मन्दिरों में जाकर पढ़ते हैं दोनों स्तर का कोई मुकाबिला नहीं है। लेकिन सरकार दा ा करती है कि देहात के बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, उनकी शिक्षा के स्तर को ऊंचा किया जा रहा है लेकिन दरअसल में यह सरकार कुछ नहीं कर रही है।

मैं इस सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान कुंवर श्रीपाल सिंह के वक्तव्य की ओर ले जाना चाहता हूं। उन्होंने इस बजट के दौरान दो भाषण दिये। दोनों भाषणों में सिवाय उर्दू के खिलाफत के अलावा कोई चीज उनके मुंह से नहीं निकली। मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनके भाषण तथा मेरे भाषण के पन्नों को निकलवाया जाय तो सदन को ज्ञात हो जायगा कि मुझ से २० गुना ज्यादा उर्दू के शब्द उन्होंने अपने भाषण में इस्तेमाल किये होंगे। लेकिन अजीब हाल है कुछ लोगों को उर्दू के नाम से जिद होती है जबकि उर्दू उनकी रगों में बसी हुई है....

कुंवर श्रीपाल सिंह--

चूंकि मेरा नाम आ गया। इसलिये मैं स्पष्टीकरण के तौर पर निवेदन कर दूं--मैंने पहले भी कहा था कि उर्दू के शब्द मेरी भाषा में आयेंगे और लोगों की भाषा में आयेंगे। सवाल उर्दू भाषा का नहीं है, सवाल अरबी और फारसी लिपि का है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस बात को माना कि उर्दू ऐसी जबान है जो बच्चे बच्चे के दिल में और बच्चे-बच्चे की जबान पर है। अब लिपि के सम्बन्ध में मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि लिपि कोई चीज नहीं है हिन्दी लिपि कोई चीज नहीं है। नागरी लिपि कोई नहीं है। असली लिपि संस्कृत की है। उसी तरह से फारसी तथा हिन्दी व अरबी की मिली-जुली जबान उर्दू है और संस्कृत की लिपि है नागरी।

कुंवर श्रीपाल सिंह--

संस्कृत की कोई लिपि नहीं है, देवनागरी लिपि है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

संस्कृत के अल्फाज उर्दू में भी हैं और हिन्दी में भी हैं और फारसी तथा अरबी के अल्फाज हिन्दी में भी हैं। जबान कोई खराब चीज नहीं होती। जबान वह चीज है जिसको सबमें बोला जाय, सुना जाय। मैं गुजारिश करूंगा कि उर्दू पर विशेष ध्यान दिया जाय। जब यह मान लिया गया है कि उर्दू की तरक्की नहीं होगी तो मुल्क की तरक्की मुकम्मल नहीं हो सकती, जब सत्तारूढ़ दल ने इसे इतना महत्व दिया है तो असलियत में वह इसके लिये कुछ काम भी तो करे। उर्दू के जो टीचर रखे गये हैं उनको वही अधिकार दिये जायं जो हिन्दी के टीचर्स को दिये जाते हैं। दसवीं क्लास तक उर्दू पढ़ाने के लिये ठीक से हुक्म जारी किया जाय। उर्दू

के मुताबिक प्राइमरी तक चलते हैं, दर्जा ५ तक सरकार के प्रमाणित स्तर की पढ़ाई होती है परन्तु मदद कुछ नहीं मिलती उनको कुछ खर्चा तो मिलना चाहिए। मैं कहता हूं कि ये मकातिब सरकारी स्तर के चलाये जायं। साथ ही जहां ५ तक पढ़ाई होती है वहां सरकार को योगदान देना चाहिए ताकि वहां के मास्टरों की तनख्वाह अदा हो सके और वे ठिकाने से चल सकें। पढ़ाई हो।

मान्यवर, केवल उर्दू लफ्ज का समर्थन कर देने से वह पनप नहीं सकती है। कहा जाता है कि गजट छपेगा, लेकिन आज उसकी वकत नहीं है। सरकार कहती है कि अगर कोई दरख्वास्तें उर्दू में दी जायेंगी तो वे मान्य होंगी। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि मैं हाजिर था, गैर-हाजिर नहीं था, यह लिखकर उन्होंने सदन में दरख्वास्त दी लेकिन उसे वहां से यह कहकर अस्वीकार किया गया, इस सदन से वह दरख्वास्त लौटा दी गई कि हिन्दी में दे, तो दूर बैठे हुए अधिकारी कैसे उसका पालन करेंगे.....

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि सदन की भाषा हिन्दी है और लिपि देवनागरी है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

मान्यवर, सरकार की तरफ से यह बार-बार एलान किया जाता है कि हर जबान में दरख्वास्तें ली जायेंगी और उस पर अमल होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज उन बातों को अमल में नहीं लाया जा रहा है तो दूर बैठे हुए अधिकारी कैसे उसे मानेंगे। इस पर अमल-दरामद कराया जाय ताकि उर्दू लिखने और बोलने वालों को यह मालूम हो कि वह भी काम आ सकती है। अगर कहीं इसकी लिखाई-पढ़ाई नहीं होगी तो इसको पढ़ने वाला यह समझेगा कि यह बेकार की चीज है। आज उर्दू की किताबें लायब्रेरी में भरी पड़ी हैं उसमें एक लज्जत है। लोग उसके लिये तरस रहे हैं कि किसी तरह से वह फिर लौट आये। इसी तरह से मैं मलिक जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसका समर्थन करता हूं और माननीय मन्त्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि जो मैंने छोटे-मोटे सुझाव दिये ह उन पर वे अमल करेंगे।

*श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दो दिन में शिक्षा के बजट पर बहस हुई है उसको सुनकर मेरी यह राय पक्की हो गई है कि लोकतन्त्र में बहुत खामियां हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि सत्तारूढ़ दल के अधिकांश सदस्यों ने भी इस चीज को माना है कि जो शिक्षा व्यवस्था इस वक्त सूबे में चल रही है वह गलत, बे-मतलब और फजूल है और इसको समाप्त करके एक नई शिक्षा व्यवस्था चलानी चाहिए। लेकिन इसके बाद भी जो एक रद्दी शिक्षा-व्यवस्था आज चल रही है उसी शिक्षा-व्यवस्था पर खर्च होने वाला बजट पास हो जायेगा, यह लोकतन्त्र की बुनियादी खामी मेरी निगाह में आयी है। कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि ठोस सुझाव दिये जाने चाहिए।

शिक्षा की बाबत कई एक कमीशन बैठ चुके हैं, महात्मा गांधी तथा कई अन्य विद्वान इस बारे में अपनी राय दे चुके हैं, कई सुझाव आये हैं किन्तु आज भी कोई नहीं माना गया है। अगर आप सुझाव चाहते हैं तो मैंने अपने कल के भाषण में ठोस, सार्थक और साहस भरे सुझाव दिये हैं कि जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली चल रही है उसको बन्द करके एक नयी शिक्षा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सत्यपाल मलिक]

प्रणाली का सृजन कराया जाय। शिक्षा के क्षेत्र में जो छोटे-छोटे सुझाव दिये जाते हैं वे आपकी इस सड़ी-गली प्रणाली में केवल पैबन्द ही लगा सकते हैं, उसमें सुधार नहीं ला सकते हैं। यह आपका डाइनामिज्म ही है, आपकी गतिशीलता ही है जो कि शिक्षा की नई व्यवस्था सूबे में चलाये।

मान्यवर, मैंने कल भी यह चीज कही थी और फिर सदन में दोहराना चाहता हूं कि आपकी बुनियादी असफलता यह है कि अपने सूबे में 26 साल में जो शिक्षा दी है, उसमें बहुलांश आबादी अभी भी शिक्षित नहीं हो पाई है। 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो विद्यार्थी हो सकते हैं, किन्तु उसमें से 1 करोड़ कुछ लाख शिक्षा तक जाते हैं और उसमें से 20-25 लाख हायर सेकेण्डरी तक पहुंचते हैं और उच्च शिक्षा तक केवल 2 लाख ही पहुंच पाते हैं। इसलिए जैसा साम्यवादी देशों में होता है, जहां समाज के परिवर्तन के लिए क्रांति होती है, उनमें शिक्षा एक बुनियादी सवाल होता है। जहां-जहां नये समाज की रचना हुई है, वहां पर बड़े पैमाने पर शिक्षा को बढ़ाया गया है। आप मजाक के तौर पर कह सकते हैं और कुछ तो बड़ी गम्भीरता से इसे समाजवादी बजट कह देते हैं। किन्तु मेरा कहना है कि शब्दों के साथ इस प्रकार की ज्यादती नहीं करना चाहिए। यदि इस प्रकार का बजट समाजवादी हो सकता है, तो मुझे डर है कि किसी मन्त्री की मुस्कराहट को हम समाजवादी मुस्कराहट कह सकते हैं और किसी खराब चीज को बुरे काम को समाजवादी कह सकते हैं। यह समाजवादी तब होता जब इसमें इस बात की घोषणा होती कि जितने निरक्षर लोग हैं, उनमें से कम से कम ५० प्रतिशत लोगों को हम साक्षार करेंगे। यदि ऐसा नहीं है तो यह समाजवादी नहीं है।

आपके मुख्यमन्त्री जी जो भाषण करते हैं, इस सदन में जो कार्यवाही होती है, जो अखबार में प्रकाशित होता है और जो रेडियों पर वार्ताएं होती हैं, उनको अपने सूबे की 80 सैकड़ा आबादी नहीं समझ पाती है। 80 सैकड़ा आबादी माननीय मुख्य मन्त्री के नाम का मतलब नहीं समझती है। बीज, खाद, सफाई और बीमारी आदि के बारे में जो वार्ताएं आती हैं, उसे वे नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि आपने उसे पढ़ाया नहीं है, आपने उसे भाषा नहीं दी है। यदि आप समाजवादी हैं तो उस तक अपनी भाषा को पहुंचा दें, तो इस प्रदेश का विकास हो जायगा।

मान्यवर, जो वर्तमान व्यवस्था है, जब फ्रांस का छात्र आंदोलन हुआ तो पेरिस में जो विश्वविद्यालय है, उसकी दीवालों पर नौजवानों ने चीन की एक कहावत लिखी थी कि जब मूर्ख आदमी को चांद दिखाया जाता है, चांद की तरफ इशारा किया जाता है तो मूर्ख आदमी चांद को नहीं ऊंगली को देखता है। तो मान्यवर, उसी तरह से अगर कोई सही बात विरोध पक्ष की तरफ से कही जाती है तो उसको उनकी तरफ से सही नहीं माना जाता है। आप नहीं मानते हैं, किन्तु कोठारी कमीशन की रिपोर्ट में लिखा है कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था जो इस समय प्रदेश और देश में चल रही है, वह गरीब और अमीर के बीच भेद को बढ़ा रही है, वह पढ़े और गैर-पढ़े लोगों के बीच भेद को बढ़ा रही है, यह शिक्षा खुद सामाजिक भेद को बढ़ा रही है, यह समाज के विभिन्न लोगों के बीच खाई पैदा कर रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस शिक्षा को केवल सुविधा सम्पन्न लोगों के लिये न रहने दीजिये, बल्कि इसके लिए एक बड़े पैमाने पर पूरे सूबे में कार्यक्रम बनाएं, जिससे आप बड़ी आबादी को, देहात में रहने वाली आबादी को शिक्षा दे सकें।

जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, वे इस वक्त बर्बाद हो रहे हैं, उनमें न पढ़ाई है, न रचना हो रही है, उनमें बड़े-बड़े आन्दोलन होते हैं, वर्षों विद्यालय बन्द रहते हैं, नकल खुलकर चलती है, अध्यापक और छात्रों के, अध्यापकों और प्रोफेसरों के, प्रोफेसरों और वाइस चांसलरों के, छात्र और छात्राओं के परस्पर रिश्ते खराब हो रहे हैं। यह रिश्ते इसलिए खराब हो रहे हैं कि हमारी जो व्यवस्था है, जो समाज है वह खुद भ्रष्ट है। अध्यापक और छात्र कोई कमल नहीं हैं।

वे कमल हो सकते हैं, लेकिन वह कीचड़ के बीच ज्यादा दिन जिन्दा नहीं रहेगा, उसे मरना है। आज सारे समाज में, सत्ता व्यवस्था में बेईमानी है। ऐसी दशा में आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आपकी शिक्षा व्यवस्था और छात्र अच्छे हों। जब एक आदमी खुशामद के बल पर सिर्फ, वाईस चांसलर हो सकता है, अध्यापक से प्रोफेसर हो सकता है, तो नौजवान ने अच्छी तरह से समझ लिया है कि वह भी नकल करके परीक्षा पास कर सकता है। तो आप इस समीकरण को बदल दीजिए। किसी की काबिलियत उस चीज से तय नहीं हो जाती है कि उसने कितनी अच्छी किताबें लिखी हैं—आदमी की काबिलियत इस वजह से नहीं तय हो रही है कि वह कितना बड़ा संगीतज्ञ है, आदमी की काबिलियत इस वजह से नहीं तय हो रही है कि उसका कृषि या विज्ञान में कितना योगदान है। हर आदमी की काबिलियत इससे मापी जा रही है कि वह दरबार के कितना नजदीक है। उतना ही वह काबिल माना जाता है।

शिक्षा के क्षेत्र में मैं आटोनामी को चाहता हूं। विश्वविद्यालय की आटोनामी चाहता हूं। मैंने कल बताया ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में कहा था। अलीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्र संघ का अध्यक्ष निकाला गया, जिसको जिले से बाहर चले जाने का आर्डर हुआ, इसलिये कि वह विश्वविद्यालय की आटोनामी को बचाने के लिये लड़ाई लड़ रहा था। जब वह लखनऊ में दाखिला लेने के लिये आया तो उस नौजवान के दाखिले के लिये उस कालेज के प्रिंसिपल इंदिरा गांधी से सलाह लेते हैं कि उसको दाखिला दिया जाय या न दिया जाय। कल मुझसे लखनऊ विश्वविद्यालय के कुछ लड़के मिले। जब छात्र आन्दोलन होता है तो मुकदमें चलते हैं। अगर वह मुकदमें सही हैं, अगर मुकदमें सही हुआ करें तो उन नौजवानों को सजा दी जाय। लेकिन अगर मुकदमें झूठे हैं, तो सरकार को माफी मांगनी चाहिये। लखनऊ विश्वविद्यालय के चार छात्र नेताओं को गुंडा ऐक्ट में छः महीने के लिये लखनऊ से बाहर किया गया। अगर छात्र आन्दोलन में मुकदमें चलाये जायं, तो जो दफाएं छात्रों पर लगायी गयी हैं, उनके अधीन अगर वे दोषी हैं तो उनको सजा दी जाय वरना राजनीतिक आन्दोलनों के दौरान में दायर हुए मुकदमें में इस तरह की कोशिश नहीं होनी चाहिये।

जो शिक्षा मन्त्री जी हैं, विश्वविद्यालय से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। लेकिन तीन चीजों से उनका गहरा सम्बन्ध है। किताबों, प्रकाशन और प्रकाशकों से उनका अच्छा रिश्ता है। तबादलों और मान्यता से उनका गहरा सम्बन्ध है। ये तीन चीजें हैं, जिनमें इस सूबे में शिक्षा में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। जो किताबें छपती हैं उनमें पाल्युटेड नालेज होती है। घटिया, रद्दी और बहुत पिछड़ी हुई जानकारी होती है। दूसरे जो सार्थक किताबें हो सकती हैं, जो प्रामाणिक किताबें हैं, वह चल नहीं पाती हैं। बिलकुल सस्ते तरीके के प्रश्नोत्तर और हल चल रहे हैं। मैं तमाम लोगों को बता सकता हूं कि दस साल पहले जिस आदमी की कोई हैसियत नहीं थी आज वह किताबों के धंधे से लखपती हो गया है, विद्यार्थियों का शोषण करके।

किताबों के मामले में दो चीजें सरकार को चाहिए, कम मुनाफे पर और कम लागत से किताबें तैयार करनी चाहिये। किताबें ऐसे लोगों से लिखवाएं जिनकी स्थिति अकैडेमिक वर्ल्ड में कुछ है। किताबों का सेंसर होता है या नहीं मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो किताब मुझे पढ़ायी गयी थी, उस किताब को पढ़ने के बाद मैं औरंगजेब से नफरत करता हूं और शिवाजी से मोहब्बत करता हूं जो मुझे नहीं करनी चाहिए। मैं बहुत अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि अगर कोई एसी अदालत होती इस मुल्क में तो मैं मुकदमा चलाना चाहता था। जिन लोगों ने हमें पढ़ाने की जिम्मेदारी ली, जिस सरकार की जिम्मेदारी है, उस की देख-रेख में शिक्षा दी जाती है, मेरे साथ का नौजवान मुसलमान लड़का जिसको मेरी मां उसी मोहब्बत से खाना खिलाती है जिस मोहब्बत से उसकी मां मुझे ईद के दिन सिवइयां खिलाती हैं, जो मेरा दोस्त

[श्री सत्यपाल मलिक]

है, जब भिवन्डी में दंगा होता है तो मेरठ और लखनऊ में मुझ से डरने लगता है। मैं चाहता था कि जिसने यह डर पैदा किया है उसके खिलाफ मैं अदालत में मुकदमा चलाऊं। लेकिन हिन्दुस्तान में कोई ऐसी अदालत नहीं है जो उसको टेक अप करेगी। जिस वातावरण में हम लोगों को पाला और पढ़ाया जाता है, वह झूठे ज्ञान को बढ़ाता है, बेरोजगारी, चापलूसी और फिजूलखर्ची को बढ़ाता है।

एक मुद्दा में उठाना चाहता हूं कि जो शिक्षा का आयोजन है वह बेमतलब और बेकार है। आपने देश का विकास करने के लिये अभी तय नहीं किया है कि कितने इंजीनियरों की जरूरत है, कितने डाक्टरों की जरूरत है और कितने अध्यापकों की जरूरत है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि तमाम लोग बेकार घूम रहे हैं। कृषि की शिक्षा बड़े किसानों के हित का साधन कर सकती है लेकिन छोटे किसानों का भला नहीं कर सकती है क्योंकि यह अमरीकन पैटर्न पर दी गई है। इंजीनियरों की शिक्षा बड़े उद्योगों के अनुकूल है, छोटे उद्योगों के लिये नहीं है। डाक्टरों को जो शिक्षा दी जा रही है वह देहात का भला नहीं कर सकती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितने ऐसे टैक्नीकल काम हैं जिनमें स्टेट काफी खर्च करती है और सूबे की भलाई के लिये जो अच्छी शिक्षा है उसमें एक बड़ा नियोजन होना चाहिये कि कम से कम पैसा खर्च हो, कम से कम लड़कों की जिन्दगी खराब हो और ज्यादा से ज्यादा सूबे को लाभ पहुंचे।

मान्यवर, भाषा का प्रश्न विभिन्न सदस्यों द्वारा विभिन्न तरीकों से उठाया गया है। हिन्दी उर्दू की लड़ाई का सवाल जो है उसके लिये मैं शासन पर आरोप लगाना चाहता हूं। राजनैतिक लोगों ने और विशेषकर शासक दल द्वारा यह सवाल पैदा किया गया है। अगर शासक दल उर्दू का हिमायती है तो उर्दू भाषा को जरूर तरक्की करनी चाहिये क्योंकि वह भी इस मुल्क की भाषा है और अच्छी भाषाओं में से एक है। इसलिये उसकी तरक्की होनी चाहिये। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं जो आप इसके साथ ज्यादती करते हैं उसको बन्द कर दीजिये। हर चुनाव के पहले उर्दू के सम्मेलन होने लगते हैं। आपने 26 साल में उर्दू को और मुसलमानों को उस लावारिस औरत की तरह चौराहे पर खड़ा कर दिया है और हर राजनैतिक दल के लोग उसको अपने पास बुलाने का इशारा कर रहे हैं। यह चीज नहीं होनी चाहिये। आज उर्दू और हिन्दी की कोई लड़ाई नहीं है। असल में लड़ाई जिसके साथ होनी चाहिये उसके साथ नहीं होती है। लड़ाई अंग्रेजी के खिलाफ होनी चाहिये। इतने बड़े सूबे की इसकी वजह से प्रतिमा कुंठित है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वह जाकर केन्द्र से लड़ाई करके जो बड़ी नौकरियों में अंग्रेजी रखी है और जिनकी इंटरव्यू और परीक्षायें सब अंग्रेजी में होती हैं।

श्री ए० सी० प्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)—

हिन्दुस्तान की आजादी कौन-सी भाषा से आई। हिन्दी से या अंग्रेजी से ?

श्री सत्यपाल मलिक—

मान्यवर, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि अभी भी अंग्रेजी के वकील हिन्दुस्तान में हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अंग्रेजी कोई बहुत बढ़िया भाषा नहीं है और न पहले भी थी। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इंग्लैण्ड में अंग्रेजी की जगह दूसरी भाषाओं से काम चलता था। फ्रेंच और दूसरी भाषाओं की वहां प्रतिष्ठा थी। इंग्लैण्ड के चौसर साहब जो बड़े लेखक हुए हैं वह अपनी बीबी के बारे में कहा करते थे और अंग्रेजी में उसकी बुराई किया करते थे। मान्यवर वह अंग्रेजी जिसको चौसर साहब घटिया निगाह से देखते थे, उसका भूत हिन्दुस्तान के लोगों के सिर पर सवार है। अंग्रेजी हिन्दुस्तान में शासन का हथियार है। इसलिये इसको अलग करना होगा। तभी देश

में समाजवाद आयेगा, तभी देश का विकास होगा । उर्दू हिन्दी का सवाल नहीं उठना चाहिये था । मैं इसके खिलाफ हूं जो उर्दू रघुपति सहाय फिराक बोलते हैं जो आनन्दराय मुल्ला बोलते हैं और जो बड़े लोगों के ड्राइंग रूम में सजी हुई है और मैं उस हिन्दी के भी खिलाफ हूं जो आचार्य रघुवीर के कोश में है । मैं तो उस उर्दू हिन्दी को चाहता हूं जो हिन्दुस्तान के खेतों और बाजारों में बोली जाती है । गाजीपुर के मुसलमान जो भोजपुरी के साथ मिल कर उर्दू बोलते हैं । हमारे यहां का जुलाहा खड़ी बोली को मिलाकर उर्दू बोलता है वह हिन्दुस्तान की जबान है ....।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उर्दू को वह तमाम हक मिलने चाहिये जो दूसरी भाषाओं को मिले हुए हैं । उर्दू और हिन्दी का झगड़ा पैदा नहीं होना चाहिये । उत्तर प्रदेश उर्दू और हिन्दी की मां है । इस भाषा ने बहुत से बड़े-बड़े लोगों को पैदा किया है । उर्दू और हिन्दी की दोस्ती है । मिसाल के तौर पर गाजीपुर को ले लीजिए । गाजी उर्दू है और पुर हिन्दी है, मुजफ्फरनगर में मुजफ्फर उर्दू है और नगर हिन्दी, अलीगढ़ में अली उर्दू है और गढ़ हिन्दी है । अली को गढ़ गाजी को पुर से और मुजफ्फर को नगर से अलग कर दीजिए तो यह तमाम बस्तियां बीरान हो जायेगी । अगर इमाम और बाड़ा को अलग कर दिया जाये तो माना हुआ त्योहार खत्म हो जायगा ।

अब मैं पहाड़ के सिलसिले में कहना चाहता हूं । माननीय मुख्यमन्त्री जी उस समय नहीं थे । 5 करोड़ की लागत से जो विश्वविद्यालय बनाया गया है वह मैं तो कहूंगा कि नासमझी का काम किया गया है । बड़ी पढ़ाई से तरक्की नहीं हुआ करती है । हमारी उनके साथ हमदर्दी है जो बचपन में ही अपना घर छोड़ देते हैं और अन्य जगहों पर जाकर नौकरियां करते हैं और मारे मारे फिरा करते हैं । जरूरी यह है कि पहाड़ी इलाके के बच्चों के लिये रोजगार देने के लिये, उनको खाना देने के लिए व्यवस्था हो ऐसी शिक्षा का प्रयास किया जाना चाहिये । मान्यवर, यूनिवर्सिटी पर हमारे यहां बहुत ज्यादा खर्च होता है । यूनिवर्सिटी बन गयी है इसलिए पहाड़ी इलाके तरक्की पर हो जायेंगे । जापान में 5 विश्वविद्यालय हैं जिनको ग्रान्ट मिलती है । वहां 9 साल तक जरूरी और मुफ्त शिक्षा मिलती है । तो विश्वविद्यालय के खर्चों से तरक्की नहीं हो पाती है ।

बेसिक शिक्षा को पिछड़े हुए इलाकों में बढ़ाया जाना चाहिये । इस सम्बन्ध में मैं 3 नाम लेना चाहता हूं—माउत्से तुंग, गुरनार मेडल और महात्मा गांधी । वह शिक्षा प्रगति में बाधक है वह शिक्षा एन्टी डेवलपमेन्ट है । महात्मा गांधी ने वर्धा में जो कान्फरेन्स हुई थी और उसमें उन्होंने कहा था कि मैंने अपने अंतिम दिनों में जो तूफा दिया है कि बुनियादी तालीम पर जोर दिया जाये और उसे बढ़ाये जाने पर जोर दिया । एक और निवेदन मैं करना चाहता हूं जो बड़ी नौकरियां हैं उनसे अंग्रेजी को हटाया जाना चाहिये । अंग्रेजी के कारण ही बड़े लोगों के लड़के कलेक्टर हो जाते हैं । किसान का बेटा किसान होगा । इस तरह की विषमता है ।

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चीन में रिवोल्यूशन हुआ उसमें देहात के लड़कों ने यह मांग की हमें हाथ का काम दो । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो नौकरियां है उनमें यह तय कर लें कि कम आमदनी वाले हैं और जो किसान के बच्चे हैं उनको कुछ न कुछ वेटेज मिले कुछ न कुछ प्रतिशत की छूट गरीब घरों के बच्चों को बड़े घरों के बच्चों के मुकाबिले मिलनी चाहिये । मान्यवर बड़े घरों के बच्चों के पास कुछ हेरीडेटरी सुविधाएं होती हैं जो गरीबों के बच्चों के पास नहीं होती हैं । उनको दाखिलों के मामले में कुछ छूट मिलनी चाहिये ।

मान्यवर, मैं अध्यापकों के बारे में कहना चाहता हूं कि शिक्षा की सारी बुनियाद अध्यापकों की किस्म पर टिकी हुई है । हिन्दुस्तान में अध्यापकों की स्थिति बहुत दयनीय है । जिस दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है उस दिन उसकी हालत और खराब हो जाती है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यापकों की सिर्फ तनख्वाह ही न बढ़ाई जाय बल्कि उसकी इज्जत की

[श्री सत्यपाल मलिक]

जाय । उसको इज्जत का स्थान दिया जाय । चूंकि उनके साथ इज्जत भी जुड़ी हुई है तो जब तक आप उसके लिये जो आपके आफिसर्स हैं उनकी तरह सुविधाएं नहीं देंगे, तब तक उनको समाज में इज्जत नहीं मिल सकती है । तो मेरा निवेदन है कि अध्यापकों को उसी प्रकार अफसरों की तरह रहने की भी सुविधा दी जाय । जब तक उनको ये सुविधायें नहीं देते हैं, तब तक उन्हें समाज में इज्जत नहीं मिलेगी । लेकिन आज हालत क्या है कि जब कोई अन्य नौकरी नहीं मिलती है तब लोग अध्यापन की तरफ झुकते हैं, तब वह पढ़ाने के लिये चले जाते हैं । अन्त में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी पक्ष यह जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा है उसकी मजबूरी है कि वह इसी शिक्षा पद्धति को कायम रखे ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो जहां है वह चीज उसके पास रहे, वह चीज उसके कब्जे में रहे और अगर हो सके तो उससे बेहतर उसे हासिल हो जाय । परन्तु जब लड़ाई चल रही है तो इसमें वह परिवर्तन का कोई बड़ा काम नहीं हो सकता कि यह कह दे कि शिक्षा को इस समय रोक कर या वह शिक्षा चलती रहे, नई शिक्षा पद्धति चालूकर दें । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक कमेटी ऐसी बना दें जो शिक्षा पद्धति की जांच करके अपनी रिपोर्ट दे, परन्तु कमेटी की पहले आलोचना हो चुकी है । पहले एक दिन माननीय मन्त्री जी सदन में आ , विरोधी पक्ष के लोगों ने देखा कि मन्त्री महोदय के सिर के बाल मुड़े हुए हैं । अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि मन्त्री महोदय के बाल कटे हैं या नहीं कटे हैं और मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय के बयान हो जायं कि आखिर उनके बाल कहां गये । मन्त्री महोदय ने कहा कि मेरे बाल कटे हैं या नहीं कटे हैं मैं बयान नहीं दे सकता । तमाम लोग चिल्लाये कि आपका सिर है, आपके पास हाथ है, आप सिर पर हाथ से देखें मन्त्री महोदय कि आपके बाल कटे हैं कि नहीं । तब मन्त्री महोदय ने कहा कि यह बिलकुल सही है परन्तु मेरे हाथ कानून में बंधे हैं, जब तक इसकी पूरी जांच नहीं करा लेंगे तब तक कोई बयान नहीं दे सकता हूं । अन्त में यह हुआ कि एक कमेटी नियुक्त हुई और 6 महीने बाद उसने अपनी रिपोर्ट दी, तब तक मन्त्री जी के बाल आ चुके थे, कमेटी की रिपोर्ट आई कि मन्त्री जी के बाल नहीं कटे हुए थे । लेकिन मन्त्री जी से मैं चाहता हूं कि कमेटी बने जो पूरे सूबे में जातिवाद का बोलबाला है, जो कालेजेज में जातिवाद है, जो धांधली है, जो परीक्षाओं में धांधलियां हैं, जिस प्रकार से विभागों के विभागाध्यक्ष कर रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा के अधिकारी व्यवहार कर रहे हैं, उनकी जांच करके वह कमेटी अपनी रिपोर्ट दे । इस तरह की एक शक्तिशाली कमेटी बननी चाहिये । इसके अलवा अगर संभव हो तो जो रुपया शिक्षा पर खर्च होता है, उसकी इस तरह से व्यवस्था होनी चाहिये कि वह सूबे के हर हिस्से में चाहे देहात के बच्चे हो, या शहर के बच्चे हो, कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि हर बच्चे के ऊपर बराबर खर्च हो ।

आज जो शिक्षा की प्रगति में लगे हुए हैं, वे बताते हैं कि कुछ शहरों में गावों के मुकाबले में ज्यादा शिक्षा है, इसलिए शहरों के बच्चों पर गांवो के बच्चों के मुकाबले में ज्यादा खर्च हो रहा है । मेरी प्रार्थना है कि गांवों में कालेज ज्यादा खोले जायं चाहे सरकार अपनी तरफ से खोले चूंकि गांव के बच्चों को शहर में आने पर, इस महंगाई के जमाने में, बहुत खर्च पड़ जाता है । इस समय शहर में रहने के लिये कम से कम एक बच्चे पर 200–250 पये आते हैं और अगर एक औसतन परिवार में 2–3 लड़के हैं तो परिवार वालों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वे इस खर्च को वहन कर सकें । इस पर सोचा जाय । मेरा यह भी सुझाव है कि एक साक्षरता सेना बनायी जाय । तमाम नौजवानों को बुलाकर जो देहात के रहने वाले हैं, उन लोगों को साक्षर बनाने का एक कार्यक्रम बनाया जाय जो साल भर में कम से कम 50 फीसदी लोगों को साक्षर बना सके, इस सूबे के लोगों को शिक्षा दे सके ।

अन्त में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस सूबे में जो पढ़ रहे हैं, उनमें ज्यादातर बच्चे ब देहातों से आ गये हैं शहरों में । जब वे बच्चे शहरों में पढ़ने आते हैं तो उनके दिल में वही

तकलीफ होती है जो माननीय जवाहर लाल नेहरू के मन में इंग्लैण्ड में हुई थी, वही तकलीफ होती है जो गांधी जी, सुभाष चन्द्र बोस और आजादी की लड़ाई में लड़ने वाले अन्य लोगों के दिलों में इंग्लैण्ड में जाकर हुई थी। तो वे इस बात को महसूस करते हैं कि देहात की जिन्दगी खराब हो गयी है। जो लोग यह कह रहे हैं सिर्फ राजनीतिक दल आन्दोलन करा रहे हैं तो ऐसा मालूम होता है कि उन्हें बहुत कम जानकारी है। जो आज शिक्षा व्यवस्था चल रही है, और उसके साथ जो हमारे समाज की व्यवस्था चल रही है, उस समाज व्यवस्था में आन्दोलन होना जरूरी है, आन्दोलन होंगे और उनका स्वागत होना चाहिये। जिस मुल्क में नयी पीढ़ी बगावत करना बन्द कर देगी, उस दिन मुल्क की कौम मर जायेगी। चौधरी चरण सिंह के कराये आन्दोलन नहीं हो रहे हैं। मेरा दल कभी भी यह कोशिश नहीं करता है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा को खत्म किया जाय और शिक्षा के प्रांगण में इस प्रकार की सियासत की जाय। यह तो समाज की जो स्थिति होती है उससे पैदा होता है। अभी हाल में कुछ खोज हुई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय में डिबोना ने विश्वविद्यालय के छात्रों का सर्वेक्षण किया है। उसने यह नतीजा निकाला है कि 17 प्रतिशत विद्यार्थी यह सोचते हैं कि जिनके हाथ में हुकूमत है, वे उनके लिये कुछ कर रहे हैं, बाकी के 83 प्रतिशत वे विद्यार्थी हैं जिनका कहना है कि जिन लोगों के हाथ में हुकूमत है, वे हमारे बारे में कुछ नहीं सोचते हैं और विद्यार्थियों के विरुद्ध हैं। उन्होंने यह एनेलिसिस किया, नतीजा निकाला।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

श्री डिबोना किस देश के रहने वाले हैं?

श्री सत्यपाल मलिक—

वे किसी देश के हो सकते हैं, रूस के, कैनाडा के भी हो सकते हैं लेकिन जिस किताब में लिखा है उसका नाम 'फिलप जी० एलवैच" है।

एक और जानकारी लखनऊ विश्वविद्यालय के बारे में एक विद्वान ने की थी, वह पुस्तक ढूंढनी पड़ेगी लेकिन अगर माननीय सदस्य पढ़ना चाहेंगे तो मैं उनको दे दूंगा। उनकी खोज का नतीजा यह है कि एक देहात से आने वाला विद्यार्थी छात्र संघ की सियासत में अधिक रुचि रखता है। वह विद्यार्थी यहां आकर वही महसूस करता है जैसे कि महात्मा गांधी इंग्लण्ड में और पंडित जवाहर लाल नेहरू को इंग्लैण्ड में आन्दोलिन किया था। वह समझता है कि वह किसी साम्राज्यवादी के गांव में, उसकी दुनिया में वह आ गया है।

तो मान्यवर, मैं चाहता हूं कि जो असंतोष शिक्षा संस्थाओं में बढ़ रहा है यह सब आपकी व्यवस्था, आपके 27 साल के आचरण, आपकी नैतिकता ने पैदा की है। ब्रुकलिन कालेज है, उसके प्रोफेसर जान डोबास ने जो खोज उत्तर प्रदेश के छात्र आन्दोलन के सम्बन्ध में की है उसके नतीजे आपके खिलाफ नहीं जाते। तो उन्होंने एक किताब लिखी है, "स्टूडेंट पालिटिक्स इन उत्तर प्रदेश"। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा प्रणाली है वह नौजवानों की किसी भी फैकल्टी को, किसी भी हिस्से का विकास नहीं करती। यह शिक्षा नौजवान में यहां तक कि आत्म-हीनता के बोध को भी खत्म नहीं करती, बल्कि बढ़ाती है। लेकिन वह यह भी लिखते हैं कि एक चीज है कि जो उत्तर प्रदेश के देहातों के क्षेत्रों से, घरों से छात्र आते हैं उनकी आत्महीनता की भावना को खत्म करके उनको स्वावलम्बी बना रही है—वह है "छात्र संघ"। उन्होंने लिखा है कि एक नौजवान लड़का, गरीब, जो बस्ती, गोरखपुर से पढ़ने आता है तो वह शुरू में क्लर्क से डरता है, वाइस चांसलर से दफ्तर के चपरासी से डरता है, दूकानदार से भाव-ताव करने में डरता है, सिपाही से डरता है। लेकिन जब वह छात्र-संघ के कैंटीन में, छात्र संघ के दफ्तर में बैठने लगता है और वह देखता है कि उसी के तरह के मैले और पुराने कपड़े

[श्री सत्यपाल मलिक]

पहने हुए एक छात्र मुख्यमन्त्री के साथ जाकर हिम्मत से बात करता है, जब वह यह महसूस करता है कि उसके छात्र संघ का अध्यक्ष जो उसी की तरह बस्ती, देवरिया या गोरखपुर के दे हात से आया है लेकिन वह आई० जी० के सामने बहस करता है, वाइसचांसलर से बहस करता है, मुख्यमन्त्री से बहस करता है तो छात्र संघके इस आन्दोलन से ताकत लेकर वह छोटा नौजवान इस आत्महीनता को छोड़ देता है, उसकी आत्महीनता खत्म होती है और वह एक आजाद नौजवान के तौर पर बढ़ना शुरू कर देता है ।

एक चीज कही जाती है, चौधरी चरणसिंह का नाम लिया जाता है कि उन्होंने छात्र संघों को तोड़ा । यह ठीक है कि चौधरी चरण सिंह ने यूनियनें तोड़ी थीं, लेकिन उस वक्त मंत्रि-मंडल में आप ही की पार्टी के ज्यादा मन्त्री थे, चौधरी साहब के कम मन्त्री थे (व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

इन बातों को जरा चौधरी चरण सिंह को समझा दें तो बड़ा कल्याण प्रदेश का होगा ।

श्री सत्यपाल मलिक—

माननीय सदस्य को जानना चाहिये कि पूरी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने यह काम मुझे दिया था कि शिक्षा की कटौती के प्रस्ताव को मैं रखूं । मैं कोई गैर-जिम्मेदारी की बात नहीं कर रहा हूं । तो चौधरी साहब के यहां तो आपकी बात चलती थी, आपके ज्यादा मन्त्री थे । अगर आप यह बहस करना चाहते हैं कि उस मंत्रिमण्डल में वह पास हुआ था तो मैं तो उस वक्त उसके खिलाफ जेल में गया था—उस आर्डिनेन्स के खिलाफ । अगर किसी माननीय सदस्य को यह वहम हो कि वह कोई घटिया चीज थी या गलती थी तो मैं उस पर भी बहस करने के लिये तैयार हूं । क्योंकि जो चीज पास हुई थी उसका राजनीतिक इस्तेमाल किया गया था । यूरोप में भी छात्र आन्दोलन काफी जोरों से चल रहा है । वहां के आन्दोलन और हिन्दुस्तान के छात्र आन्दोलन में फर्क है कि यूरोप का आन्दोलन बहुलता, मांग, रुपये की अधिकता, ऐश के बाद जो उससे ऊब पैदा होती है वह उसका आन्दोलन है और हिन्दुस्तान का आन्दोलन अभाव का आन्दोलन है, भूख के प्रश्न के अन्तर्गत है । लेकिन यूरोप के नौजवानों ने कम तादाद से ज्यादा बड़ा काम किया है पिछले 4–5 सालों में और अमेरिका में भी जो काम वहां के छात्रों ने किया है वह कोई मामूली नहीं है । इसी तरह से फ्रांस में नौजवानों ने जो वहां कंज्यूमर सोसाइटी है जो डोमिनेटिंग सोसाइटी है उसके खिलाफ, उसकी पालिसीज को चेंज करने के लिए जो आन्दोलन चलाया विश्वविद्यालयों में, उन आन्दोलनों के साथ समाज का बहुत बड़ा हिस्सा आया । लेकिन वे तमाम विश्वविद्यालयों के आन्दोलन हिन्दुस्तान के छात्र संघ आन्दोलन के स्टाइल के नहीं थे । मैं खुद छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूं और छात्रों के सवालों पर लड़ा हूं, लेकिन मैं छात्रों के बीच में कहने को तैयार हूं कि जो छात्र मंत्रियों के इस्तीफे की मांग करते हैं, अगर उनके छात्र संघ के अध्यक्षों से कह दें कि आप अपने अध्यक्ष पद को छोड़िये तो 80 परसेंट नहीं छोड़ेंगे ।

अगर पूरे सूबे के छात्र संघों के हिसाब-किताब को आडिट करा लिया जाय तो उसमें गड़बड़ी निकलेगी । छात्र जो भी काम करते हैं उसकी वकालत नहीं करना चाहिये । छात्र संघ का यह स्वरूप एकदम सही नहीं है लेकिन उसको तोड़ देना भी ठीक नहीं है । रहा यह कि चौधरी साहब क्या चाहते हैं, तो हम लोगों की एक नयी पार्टी बन रही है । हो सकता है आपको उससे एतराज हो ।

आज जो माननीय सदस्य कांग्रेस में बैठे हैं उनके पास यह तर्क नहीं है कि कांग्रेस यह करती है इसलिये बेहतर है । आज उनके पास सब से ज्यादा तर्क यह है कि कांग्रेस ताकत में है, उसको हटाया नहीं जा सकता इसलिये उसमें रहना चाहिये । हमारी पार्टी छोटी हो सकती है,

कमजोर हो सकती है, हो सकता है कि उसके लिये मुख्य मन्त्री कह दें कि मैं बराबर आपको वहीं बिठाऊंगा, हम चाहते हैं कि मुख्य मन्त्री जी ज्यादा दिन तक हुकूमत में रहें लेकिन जो डेमोक्रेसी चल रही है उसमें यह एक एप्वाइंटमेन्ट है। आपको बड़ा दिल कर के कहना चाहिये। आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये कि जो आपके हटने के बाद इतिहास में एक छोटी सी बात लगे। जिस दिन यह एप्वाइंटमेंट खत्म हो जायगा उस दिन आपको वहां से हटना पड़ेगा। जो हमारी पार्टी की शिक्षा की नीति आयेगी उसे आप देख लीजियेगा। माननीय चौधरी साहब की नीति और राय आपसे कम क्रांतिकारी नहीं होगी। वह छात्रों के हित में होगी। (एक सदस्य—कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुन्बा जोड़ा)। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि लोकतंत्र अगर रहना है तो बहस चलनी चाहिए। सरकारी पार्टी का रवैया अब यह है कि बहस न हो और हम जो कहते हैं उसको बहस का नतीजा मान लिया जाय। इससे लोकतन्त्र नहीं चल सकता।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान का सब से बड़ा आबादी का यह सूबा जिसमें करीब-करीब निरक्षरता बेइन्तहा है, गरीबी है इसमें एक बहुत ही वाहियात शिक्षा प्रणाली चल रही है जिस पर किसी भी आजाद मुल्क के लोगों को गुस्सा आता। उस शिक्षा प्रणाशी को तत्काल समाप्त किया जाय। और उस शिक्षा प्रणाली के चलते जो यह बजट की मांग रखी गयी है मैं फिर यह निवेदन करता हूं कि मैंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है यह सदन उसके साथ है। धन्यवाद।

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय तब तक बढ़ा दिया जाय जब तक आज के अनुदान पारित न हो जायं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि जब तक यह अनुदान पारित न हो जायं तब तक सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माध्यमिक शिक्षा मन्त्री (श्री रामजी लाल सहायक)—

मान्यवर, शिक्षा के अनुदान पर कल से विवाद चला और 34 माननीय सदस्यों ने उसमें भाग लिया और अपने-अपने अनुसार उन्होंने सुझाव भी दिये। यद्यपि सुझाव बहुत कम मिले लेकिन फिर भी मैं उन माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने अपने सुझाव दिये।

माननीय सत्यपाल जी ने जब कटौती का प्रस्ताव पेश किया तो कल के उनके भाषण और आज की वक्तृता में मुझे अन्तर दिखायी पड़ा और वह सम्भवतः इसलिये कि उन्होंने जो अन्य माननीय सदस्यों के विचार सुने तो उनके विचार बदले। कल तो उनमें बड़ा रोष था, क्रोध था और एक बड़ी जबर्दस्त धमकी थी। किसी आन्दोलन की और सम्भवतः यह उनकी अच्छाई है कि मेरी शांति या और किसी की शांति को देख कर वह बदले। इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। उस धमकी के प्रति तो केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि वह धमकी दे किसे रहे थे। हम लोगों ने बड़ी धमकियां बरदाश्त की हैं, बहुत कुछ देखा है और निहत्थे सत्याग्रहियों ने ब्रिटेन जसे साम्राज्यवादी देश का मुकाबला करके यहां से भगाया है। तो हम पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कि युवक आन्दोलन एक पवित्र उद्देश्य को लेकर हो रहे हैं, उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता, किन्तु अगर वे अनुशासनहीनता के लिये हो रहे हैं तो उसका विरोध अवश्य होना चाहिये। जैसा हमारे साथी ने अभी कहा कि युवक संगठनों में भी

[श्री रामजी लाल सहायक]

खराबियां हैं तो उन्हें उभर कर सामने आना चाहिये। इसके लिये जो कुछ उन्होंने कहा मैं उसके लिये उन्हें बधाई देना चाहता हूं।

जहां तक हिन्दी और उर्दू भाषा का सम्बन्ध है, मैं सामान्य हिन्दी और सामान्य उर्दू के पक्ष में हूं। मैं भी उस हिन्दी को पसन्द करता हूं जिसमें संस्कृत का पुट कम हो, सामान्य बोल-चाल की भाषा हो। लेकिन फिर भी साहित्य का अपना स्थान है जिसे हटाया नहीं जा सकता।

हमारे कुछ साथी उर्दू के नाम से बहुत भड़कते हैं। कल माननीय मोहनलाल कपूर जी ने भी उर्दू का जिक्र किया। माननीय सत्यपाल जी ने भी किया। उर्दू से भड़कने की जरूरत नहीं है। उर्दू और हिन्दी यह दो आंखें हैं। इसमें कौन सी आंख फोड़ लें, कौन सी रहने दें, यह विचार करने की जरूरत है। दोनों ही इस देश की भाषायें हैं। अगर दोनों ही आगे बढ़ती हैं तो इसमें क्या नुकसान है। मैंने तो सबसे पहले उर्दू ही पढ़ी थी। मेरे उस्ताद भी मुसलमान थे। हमारे यहां के छात्र को सबसे पहले उर्दू पढ़ाया जाता था। पंजाब आदि अन्य प्रदेशों में भी उर्दू पढ़ाई जाती थी। माननीय कपूर साहब ने भी पहले उर्दू ही पढ़ी होगी। (व्यवधान) आप तो जहां उर्दू या मुसलमान की बात आती है भड़क जाते हैं। अंग्रेजी जबान की भी मुखालफत की। हम तो चाहते हैं कि अगर कोई प्रतिभावान छात्र 36 भाषाओं को पढ़ना चाहता है तो उसमें किसी प्रकार की कोई रोक न लगे। हम उसका भी इन्तजाम करेंगे। अंग्रेजी अगर कोई पढ़ता है या बोलता है तो उससे क्या बिगड़ जाता है? इसलिए भाषा के ऊपर फिजूल का विवाद करना उचित नहीं है। हमें सभी भाषाओं को आगे बढ़ाना है। उर्दू को भी आगे बढ़ाना है, हिन्दी को भी आगे बढ़ाना है। उर्दू का नाम लेकर कोई विवाद खड़ा करना उचित नहीं है।

जहां तक उर्दू को प्रोत्साहन देने की बात है, इस ओर हमने काफी कार्य किया है। 4 हजार के करीब उर्दू के अध्यापकों को हमने प्राइमरी स्कूलों में नियुक्त किया है। लड़कियों की पाठशालाओं में भी उर्दू के अध्यापकों की नियुक्ति की है। जो टीचर्स हमें नहीं मिले, 30 साल के। हमारे यहां प्रतिबन्ध है कि 30 साल का अध्यापक हो तो हमने इस प्रतिबन्ध, में छूट देकर 40 साल की उम्र की और जो अध्यापक सेवारत थे और जो बूढ़े हो गये थे 61 साल के थे, उनको भी भर्ती किया ताकि उर्दू को आगे बढ़ाया जा सके। और हमें उर्दू के लिये ज्यादा अध्यापक मिलें।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)---

मान्यवर, उर्दू पढ़ाने से क्या फायदा है कि आज उसमें दरख्वास्त आदि हम नहीं दे सकते।

श्री रामजीलाल सहायक---

सरकारी आदेश हैं कि ऐसी दरख्वास्तें यदि दी जायें तो उनको स्वीकार किया जाय।

मैं निवेदन कर रहा था कि उर्दू को लेकर तरह-तरह की बातें कही जा रही हैं लेकिन हमारा उद्देश्य केवल उर्दू का विकास करना है। कल श्री मोहन लाल कपूर ने कहा कि हिन्दी के लिये कोई ग्रांट नहीं दी गयी है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप गिनते रहें, हिन्दी ग्रंथ अकादमी के लिये 14 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। जो संस्थायें हिन्दी का प्रचार करती हैं और उस पर उत्कृष्ट पुस्तकें प्रकाशित करती हैं ऐसी संस्थाओं के लिये 29,21,500 रुपये का प्राविधान किया गया है।

मान्यवर, इस बात का जिक्र आया कि हमारी बेसिक शिक्षा अच्छी नहीं है। इसको बदला जाय। हम भी कहते हैं कि हम इसको बदल रहे हैं और इसको बदलेंगे। लेकिन यह जो तमाम चीजें बेसिक शिक्षा के मत्थे मढ़ दी गयी हैं, वह सब इसके लिये उत्तरदायी नहीं

हैं । किसी छात्र के विकास के लिये विद्यालय ही जिम्मेदार है, ऐसी बात नहीं है । यह सही नहीं है । हर बच्चे की पहली पाठशाला उसका घर होती है । अगर घर का वातावरण, समाज का वातावरण उसको अच्छा मिलता है तो वह विकसित होता है । केवल अकेले सरकार के मत्थे मढ़ना ठीक नहीं है । हमको एक ऐसा वातावरण बनाना है जिससे छात्र का विकास हो ।

एक बात पाठ्य-पुस्तकों के बारे में कही गयी है । मैं कहना चाहता हूं कि पहले दर्जे से लेकर 8 वें दर्जे की पुस्तकें राष्ट्रीयकृत हैं । यह पुस्तकें सरकार द्वारा अच्छे-अच्छे विद्वानों द्वारा लिखायी जाती हैं । मैं कह सकता हूं कि आप इनको कल मंगा कर देखें इनमें कहीं पर भी साम्प्रदायिक भावना की गंध नहीं पायेंगे । आप जिक्र नहीं कर सकते । आपको ऐसी बात कहीं पर नहीं मिलेगी । पाठों का चयन इस प्रकार से किया गया है कि अगर एक पाठ में एक देवता का जिक्र है तो दूसरे पाठ में मुहम्मद साहब और अगले पाठों में सिक्खों के बारे में जिक्र किया गया है । इस तरह से इन पाठों को रखा गया है कि बच्चे यह न समझें कि हम किसी जाति विशेष से संबंधित हैं ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

आपने शायद जनसंख्या के अनुपात से रखा है ।

श्री रामजीलाल सहायक—

हम इतिहास को भी बदल रहे हैं क्योंकि किसी सदस्य ने कहा कि मुझमें यह भावना इतिहास को पढ़ने से आयी ।

श्री राजब्रज राज सिंह (जिला लखीमपुर खीरी)—

मान्यवर, शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम इतिहास बदलना चाहते हैं । इतिहास को बदलने का इनका कोई हक नहीं है । पाठ्य-पुस्तकों से चीजें निकल सकती हैं लेकिन इतिहास को बदलने का इनका कोई हक नहीं है।

श्री रामजीलाल सहायक—

मान्यवर मैं निवेदन कर रहा हूं कि पुस्तकें बदली जा रही हैं ।

मान्यवर, कल एक बात का जिक्र आया कि बेसिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाय । और माननीय मलिक साहब ने कहा कि बेसिक शिक्षा गांधी जी के विचारों जैसी होनी चाहिये तो मैं उनकी बात को मानता हूं । हमने यह भी किया है कि प्राइमरी दर्जे से लेकर के 8वें दर्जे तक जो बेसिक शिक्षा है उसमें हमने श्रम को जोड़ा है। अभी आपने देखा होगा कि एक प्रदर्शिनी लगी थी, उसमें छोटे-छोटे विद्यार्थी आये थे और उन्होंने अपने कामों को दिखाया था, अपनी चीजों को बनाया था । वह जो पैसा कमाते हैं इस तरह से, वह उनके खाते में जमा कर दिया जा रहा है । हम भी यह मानते हैं कि बच्चे श्रम के महत्व को समझें, जब तक वह नहीं समझेंगे तब तक कामयाब नहीं होंगे ।

आज दशा यह है कि शिक्षा मंत्री अपने कपड़े स्वयं धोते हैं, अपना कमरा स्वयं साफ करते हैं यदि इसका जिक्र किया जाय तो बच्चे कहते हैं कि धोबी होगा । मैं इसको रोज करता हूं क्योंकि महात्मा गांधी जी ने अपने काम स्वयं करने की शिक्षा दी थी । मैंने कल कहा था कि मैं प्राविधिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा है। इसके लिये एक कमेटी बनाई है और उससे कहा कि शिक्षा को ऐसी व्यवस्था करें कि बच्चे शिक्षा के साथ–साथ काम भी करते रहें। आजकल आठवीं कक्षा पास विद्यार्थी भी अपना कोई काम स्वयं करने यो तैयार नहीं है। इसलिये जब तक विद्यार्थी पढ़ाई के साथ-साथ परिश्रम नहीं

[श्री रामजीलाल सहायक]

करेंगे तब तक बेरोजगारी मिट नहीं सकती है। इसी प्रकार हमारे आई० टी० आई० के बच्चों से जो कि काम सीखते हैं उनसे यदि बनीं हुई वस्तुओं को बाजार में बेचने को कह दिया जाय तो वे इसके लिये तैयार नहीं होंगें। इसी प्रकार मलिक साहब हमारे पास एक बी० एस०-सी० (एजी०)का बिद्यार्थी नौकरी के लिये आया था तो हमने उससे कहा था कि खेती करोगे तो वह खेती करने को तैयार नही हुआ। इसलिये शिक्षा की इस व्यवस्था को दूर करना पड़ेगा।

श्री सत्यपाल मलिक--

एक बात मैं मान्यवर कहना चाहता हूं कि जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं उनमें बच्चों की पिटाई बहुत होती है। उन छोटे-छोटे बच्चों को स्कूल में भी पीटा जाता है और घर में उनकी मां भी खूब पिटाई करती है। तो क्या शिक्षा मंत्री जी ऐसा कोई कानून बनायेंगे जिससे कि प्राइमरी स्कूल में बच्चों की पिटाई न हो सके? (हंसी)

श्री रामजीलाल सहायक--

मान्यवर एक बात शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के बाबत कही गई है और माननीय कपूर साहब ने कल जिक्र किया था। तो मैं कहना चाहता हूं कि कई बार ऐसे सवाल किये गये हैं उनका यह जवाब दिया गया है कि उसके लिए एक समिति बनाई गई है जो इस विषय पर विचार कर रही है और जब विचार हो जायेगा तो निर्णय इस पर लिया जायेगा। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो रहा है। वेतन अधिनियम बनाये गये जिसके आधार पर वेतन दिया गया है। वेतन की समानता तथा महंगाई भत्ते की समानता यह सब चीजें राष्ट्रीयकरण की दिशा में कदम हैं। एक-एक सीढ़ी पर चढ़ा जायेगा और तभी मंजिल को पूरा किया जायेगा। बार-बार इस प्रश्न को उठाकर उलझन पैदा नहीं की जानी चाहिये। दूसरी बात जो अध्यापकों की भर्ती के संबंध में श्री कपूर साहब ने कही है कि इसके लिये चयन समिति बनानी चाहिये। तो वह चयन समिति जहां-जहां विद्यालय हैं वहां बन रही है। विद्यालय स्तर पर लोक सेवा आयोग की जो बात उन्होंने कही है उस पर हमारा विचार है। इसीलिये अध्यापकों की भर्ती रोकी थी परन्तु समय बहुत कम था इसलिये हमें फिर आदेश भेजने पड़े कि भर्ती कर लें। प्रिंसिपल तथा अध्यापकों की भर्ती का एक अलग तरीका बनाया जा रहा है जिससे कि किसी का पक्षपात न होने पावे।

इसके साथ ही एक और बात सुनने में आयी कि वार्षिक परीक्षा बन्द की जाय। इसके स्थान पर मन्थली टेस्ट हों। वार्षिक परीक्षा बन्द करने में कोई हानि नहीं है। लेकिन यह बात जरूर है कि हमारे जो मन्थली टेस्ट होते हैं स्कूलों में हम उन पर जोर देने वाले हैं कि वह टेस्ट हों और उनके अंक अंतिम परीक्षा में जोड़े जायं। इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। मन्थली टेस्ट होने से बच्चों को ख्याल रहेगा कि हमारी परीक्षा हो रही है और इससे बच्चे पर कंट्रोल रहेगा। वह हर वक्त पढ़ाई पर ध्यान देगा। अतः ऐसी व्यवस्था करने का हमारा विचार है और इसको हम करेंगे।

श्री गोरेलाल शाक्य (जिला इटावा)--

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण सुझाव दे रहा हूं वह यह है कि हरिजनों के लिये अलग से स्कूल व छात्रावास न खोले जायं इससे छुआछूत मिटेगी और जो मौजूदा स्कूल हैं वही सबके लिये हों और उनम रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दें हरिजनों के लिये।

श्री रामजीलाल सहायक--

मैं भी इसी विचार का हूं कि अलग से स्कूल व छात्रावास न खोले जायं। मैंने सन् 1939-40 में एक संस्था कायम की थी इस शर्त पर कि 25 परसेंट विद्यार्थी अन्य वर्ग के भी हों हरिजनों

के साथ । वह एक साथ खायेंगे, पीयेंगे और रहेंगे । अलग से स्कूल और छात्रावास खोलने की आवश्यकता नहीं है और सामान्य छात्रावास में ही वह लोग रहें । व्यक्तिगत संस्थाओं में और दूसरी संस्थाओं में जहां तक आरक्षण न मिलने का प्रश्न है, हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं ताकि यह रोज-रोज की शिकायत न होने पाये ।

श्री नन्द राम (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ....

(व्यवधान)

श्री रामजी लाल सहायक—

हाईस्कूल की परीक्षा हो तो उसमें मनोवैज्ञानिक परीक्षा हो, शारीरिक परीक्षा हो, ताकि यह मालूम हो सके कि उसकी अभिरुचि किधर है ताकि हम उसी हिसाब से मोड़ दे सकें । हम इस पर भी विचार कर रहे हैं और इस पर निर्णय लेने के लिये एक योजना बना रहे हैं ।

हर गांव सभा में प्राइमरी पाठशाला खोलने की बात कही गई । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने यह पहले ही निर्णय ले लिया है कि पांचवीं योजना में 750 जनसंख्या वाले गांवों में एक प्राइमारी पाठशाला अवश्य खुलेगी और पांचवी योजना काल में 7128 ग्रामीण क्षेत्र में और 211 शहरी क्षेत्र में पाठशालायें खोली जायेंगी । इस प्रकार कुल 7,339 पाठशालायें खोली जायेंगी । इस तरह से 1974–75 तक 67 हजार प्राइमरी स्कूल हो जायेंगे । जैसा मलिक जी ने कहा कि शहरों पर ज्यादा खर्चा न हो, वह इस आंकड़ों से संतुष्ट हो जायेंगे कि पाठशालायें देहाती क्षेत्र में ही अधिक खोली जायेंगी ।

मान्यवर, दो प्रकार के स्कूलों के बारे में जिक्र किया गया । यह बात सही है कि अफसरों के लड़के अफसर ही बनते हैं । मान्यवर, यह एक मौलिक प्रश्न है । हमने इस बात का प्राविधान कर लिया है कि हम अधिक से अधिक देहाती क्षेत्रवालों को प्रोत्साहन देंगे और उनको लेंगे । हमें बांटना नहीं है लेकिन हमारा ध्यान है । ईसाई संस्था के लड़के पढ़ते हैं तो उन्हें संविधान में संरक्षण मिला हुआ है और उस वक्त तक जब तक संरक्षण मिला हुआ है हमने एक ही काम किया कि एक समिति बनाई है उन विद्यालय चलाने वाले सज्जनों, कुछ सरकारी अधिकारियों, कुछ शिक्षाविदों की और हमने यह तय किया है कि इन दोनों प्रकार के स्कूलों में एक सामञ्जस्य हो और आना-जाना शुरू हो एक दूसरे के यहां । इसके खेल हों तो हमारे अध्यापक और बच्चे वहां जायें । हमारे यहां खेल हों तो इसके अध्यापक और बच्चे आयें । इस प्रकार उत्सव हमारे यहां हों तो उनके अध्यापक और बच्चे हमारे यहां आयें और उनके यहां कोई उत्सव हो तो हमारे बच्चे और अध्यापक उनके यहां जायं । आपस में सन्निकटता लाने के लिए यह किया गया है । हमने इनसे यह भी कहा कि ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश देना पड़ेगा जो निम्न वर्ग के हैं, गरीब हैं । मेरी सूचना है कि और लारेटो कन्वेन्ट के अधिकारियों ने बतलाया कि उन्होंने अपने यहां पच्चीस गरीब बच्चों को रखा है और उनका खर्चा वह दे रहे हैं । बदलते हुए जमाने में बदलते हुए रुख को देखकर उन्हें काम करना है । बाकी संविधान में कुछ कर सकें तो उसके बाद देखा जायगा । श्रेणी हटाने की बात कही गयी । मैं भी मानता हूं तीसरी श्रेणी रखने की आवश्यकता नहीं है और मैंने माध्यमिक शिक्षा परिषद् से कहा भी है । पहली और दूसरी श्रेणी के बारे में तो अभी कुछ नहीं कह सकता, यह नीति का प्रश्न है । वैसे सुझाव अच्छा है । नैतिक शिक्षा की बात भी आयी । हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा का प्राविधान है और यह भी दिया हुआ है कि हफ्ते में दो पीरियड नैतिक शिक्षा होगी । लेकिन नैतिक शिक्षा देने की ही बात नहीं, नैतिकता हमारे आपके संपर्क से आयेगी । हमारा

[श्री रामजीलाल सहायक]

जितना उत्थान होगा, हममें, मां बाप में जितनी नैतिकता आयेगी उसी से विद्यार्थी का समाज बनेगा। मान्यवर, कुछ ऐसे प्रश्न थे जो कल यहां उठाये गये और उनका उत्तर मैंने दिया।

श्री सन्त सिंह यूसुफ (जिला कानपुर)---

एक सुझाव है जिससे खर्चा भी कम होगा।

श्री रामजीलाल सहायक---

आप बाद में मुझसे बात कर लीजियेगा।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)---

अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं भी कहना चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री ने संस्कृत के बारे में कोई चर्चा नहीं की। हिन्दी और उर्दू के बारे में तो कहा लेकिन संस्कृत के विषय में मौन हैं।

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य, आप बोल चुके हैं। क्या आप बता सकते हैं कि संस्कृत के बारे में आपने अपने भाषण में सवाल उठाया?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

मुझे मौका नहीं मिला। संस्कृत के प्रति उनका लगाव नहीं है जो देश और प्रदेश की महत्वपूर्ण भाषा है।

(व्यवधान)

श्री नन्दराम---

हाई स्कूल, इंटर और बी० ए० कालेजेज में जो कमेटी है उसमें हरिजन प्रतिनिधि नहीं हैं। एक हरिजन प्रतिनिधि भी होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष---

(श्री गोरेलाल शाक्य के खड़े होने पर) आप बैठ जायें। आप समय से नहीं आये। आपको विवाद जारी रखना था। आप इतने कर्तव्यनिष्ठ नहीं कि अपनी बात कहते। ऐसा नहीं होना चाहिये।

श्री रामजीलाल सहायक---

मान्यवर, मेरी माननीय सत्यपाल मलिक से अपील है कि वह शिक्षा के बदलाव में बड़ी अभिरुचि रखते हैं। मेरा निवेदन है कि वह कृपया अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और हमें काम करने का मौका दें और मौका दें हमें सहयोग करने का।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग---

मान्यवर, इस साल हाई स्कूल में 36 प्रतिशत और इण्टरमीडियेट में 56 प्रतिशत पास हुये। इस सम्बन्ध में एक कमेटी बनाई जाय।

श्री अध्यक्ष---

माननीय शिक्षा मंत्री जी बोल चुके हैं। अब आप किसको संबोधित कर रहे हैं?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

मान्यवर, चूंकि शिक्षा मंत्री जी ने संस्कृत के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है, इसलिये यह मेरा उनके प्रति चार्ज है कि उन्होंने जघन्य अपराध किया है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या 28 के अधीन मांग की राशि घटा कर एक पया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 28--शिक्षा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,24,31,27,300 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या 88 के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 88--ऋण और अग्रिम--शिक्षा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 43,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत आज 2 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं। एक है राबर्ट्सगंज की दुद्धी तहसील में खाद्यान्नों के अभाव के बारे में। इस पर बहस हो चुकी है। आगे भी बहस का अवसर है। इसलिये यह स्वीकृत नहीं हुई है।

दूसरी सूचना मुरादाबाद जिले में खाद्यान्नों के अभाव के बारे में है। इसमें जब खाद्य का अनुदान आयेगा, तो माननीय सदस्यों को अवसर मिलेगा।

उचित मूल्य पर पाठ्य पुस्तकों और अभ्यास पुस्तिकाओं की उपलब्धि के विषय में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री अध्यक्ष--

नियम 49 के अन्तर्गत माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी की आधे घण्टे की चर्चा के बारे में है। अब 49 में नियमानुसार कार्यवाही में जो प्रक्रिया है, वह इस प्रकार है :--

"सदन से समक्ष कोई औपचारिक प्रस्ताव न होगा और न मत लिये जायेंगे। जिस सदस्य ने सूचना दी हो, वह संक्षिप्त वक्तव्य द्वारा उस विषय का पुनः स्थापन करेंगे। सम्बद्ध

[श्री अध्यक्ष]

मंत्री संक्षेप में उत्तर देंगे। तत्पश्चात्, अध्यक्ष अन्य सदस्यों को किसी तथ्य-विषय के अतिरिक्त स्पष्टीकरण के प्रयोजन से प्रश्न पूछने की अनुज्ञा दे सकेंगे। विषय पुरः स्थापित करने वाले सदस्य को उत्तर देने के लिये दूसरी बार बोलने की अनुज्ञा दी जा सकेगी और सम्बद्ध मंत्री के अन्तिम कथन होने पर चर्चा समाप्त हो जायेगी।"

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा। इस वक्त कागज की समस्या बहुत गम्भीर हो गयी है। सारे प्रदेश में न अभ्यास की कापियां और न पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हैं। मैं दो हिस्सों में अपने विचार रखता हूं। पहली बात अभ्यास पुस्तकों के बारे में है। सस्ती अभ्यास पुस्तकों की इस समय उपलब्ध कराने के विषय में सरकार ने व्यवस्था की है। वह पब्लिशर को नियंत्रित रेट पर कागज दे रही है और उससे कहा है कि नियंत्रित रेट पर कापियां दें। कठिनाई यह है कि नियंत्रित रेट पर कापियां केवल लखनऊ में मिल रही हैं और आसपास के जिलों में नहीं मिल रही हैं। लेकिन यहां पर शर्त यह है कि नियंत्रित रेट पर कापियां हम से लीजिये लेकिन उनके साथ और चीजें लेनी पड़ती हैं कीमत काफी देनी पड़ती है और दूसरे जिलों में ये कापियां मिल नहीं रही हैं। गत वर्ष 3 हजार टन पेपर जून, जुलाई में प्राप्त किया गया था और सेशन प्रारम्भ हो गया इस बार लेकिन कागज अब तक नहीं मिल सका अभ्यास की पुस्तकों के लिये चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। मेरा सजेशन यह है कि अगर अनेक ब्लेक मार्केटिंग रोकना है और विद्यार्थियों को सहूलियत से कापीज मिल सकें और नियंत्रत रेट पर मिलें तो इसके लिये सरकार यह व्यवस्था कर दे कि जो प्रिन्सिपल हैं या हेडमास्टर हैं कालेजेज व विद्यालयों में उनको सरकार कागज सप्लाई कर दे और वे अपने यहां कापियां तैयार करायें और तब विद्यार्थियों को दी जायं। इसमें सहूलियत होगी और उनकी कापियां मिल सकेंगी और जो ज्यादा दाम लिये जा रहे हैं वे नहीं लिये जा सकेंगे।

दूसरी बात पाठ्य पुस्तकों के बारे में कहनी है। अभी एक अखबार में यह चीज निकली थी कि विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि निजी प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों को वे न खरीदें और सरकार द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों को ही खरीदें। लेकिन 8वीं कक्षा तक प्रकाशन का कार्य यह सरकार कराती है और यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह पुस्तकों को नियंत्रित मूल्य पर उपलब्ध कराये अथवा स्वयं वितरित करे। मुझे जहां तक जानकारी है सेशन आ गया है लेकिन आज तक किताबें तैयार नहीं हैं। इस सम्बन्ध में एक बात यह हुई कि सरकार ने पब्लिशर्स की एक बैठक की थी और यह तय किया था कि कागज सरकार देगी और पब्लिशर्स पब्लिश करेंगे लेकिन उन किताबों को पुराने नियंत्रित मूल्य पर पब्लिसर्श वितरित करेंगे। पहले पब्लिशर्स ने यह आश्वासन दिया लेकिन बाद को वह आश्वासन वापस ले लिया गया। तो सरकार ने उन पर डी० आई० आर० लागू कर दिया और जैसा उसमें होता है जहां पाठ्य पुस्तकें मिलें, छापा मारा जाय और उनको जबरदस्ती ले लिया जाय लेकिन परिणाम यह हुआ कि न सरकार ने पुस्तकों को प्रकाशित कराया और न बाजार में उपलब्ध हैं और जानकारी यह हुई है कि वे बाजार से गायब हैं। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। सरकार की जिम्मेदारी है। मंत्री जी बतलायेंगे कि कब तक वे पाठ्य पुस्तकों को तथा अभ्यास पुस्तकों को उपलब्ध करायेंगे जब कि सेशन आज से प्रारम्भ हो गया है?

प्राविधिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री रामजीलाल सहायक)—

मान्यवर, इस बारे में विद्यार्थियों को उचित मूल्य पर पाठ्य पुस्तकों तथा अभ्यास पुस्तकों को दिलवाने के लिये प्रश्न भी हुए थे और उनका उत्तर भी दिया गया था। अभी माननीय

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

त्रिपाठी जी ने शंकायें व्यक्त कीं तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जो राष्ट्रीय कृत पुस्तकें हैं उनके लिये हमें 381 टन कागज प्राप्त हो गया है। उसमें विज्ञान विषय की भी चार पुस्तकें छप रही हैं।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

यह आपने कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की पुस्तकों के बारे में बताया ? साथ ही यह भी बता दें कि गत वर्ष कितना कागज मिला था ?

श्री रामजीलाल सहायक—

जी हां, कक्षा 1 से 8 तक की कक्षा के लिये मिला था। गत वर्ष कागज नहीं मिला था। गत वर्ष जरूरत नहीं थी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

साथ ही आप यह भी बताते चलें कि जो कागज आपको मिला वह आपकी आवश्यकता के लिये पूरा है ?

श्री रामजीलाल सहायक—

मैं बता रहा हूं। हमें 750 टन एक मिला है और 300 टन एक मिला है। यह कागज छापने वालों को दे दिया गया है। जो कागज हमें अभी-अभी मिला है उसको हमने उद्योग निगम को दे दिया है जो कि हमारा जो राजकीय मुद्रणालय है वह अभ्यास पुस्तकाएं बनावें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जो वायदा आपने पब्लिशर्स से किया था...

श्री अध्यक्ष—

(मंत्री जी से) आप अपना वक्तव्य जारी रखें, स्पष्टीकरण के लिये समय दिया जायेगा।

श्री रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि पहले मीटिंग में तय हुआ था और बाद में वे मुकर गये। जो कागज हमें मिला था उसकी व्यवस्था यह की गई है कि हम स्वयं ही अपने प्रेस में अभ्यास पुस्तकों को छपवायेंगे और साथ ही यह भी हमने तय कर दिया है कि 30 पैसे प्रति अभ्यास पुस्तक के हिसाब से उसका मूल्य होगा। यह जरूर है कि जो अभ्यास पुस्तकें छप रही हैं उसमें जो बाहर छपा रहता है उसमें कमी आ जायेगी केवल नाम आदि ही लिखा रहेगा क्योंकि उसमें पैसा ज्यादा लगता है। पुस्तकों में भी ऐसा ही कर दिया है कि विषय तो उतना ही रहेगा लेकिन 16 लाइन के बजाय 18 लाइन उसमें हो जाय ताकि कम कागज में ही काम चल जाय। आपने जो अभी कहा है कि डी0 आई0 आर0 के अन्तर्गत वह कार्य किया गया है तो उस सम्बन्ध में यही निवेदन है कि वह इसलिये किया गया है ताकि उचित मूल्य पर हम बच्चों को पुस्तकें और अभ्यास-पुस्तिकायें दे सकें। यदि नहीं देते हैं तो उस पर कार्यवाही होगी। हमारी कोशिश है कि मूल्य न बढ़ने पायें और विद्यार्थियों को पुस्तकें उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सकें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि सहारनपुर की स्टार पेपर मिल पिछले 25 वर्षों से टेढ़ी-मेढ़ी और सड़ी-गली लकड़ियों से कागज बना रही है और उससे उसने करोड़ों रुपये कमा लिये हैं ? तो आज की कागज की कमी को देखते हुये क्या मंत्री जी स्टार पेपर मिल का कुल कागज अपने हाथ में लेने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो दूसरा ही प्रश्न हो गया।

श्री रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, स्टार पेपर मिल, सहारनपुर हमें कागज दे रहा है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

किस रेट पर ?

श्री रामजीलाल सहायक—

2,150 टन दे रही है और रेट जो निर्धारित है 2.75 पर।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

सरकार ने बड़ी गैर-जिम्मेदारी का काम किया है। मन्त्री जी ने कह दिया कि हम छपवायेंगे, नियंत्रित मूल्य पर देंगे लेकिन सेशन प्रारम्भ हो गया है, कितने दिन के अन्दर वे सोचते हैं कि किताबें छप कर मार्केट में आ जायेंगी ? स्पष्ट बतायें।

श्री रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, पुस्तकें बहुत-सी छप चुकी हैं और बाजार में आ गई हैं। प्रकाशकों और विक्रेताओं के यहां पुस्तकें हैं, और राष्ट्रीयकृत पुस्तकें भी हैं लेकिन उनकी मांग है कि अभी हमें और छापनी हैं। आप यह समझ लीजिए कि जो उस धन्धे में लगे हुए हैं, वे तो साल भर पहले से सब प्रबन्ध कर लेते हैं। वह तो केवल मूल्य ज्यादा प्राप्त कर लें, उसकी जुस्तजू में लगे हुए थे।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जो प्राइवेट छापने वाले हैं, जो ज्यादा मूल्य ले रहे हैं जिन पर डी० आई० आर० इस्तेमाल करने की बात है, ऐसे कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया है ? यदि नहीं किया तो क्या करने के लिये आप विशेष कार्यवाही करेंगे ?

श्री रामजीलाल सहायक—

जो सूचना दी है, तो डी० आई० आर० के मातहत जो कार्यवाही है वह पूरी की जाएगी। लेकिन यह तो अभी कल ही तय हुआ है।

श्री मोहनलाल कपूर—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह जो हाई स्कूल और इन्टर की पुस्तकें सन् 76 से बदलने वाली हैं और जो सन् 74 में छपकर आ जानी चाहिए थीं, तो क्या उनके लिए प्रबन्ध कर दिया गया है मूल्य और कागज आदि के बारे में ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मैं समझता हूं माननीय सदस्य का तात्पर्य बायलोजी और केमिस्ट्री आदि की पुस्तकों से है। वे पुस्तकें छप चुकी हैं और उनको आमन्त्रित नहीं किया था माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने। चूंकि इनको प्रकाशकों ने स्वयं ही छापा है, इसलिए उनकी आपसी प्रतियोगिता और हमारी मांग और पूर्ति के अनुसार उनका मूल्य तय होगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं यह स्पष्ट जानना चाहता हूं कि जितनी पुस्तकों की आवश्यकता है, क्या उतनी सब छप चुकी हैं या अभी कमी है ? जितने कागज की आपको इस वर्ष आवश्यकता थी, उतना उपलब्ध हो गया है या नहीं ?

श्री रामजीलाल सहायक—

हमने जो मांगा था, उतना कागज तो नहीं मिला है, किन्तु जो मिला है, उसको हम पहले अपने राष्ट्रीयकृत पुस्तकों के लिए ले रहे हैं। यदि बचा तो अन्य प्रकाशकों को जो हमारे अनुसार उचित मूल्य पर बेंचने के लिए तैयार हैं उनको वितरित करेंगे। लेकिन कितनी छपी हैं, उनकी संख्या के बारे में नहीं कह सकता।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जितनी पुस्तकों की आवश्यकता थी, क्या उतनी छपकर तैयार हैं ?

श्री रामजीलाल सहायक—

आवश्यकता भर है या नहीं, लेकिन इतना कह सकता हूं कि बहुत-सी पुस्तकें छपी हैं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

आपको केन्द्र सरकार ने पुस्तकों और अभ्यास पुस्तिकाओं के लिए पिछले वर्ष कितना कागज दिया था ? और इस वर्ष कितनी मांग के विपरीत कितना कागज दिया है ?

श्री रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, हमारी दिक्कत यह है कि शुरू में माननीय सदस्य ठीक से सुनते नहीं।

श्री अध्यक्ष—

यह तो हो चुका है।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)—

बहुत-सा कागज जो उत्तर प्रदेश के लिए गाजियाबाद में जाता है, वह वहां से ट्रक द्वारा दिल्ली ले जाकर उसकी कापियां बनाकर उसे पंजाब भेज दिया जाता है, क्या इसके बारे में जांच कराके उचित कार्यवाई की जाएगी ?

श्री रामजीलाल सहायक—

डी० आई० आर० है ही इसलिए, सब कार्यवाई उसमें की जाएगी।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

प्राइवेट जो पब्लिसर्श हैं, उन्होंने पुराने कोटे से कापियां छाप ली, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि जो कागज का कोटा मिला है, वह कब मिला था और उससे कितनी कापियां तैयार करा ली हैं और कितनी तैयार करा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी ने यही सवाल किया था।

श्री गोविन्द सिंह नेगी --

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कुछ ऐसी भी आपने जांच की है कि कुल किताबों और अभ्यास पुस्तकों की पूरे प्रदेश में क्या आवश्यकता है और जो कमी है उसके पूर्ति के लिये आपने कौन-सा उपाय किया ?

श्री रामजीलाल सहायक--

मान्यवर, यह बताना बहुत कठिन है कि कितनी कापियों और पुस्तकों की पूरे प्रदेश में जरूरत पड़ेगी। ऐसी कोई जांच नहीं करायी है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या उनको ज्ञान है या नहीं कि लखनऊ को छोड़कर किसी भी जगह अभ्यास पुस्तकें और किताबें नहीं मिल रही है ?

श्री रामजीलाल सहायक--

मेरे पास किसी ने शिकायत नहीं भेजी है वह कुछ नहीं मिल रही है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

बड़ी विचित्र बात है कि माननीय मन्त्री को विदित नहीं है कि प्रदेश को कागज की क्या आवश्यकता है, क्या माननीय मन्त्री इस बात की व्यवस्था करेंगे कि यह मालूम हो जाय कि आखिर कितने कागज की आवश्यकता पड़ेगी और जो कमी पड़े उसकी पूर्ति के लिये कुछ उपाय सोचेंगे?

श्री रामजीलाल सहायक--

जी हां, यह तो मालूम करना ही है। हिसाब लगा लेंगे। जो कमी रहेगी इन्तजाम करेंगे।

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)--

जो आपने कागज दिया है पुस्तकों का प्रकाशन करने के लिये, मूल्य वह तय करेंगे या सरकार करेगी और मूल्य निर्धारित करने की नीति क्या होगी, पुस्तकों की कीमत कौन तय करेगा उसका आधार क्या होगा ?

श्री रामजीलाल सहायक--

जब हम कागज देंगे वह किताबें छापेंगे तो उस किताब पर जो खर्चा आयेगा कागज का मूल्य और छपाई का जो खर्चा होगा, वह मूल्य बैठेगा पुस्तक का।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से संतोष के बजाय सारे सदन के असंतोष उत्पन्न हुआ है। मन्त्री जी को यह मालूम नहीं है कि कितने कागज की आवश्यकता होगी। सेशन पहली जुलाई से शुरू हो गया। इसके पहले आज तक शिक्षा मन्त्री ने प्रबन्ध नहीं किया। टालू जवाब दे रहे हैं। कहीं प्रबन्ध नहीं कर पायेंगे न बताने के लिए तैयार हैं कि कितने कागज की आवश्यकता है और कितना कागज पा जायेंगे। यह प्रबन्ध नहीं करेंगे। यह कितना निन्दनीय व्यवहार है। पहली जुलाई से पहले सब चीजों की पूर्ति करा देते। आप देखेंगे कि इसके लिए उपद्रव होगा। सारी जिम्मेदारी मंत्री जी पर होगी।

श्री रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, वह उपाय कर रहे हैं। कल भी एक सूचना दी थी। उसके अन्दर भी व्यवस्था कर रहे हैं। कोई बात होगी तो उसको भी देखेंगे।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं। कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 45 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
2 जुलाई, 1974।

विधान सभा सदस्य पुस्तकालय

नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 576 पर)

विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या 2 का अनुलग्नक

मांगें	की गयी कार्यवाही
(1) महापालिका कर्मचारियों को शहरी भत्ता तथा आवास भत्ता दिया जाये ।	यह मांग स्वायत्त शासन कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25 जनवरी, 1974 द्वारा गठित त्रिसदस्यीय समिति के विचारार्थ रख दी गयी है ।
(2) महापालिका में लिपिकीय व राजस्व सेवा के कमचारियों के वेतनमान समतुल्य सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों के बराबर कर दिया जाये ।	अस्वीकृत की गयीं ।
(3) महापालिका के द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों को वही वेतनमान एवं अन्य सुविधायें दी जाएं जो समतुल्य सरकारी कर्मचारियों के लिये वेतन आयोग द्वारा संस्तुति की गयी है ।	अस्वीकृत की गयी ।
(4) महापालिका कर्मचारियों को 1 अगस्त, 1972 से पूर्व देय समस्त महंगाई भत्ता उनके नये वेतनमानों के निर्धारण हेतु समायोजित किया जाय ।	यह मांग उक्त त्रिसदस्यीय समिति के विचारार्थ रख दी गयी है ।
(5) न्यूनतम वेतनमान 314 रु० निर्धारित किया जाये ।	अस्वीकृत की गयी ।
(6) कानपुर नगर में राशन कटौती समाप्त कर राशन की मात्रा वही की जाय जो मई, 1973 में मिल रही थी ।	अस्वीकृत की गयी ।
(7) वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाए और एरियर का भुगतान शीघ्र किया जाए । मई, 1973 से सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में की गयी अन्तिम वृद्धि का लाभ महापालिका कर्मचारियों को भी दिया जाए ।	यह सभी मांगें स्वीकार कर ली गयीं ।
(8) कानपुर महापालिका कर्मचारियों को लखनऊ महापालिका कर्मचारियों की भांति 1-4-1971 से 10 रु० प्रति माह का कारपोरेशन भत्ता दिया जाए ।	अस्वीकृत की गयी ।

विधान सभा

नत्थी "ख"

(देखिये तारांकित प्रश्न सं0 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 581 पर)

प्रश्न संख्या 11 के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

दुग्धशालाओं के बन्द हो जाने का कारण यह है कि क्षमतानुसार कार्य न कर पाने के फलस्वरूप उनकी क्रियाशील पूंजी समाप्त हो गई है।

सरकार की लागत व यूनियन के धन का ब्योरा निम्नवत् है—

	शासन की लागत	यूनियन का धन
	रु0	रु0
1—गोरखपुर दुग्धशाला	21,51,679	20,244.90
2—बरेली दुग्धशाला	17,46,370	34,034.75
3—मथुरा दुग्धशाला	19,71,705	17,639.50
4—आगरा राजकीय दुग्धशाला ..	13,41,100	

उक्त दुग्धशालाओं के मामले शासन के विचाराधीन है। यह नहीं कहा जा सकता कि वे कब से अपना कार्य प्रारम्भ कर देंगी।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

पी0 एस0 यू0 पी0—ए0 पी0—100 वि0 सभा—(1425)—1974—835.